खण्ड-410, अंक-10
बृहस्पतिवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1916
(31 मार्च, 1994 ई0)

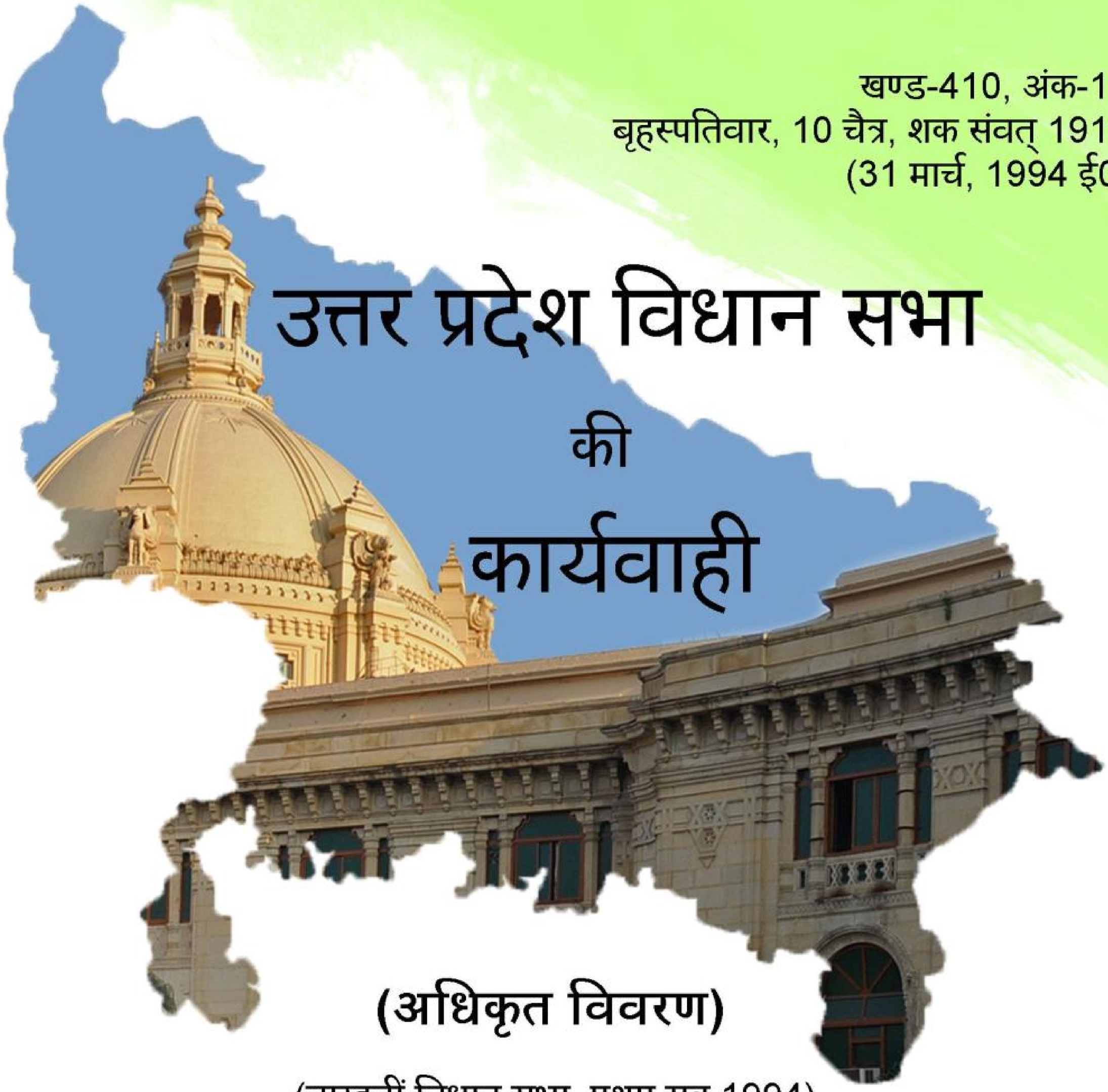

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 410 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रदेश के जिलाधिकारियों द्वारा विधायकों पर मुकदमे दर्ज करने विषय नियम 311 की सूचना पर श्री अधिष्ठाता द्वारा दी गयी व्यवस्था को श्री अध्यक्ष द्वारा परिवर्तित करके दिये गये निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध ...	1–5
मेरठ में दलितों पर हुए गोलीकाण्ड विषयक नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास	5
प्रश्नोत्तर	5–44
निधन के निर्देश से पूर्व अन्य मद पुकारे जाने पर व्यवस्था का प्रश्न ...	44
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों सर्वश्री सर्वजीत लाल वर्मा, दीप नारायण सिंह, ए० सी० ग्राइस, नन्हे लाल तथा कैप्टन राम गरीब के निधन पर शोकोद्गार ...	45-54
मेरठ में हुए गोली काण्ड विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को पहले लिये जाने की मांग (जारी)	54-55
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 (पारित)	55-75
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सं० 3) (सिविल खण्ड प्रथम) एवं (सिविल खण्ड द्वितीय) (पटल पर रखा गया)	75
वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1989-90 (पटल पर रखा गया) ...	75
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (संख्या–2) (राजस्व प्राप्तियां) (पटल पर रखा गया)	76
उत्तर प्रदेश पंचायती राज (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1991 (पटल पर रखी गयी)	76
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)... ...	76
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	76
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	77

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	77
जनपद आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक अकोला में स्थित ग्राम बसइया जैगारा पर खारी नदी पर बांध बनाये जाने के संबंध में याचिका (प्रस्तुत की गई)	77
मेरठ में हुए गोली काण्ड विषयक नियम 311 की सूचना लिये जाने की मांग (जारी)	78
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	78-80
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित)	80-81
मेरठ में हुए गोली काण्ड विषयक नियम 311 की सूचना को लिये जाने की मांग (जारी)	81-83
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	83-84
जिला गाजियाबाद के ग्राम अल्लाबक्सपुर के निकट बहादुर गढ़ रोड पर हुई जीप ट्रक दुर्घटना में गर्भवती महिला की मृत्यु संबंधी आख्या उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू अशोक नगर कालोनी के 100 मकान स्वामियों के नाम अनियमित रूप से वसूली प्रमाण पत्र जारी करने तथा अदायगी के अभाव में भवनों को तोड़े जाने के आदेश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद अल्मोड़ा के सरकारी व सहकारी आयुर्वेदिक कारखानों आई० एम० पी० सी० एल० मोहान तथा सी० डी० एफ० रानीखेत के आयुर्वेदिक निदेशालय द्वारा औषधि आपूर्ति के आदेश न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद वाराणसी के भदोही क्षेत्र में स्थित चौरी में पावर हाउस बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े एवं कमजोर वर्ग की बस्तियों के मध्य स्थापित होलिका दहन स्थल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
वाराणसी गोरखपुर व बुलन्दशहर के क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
उच्च प्राथमिक विद्यालय घेराघार दोगी टिहरी गढ़वाल के जिला परिषद् भवन निर्माण में सरकारी धन का दुरुपोग किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
मेरठ में पुलिस की गोली से पांच व्यक्तियों के मरने तथा साठ व्यक्तियों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 की सूचना ...	88
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	111-112
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	112
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	113
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) ...	113
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	114
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	114-115
मेसर्स जे० के० जूट मिल, कानपुर की अवैध बन्दी के कारण 4500 मजदूरों के बेरोजगार हो जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	115-116
वैश्य समाज की उपजातियों के समान ही दोसर उपजाति को भी पिछड़ी जाति में शामिल किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	116-117
नत्थियां	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 31 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अवधपाल सिंह यादव, श्री	एटा
उदय भान सिंह, श्री	आगरा
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
चन्द्र विजय सिंह	
उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
जगदम्बा, श्री	बस्ती
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
दरोगा, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
धर्मपाल यादव उर्फ	
डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री	बहराइच
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बी० आर० वर्मा०, श्री	आजमगढ़
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
महावीर सिंह, कुंवर	हरदोई
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर
माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मुक्तिनाथ, श्री	देवरिया
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
योगेन्द्र कुमार सागर, श्री	बदायूं
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेश कुमार, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू, श्री	गोण्डा
विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री	गोण्डा
वीरेश्वर उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
सरजीत सिंह डंग, डा०	मिर्जापुर
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 1994

(विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

जिलाधिकारियों द्वारा विधायकों पर मुकदमें दर्ज कराने विषयक नियम 311 की सूचना पर श्री अधिष्ठाता द्वारा दी गयी व्यवस्था को श्री अध्यक्ष द्वारा परिवर्तित करके दिये गये निर्णय पर पुनर्विचार करने पर अनुरोध

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सुन लीजिए ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने गुप्त जी को बुला लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दिनांक 24 मार्च, 1994 को इसी आदरणीय सदन में जिलाधिकारियों के द्वारा जो विधायकों के खिलाफ मुकदमें दायर किए जा रहे हैं, यह मामला नियम 311 के तहत सदन में उठाया गया था । उस समय माननीय ऊदल जी अधिष्ठाता के रूप में पीठासीन थे । श्रीमन् प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम–12 को देखें, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं इसका सारांश यह है कि अधिष्ठाता को वही शक्तियां होंगी जो पीठासीन होने पर अध्यक्ष को होती हैं । अधिष्ठाता आपके निर्देश में कार्य करते हैं उनको सब वही अधिकार हैं जो आपको हैं ऊदल जी ने व्यवस्था दी इसको आप देखें–

"श्री अधिष्ठाता–

मैं अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखता हूं, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने इंगित किया है कि एडवोकेट जनरल कई बार पहले भी यहां पर आए हैं, इसको मैं स्थगित करता हूं और सरकार को निर्देशित करता हूं कि इसके ऊपर व्यवस्था देने से पूर्व एडवोकेट जनरल को यहां पर बुलाकर उनकी राय जान ली जाए ।"

उसके बाद मान्यवर, आपने कृपा पूर्वक इस पीठ पर आने की कृपा की और उसी समय संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर तत्काल व्यवस्था को रद्द करके एक नई व्यवस्था दे दी । मैं आपको स्मरण दिलाने के लिए कह रहा हूं आपने व्यवस्था दे दी–

"श्री अध्यक्ष–

ऐसी स्थिति में मैं सूचना को निरस्त करते हुए और माननीय अधिष्ठाता जी के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए निर्णय देता हूं कि न तो एडवोकेट जनरल को सदन में बुलाने की कोई वैधानिकता शेष रह जाती है और न ही सरकार को अधिकारियों को मुकदमा न दायर करने का निर्देश देने का ही कोई प्रश्न उठता है ।"

मान्यवर, आपको पूरा अधिकार है व्यवस्था के पुनर्विचार के बारे में । श्रीमन् व्यवस्था के बारे में पूर्व दृष्टांत के बारे में बताना चाहूंगा यदि कोई मेजर डिसीजन अधिष्ठाता या उपाध्यक्ष से हो गया है तो उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है । आपको अधिकार है, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य होगी । मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं । अधिष्ठाता द्वारा दी गई व्यवस्था को बिना सुने तत्काल परिवर्तित किया जाएगा ऐसा पूर्व दृष्टांत नहीं है । श्रीमन्, आने वाले हजारों साल तक पूर्ण दृष्टगत काम करेंगे । अधिष्ठाता के अधिकारों का हनन होगा इस पर आप पुनर्विचार कर लें । इसमें पूरे सदन की राय है प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों ने सहमति प्रकट की थी । व्यवस्था को परिवर्तित करके एडवोकेट जनरल को बुलाना उचित समझें ? इस पर आप पुनर्विचार करने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कल शोक संवेदनायें व्यक्त की जा रही थीं । तो उचित नहीं था लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पहले सबको होली की बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, उस दिन ऐसी घटना घटी जिसने कई प्रश्न छोड़ दिए हैं । मान्यवर, इस सम्मानित सदन में जहां विधायकों की गरिमा की रक्षा होती है । हम लोगों ने दुख व्यक्त किया जिस प्रकार चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद हम लोगों से कहा जा रहा है जो दीवालों पर नारे लिखे हुए थे, उनको मिटाने के संबंध में, हमने कठिनाई बताई थी । शासन की ओर से यह कहा गया कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में विचार नहीं हो सकता है । यह विषय संवैधानिक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ था । इसलिए तत्कालीन अधिष्ठाता मण्डल से श्री ऊदल जी ने, जो सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं, उन्होंने एडवोकेट जनरल की राय लेने की बात कही थी । ताकि इस मामले का हल विधि सम्मत व विधि के अनुकूल हो । उसके बाद आप आए कदाचित आपको सम्पूर्ण तथ्य हम लोग नहीं बता पाए । हम लोगों के बताने के पहले ही वह निर्णय परिवर्तित हो गया । मैं समझता हूं कि यह सब बताने की आवश्यकता नहीं है आप को पूरा ज्ञान है आप विद्वान हैं ।

नियमावली के नियम 12 के अन्तर्गत अधिष्ठाता मण्डल का जब कोई सदस्य आसन पर आसीन होता है तो उनको वही अधिकार प्राप्त होते हैं, जो आपके होते हैं । यह सर्वविदित है कि उस आसन पर वही सदस्य आसीन होता है जिसे आप अधिग्रहीत करते हैं । आपने अधिष्ठाता मण्डल बना रखा है । उस समय वरिष्ठतम सदस्य श्री ऊदल आसन पर विद्यमान थे । इसलिए उनको भी वही अधिकार थे जो आपके हैं । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह प्रश्न सम्पूर्ण सदन का है । यह प्रश्न संविधान का है । यह प्रश्न संविधान के इन्टरप्रेटेशन का है यह प्रश्न ऐसा है जिससे चुनाव आयोग जो अभी तक मनमाने अधिकार प्रयोग करता रहा है उस पर अंकुश लगेगा । कोई परगनाधिकारी, जिलाधिकारी जिसके विरुद्ध हम आवाज उठाते हैं, जिसके अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, वह हमारे खिलाफ दीवारों पर नारे लिखाकर हम लोगों को अपने दायित्व का निर्वहन करने पर अंकुश लगाएगा ।

आप कभी नहीं चाहेंगे कि सदन के सम्मानित सदस्य आतंक के साए में जियें । इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें । क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब किसी निर्णय पर हम पहुंच जाते हैं और बाद में महसूस होता है कि इस निर्णय को बदला जा सकता है । या इसके बदले किसी दूसरे निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, तो उस पर हम पुनर्विचार करते हैं । आपकी पीठ ने कई बार पुनर्विचार किए हैं और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं । इस समय ऐतिहासिक घड़ी आई है ।

आप अपनी विनम्रता, अपनी योग्यता, अपने अनुभव के आधार पर पुनः विचार कर लें । यह प्रश्न सदस्यों के सम्मान से जुड़ा हुआ है । आपने जो निर्णय लिया है, वह उचित है, परन्तु इसके बाद इस पर जो निर्णय लेंगे वह इससे भी उचित होगा । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस निर्णय पर पुनः विचार कर लें । और कोई निर्णय पर पहुंचने से पहले कानूनी राय ले लें । और कानूनी राय लेने के बाद ऐसा कोई निर्णय दें, जिससे विधायकों के सम्मान में वृद्धि हो । और अधिष्ठाता मंडल के सदस्य के रूप में जब कोई सदस्य बैठे, तो उसके निर्णय के संबंध में सुरक्षा की गारण्टी हो कि उसके निर्णय को पुनः बदला नहीं जाएगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को एक गम्भीर विषय सदन के संज्ञान में लाया गया था नियम 311 के अंतर्गत व्यवस्था के वक्त अध्यक्ष पीठ पर हमारे वरिष्ठतम सदस्य श्री ऊदल जी बैठे हुए थे । उन्होंने उसको आग्रह्य कर दिया था । लेकिन बाद में हम लोगों ने व्यवस्था के रूप में एक सवाल उठाया था और उस सवाल का महत्व इतना अधिक था कि तमाम माननीय सदस्यों की एक राय बनकर आई चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष या सहयोगी दल हों, यह मामला बहुत गम्भीर है । संवैधानिक पहलू भी इससे जुड़ा हुआ है और कानूनी पहलू भी इससे जुड़ा हुआ है । इस विषय से इस सदन के माननीय सदस्यों के मान-सम्मान का मामला भी जुड़ा हुआ है और जब यह सवाल चल रहा था, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा भी था कि हमने कोई आदेश जिलाधिकारियों को नहीं दिया है कि मुकदमा कायम हो, फिर भी कुछ माननीय सदस्यों के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में एलेक्शन के दौरान दीवार पेंटिंग या पोस्टरों के बारे में मुकदमा कायम हो रहे हैं, इससे एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गयी है कि इलेक्शन समाप्त हो गया है, गवर्नमेन्ट यह कहती है कि हमने कोई ऐसा निर्देश जिलाधिकारियों को मुकदमा कायम कराने का नहीं दिया है । मान्यवर, मुकदमा कायम कराने के इस गम्भीर विषय पर जब माननीय ऊदल जी अधिष्ठाता के पद पर पीठासीन थे, जिनके अधिकार उतने ही रहते हैं, जितने अधिकार अध्यक्ष के उस पीठ पर बैठने पर रहते हैं । मान्यवर, आपने आने के बाद एक साथ निर्णय को बदल दिया । मान्यवर, मैंने ही यह राय दिया था कि महाधिवक्ता की राय ले ली जाय । श्रीमन् जो आपने निर्णय दिया था, उस पर कानूनी राय ले लें । उस पर पुनर्विचार कर लें ।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें, मैंने भी सूचना दी थी....

श्री अध्यक्ष–

नहीं, मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है। आप बैठें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन् यह प्रश्न घुमा-फिराकर कई बार आपके समक्ष आ चुका है। अब श्रीमन् जो पिछले दिनों आपने व्यवस्था दी थी, उस पर पुनर्विचार करने के लिए माननीय नेताओं ने आपसे अनुरोध किया है। श्रीमन् जो भी उस पीठ पर बैठते हैं और हम लोग भी और सभी लोग जनहित में यहां पर बैठते हैं और जनहित में आप अपनी व्यवस्था देते हैं। श्रीमन् इस पर किसी मान-सम्मान का प्रश्न ही नहीं है, सभी लोग यहां पर लोक हित में काम करते हैं, माननीय अधिष्ठाता ने जो रूलिंग दिया, वह भी लोकहित में दिया और आपने जो रूलिंग दी, लोकहित में दी है। श्रीमन् अगर कोई विवाद पैदा होता है, तो उसका अनुसरण करना हम लोगों का कर्तव्य है, उसी से निदान निकाला जा सकता है। श्रीमन् हमारी नियमावली में भी स्पष्ट दिया हुआ है, श्रीमन् 314 में दिया हुआ है कि अध्यक्ष का जो विनिश्चय होगा, वह अंतिम होगा और उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना हम सब लोगों के लिए मुनासिब नहीं है और श्रीमन् अध्यक्ष पीठ से भी पहले के निर्णय जो हैं, उसमें आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, जिसमें ऐसे विवाद इस विधान सभा में उपस्थित हुए हैं और उनका समाधान भी हुआ है। श्रीमन् हमारे पास एक संकलन है, अध्यक्ष पीठ के निर्णय का वर्ष 1952 से 1962 तक, इसमें पेज 11 पर यह दिया हुआ है कि उपाध्यक्ष अथवा अधिष्ठाता के निर्णय तात्कालिक निर्णय के रूप में तथा अध्यक्ष के निर्णय अंतिम निर्णय के रूप में माने जाते हैं। अध्यक्ष अपने अथवा उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता के निर्णयों को परिवर्तित कर सकते हैं।

श्रीमन् मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। श्रीमन् स्पष्ट रूप से हमारी नियमावली में और जो आपके द्वारा पूर्व में निर्णय दिए गए हैं, उनके अनुसार आप किसी भी निर्णय को बदल सकते हैं। श्रीमन् जहां तक अधिष्ठाता द्वारा दी गई रूलिंग का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि हर व्यक्ति लोक हित में काम करता है, लेकिन जो आपने निर्णय दिया है, वह लोक हित में दिया है और वह अंतिम है और यही हमारी नियमावली में व्यवस्था भी है। माननीय किरन पाल जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि जिलाधिकारियों को इस प्रकार के कोई निर्देश यहां से नहीं दिए गए हैं। अभी माननीय नेतागण ने जो आपसे अपनी रूलिंग को पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, उस पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वही निर्णय रहना चाहिए, जो आपने दिया है और वही निर्णय आज की स्थिति में प्रासंगिक भी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय उप नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता जनता दल, नेता कांग्रेस पार्टी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना और इस प्रकरण पर पुनर्विचार करते हुए मैं अपने निर्णय को सुरक्षित रखता हूं।

मेरठ में दलितों पर हुए गोलीकाण्ड विषयक नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरठ में दलितों पर गोलियां चलाई गई हैं वहां पर लोग दहशत और आतंकवाद के वातावरण में हैं । 60 आदमी गम्भीर रूप से घायल हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न हो जाने दें, तब सुनूंगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की स्थिति सुधारने की योजना

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने परिवारों का लक्ष्य निर्धारित है तथा किस योजना के तहत यह कार्य किया जायेगा ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार की गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को ऊपर उठाने की क्या नीति है । समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके लिए योजनायें बनायेंगे और उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठायेंगे । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की क्या कोई योजना है, तो इसका उत्तर आया है कि जी नहीं। दूसरा प्रश्न यह किया गया कि यदि हां तो उक्त योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने परिवारों का लक्ष्य निर्धारित है तो उत्तर आया कि प्रश्न नहीं उठता है । मैंने पूंछा कि क्या कोई योजना है, तो उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया कि जी नहीं, तो क्या यह सरकार अपने संकल्प से मुकर गयी है या इनमें विरोधाभास है सपा में उठाने का है और बसपा में कोई योजना नहीं है ?

श्री राज बहादुर–

माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, मैं बताना चाहता हूं कि गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाने की जो योजना है, आप लोगों को याद होगा कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके बहुमुखी विकास के

लिये बनायी थी और उसके तहत तो भी सरकारें आयी हैं, काम किया है । लेकिन बात यह है कि पूरे तरीके से उस योजना को लागू किया जा रहा है और माह जनवरी 1994 तक प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जाति के चार लाख उन्नीस हजार पांच सौ पचहत्तर परिवारों को लक्ष्य के समक्ष दो लाख सैंतालिस हजार एक सौ पच्चीस परिवारों को लाभान्वित किया गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें । यही माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि "जी नहीं" और फिर यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने...

श्री अध्यक्ष–

पहले आप उत्तर तो सुन लीजिए ।

श्री राज बहादुर–

मान्यवर, यह बिल्कुल सही जवाब है, उनको जैसे शहरों के लिए या देहातों में दुकानें बनवाकर, जो योजना बीस सूत्री कार्यक्रम की है जैसे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है यह ग्राम्य विकास विभाग से कार्यान्वित की जा रही है । आपने नई योजना चाही है तो इसमें नई योजना कोई नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर को दस्तखत करते हुए नहीं पढ़ा तो इसमें मेरा दुर्भाग्य नहीं है । मैं कोई और योजना नहीं पूंछ रहा हूं । मैं पूंछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोई योजना है तो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि इन्दिरा गांधी जी ने जो प्रोग्राम चलाया था उसको बता रहे हैं और अपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि जी नहीं, मैंने पूंछा था कि कितने परिवारों का लक्ष्य है तो यह कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता है तो आप स्वयं देख लीजिए कि उत्तर क्या आया है और अब यह अनुपूरक में क्या उत्तर दे रहे हैं । कम से कम इस सदन में स्पष्ट उत्तर आना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो आपने उत्तर दिया है लिखित उसके अनुरूप अब आगे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । पहले कह दिया कि जी नहीं । उनका प्रश्न था कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है आपने कहा कि "जी नहीं", उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि हां, तो उक्त योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने परिवारों का लक्ष्य निर्धारित है तथा किस योजना के तहत यह कार्य किया जायेगा आपने कहा कि "प्रश्न नहीं उठता" तो यह ठीक ही है तो अब कोई अनुपूरक पूंछेगा...

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यहां पर हमें आपका संरक्षण चाहिए । हम प्रश्न पूंछ रहे हैं कि कोई योजना विचाराधीन है, माननीय मंत्री जी ने कहा "जी नहीं" और आगे लिखा है कि प्रश्न नहीं उठता अब अपने अनुपूरक उत्तर में माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी जी का 20 सूत्री कार्यक्रम है उसको लागू करके हम गरीबों को ऊपर उठा रहे हैं और 94 तक का लक्ष्य है । तो मान्यवर, विशेषाधिकार की अवहेलना हो गयी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह मैं पढ़ देता हूं आप देख लीजिएगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इनके पास कोई योजना नहीं है लेकिन माननीय मंत्री जी बताने लगे कि हमारे पास इतनी इतनी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का यह लक्ष्य है तो श्रीमन्, विशेषाधिकार तो हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपके प्रश्न को स्पष्ट किये देता हूं, शायद माननीय मंत्री जी आपको संतुष्ट कर देंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी से स्पष्ट करा दें कि इस सरकार की क्या नीति है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न था कि गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है, जी नहीं, तो माननीय मंत्री जी यह बता दीजिएगा, आपने उत्तर दे दिया कि "जी नहीं" कोई योजना नहीं है तो क्या इसके बाद में अब कोई योजना ऐसी चालू करेंगे जिससे गरीबी की रेखा से लोग ऊपर उठ सकें ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, प्रश्न देख लें, मान्यवर गरीबी की रेखा के नीचे जो गुजर-बसर कर रहे हैं उनको उनसे ऊपर लाने के लिए हर सरकार प्रयास करेगी ही । मान्यवर, यह जो प्रश्न किया गया है यह अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए है, जो गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने का काम है वह सब गरीबों के लिए होता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब में कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए कोई राजनीतिक भेद की बात नहीं है, सभी सरकार करती हैं । जो लिखित उत्तर है उसमें है कि कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है । आज कोई योजना विचाराधीन नहीं होगी लेकिन वर्तमान सरकार गठित होने से

आज तक क्या आपने कोई योजना तैयार करके लागू कर दी है । इसलिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है, क्योंकि कोई योजना पूरी हो चुकी है । क्या कोई योजना बनाकर कार्यान्वित कर दी है ? यदि ऐसा नहीं है तो भविष्य में कोई योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री राजबहादुर–

मान्यवर, जो प्रश्न था कि विचाराधीन है या नहीं, इसलिए कहा कि जी नहीं और जब विचाराधीन नहीं है तो प्रश्न नहीं उठता । गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसके लिए समय-समय पर बजट में प्राविधान रखा गया है । अब इसमें जैसा साथियों ने चाहा है. . .

श्री जगदम्बिका पाल–

दो योजनाएं आपने बतायीं. . . .

श्री राज बहादुर–

जो आपका सवाल था कि विचाराधीन है, उसमें कहा गया कि विचाराधीन तो कोई नई योजना नहीं है । लेकिन जो उनके बजट का प्राविधान होता है, उसमें जो गरीबी कम होती है, अब गरीबी तो घटती बढ़ती रहती है । ऐसा तो नहीं कि 4 लाख का लक्ष्य पूरा कर दिया तो उसके बाद नहीं पैदा होगी गरीबी । समय-समय पर जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनको पूर्ण करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त की ओर बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से उत्तर कम्प्लीट है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह तय समझा जाय, उत्तर से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन नहीं है और न बनाई है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने स्वीकार कर लिया कि आपकी मौजूदा सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए कोई नई योजना नहीं बनाई है, इसके लिए बधाई दे रहा हूं । दूसरी बधाई यह है कि स्वर्गीया इन्दिरा जी ने जो कार्यक्रम चलाए उसको ईमानदारी से आप पूरा करना चाहते हैं इसके लिए दूसरी बधाई देना चाहता हूं । तीसरी बात मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं चूंकि इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की लगभग 30 प्रतिशत के आस-पास आबादी है, इसलिए सदन में यह स्पष्ट करेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिये सम्पूर्ण बजट का कम से कम 30 फीसदी अनुसूचित जाति और जनजाति पर आप खर्च करेंगे ?

श्री राजबहादुर–

इसके लिए तो बजट पेश हुआ है, पूरा बजट खर्च किया जायेगा, जो विभाग की मदें हैं ।

श्री अध्यक्ष–

देखिये उत्तर तो आ गया है। अब आप अंतिम प्रश्न पूछ लें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं, अभी चूंकि इन्होंने नाम लिया बीस सूत्रीय कार्यक्रम का तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए जिले में जो 20 सूत्रीय समिति बनाई गयी थी क्या उसे दोबारा पुनर्जीवित करते हुए प्रभावी ढंग से लागू कराने की घोषणा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य क्या आप इससे संतुष्ट नहीं हैं कि सारे बजट में ही यह प्रयास किया गया है कि गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाये। इसमें यह प्रयास किया गया गया है फिर उसके बाद क्या रह जाता है। माननीय मंत्री जी जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है उसका जवाब दे दें।

श्री राज बहादुर–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है तो जो भी कमेटी बनी थी या बननी है, जो कमेटी काम करने वाली नहीं है तो क्या उसकी जरूरत है। उसमें तो नयी कमेटी बनायी जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है। यह सरकार गरीबों के हितों के खिलाफ कार्य कर रही है। वह पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कोई नयी योजना बनाने में विफल रही है। इसलिए मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल व अन्य कांग्रेस दल के सदस्य सदन का त्याग कर चले गए)

(व्यवधान)

(अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इनके पूरे दल का बहिष्कार अभी नहीं हुआ है। घड़ियाली आंसू बहाने वाले तो चले गये हैं।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

[xxx]

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

पुलिस अत्याचारों के रोकथाम के लिए विशेष जांच प्रकोष्ठ के गठन की मांग

**2–श्री हृदय नारायण तथा श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अत्याचारों को रोकने के लिए किसी "विशेष जांच प्रकोष्ठ" का गठन सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके उद्देश्य व रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अवगत है कि पुलिस अत्याचारों की शिकायतों की जांच के अधिकारी प्रायः वही होते हैं जो अधीक्षण के कार्य में संलग्न होने के कारण अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बचाव की नीति अपनाकर जांच टालते हैं और निष्पक्ष जांच नहीं करते ? यदि हां, तो सरकार की पुलिस अत्याचारों को रोकने के सम्बन्ध में कार्य योजना क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

आवश्यकतानुसार प्रभावी निर्देश दिये जाते हैं ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, एक लम्बे अर्से से कोई पन्द्रह बीस साल से उत्तर प्रदेश में पुलिस बड़ी बर्बरता से लोगों को पीटती है । मान्यवर, आप तो अवगत ही हैं कि पुलिस एक सशक्त बल है और पुलिस कस्टडी में कई लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा है और इसी संबंध में मैंने बड़ा ही सुझावात्मक प्रश्न किया था कि क्या पुलिस अत्याचारों को रोकने के लिए किसी "विशेष जांच प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है तो उत्तर आया जी नहीं । मान्यवर, आज जो दरोगा की शिकायत होती है, तो उसकी जांच आप एक दरोगा द्वारा या उससे बड़े अधिकारी के द्वारा करवाते हों । आप तो जानते ही हैं कि इन लोगों में आपस में रिश्ते होते हैं । तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो पुलिस अत्याचार पिछले दस, पन्द्रह सालों से बढ़ रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए मैंने जो सुझावात्मक प्रश्न किया है कि क्या किसी "विशेष जांच प्रकोष्ठ" का गठन किया है अगर नहीं करना चाहती तो क्या और किसी प्रकार के सेल को बनाये जाने के संबंध में सरकार विचार करेगी ?

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह अवधारणा ही गलत है कि पुलिस अत्याचारों के लिए है, पुलिस अत्याचारों को रोकने के लिये है, अतः इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मैं तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई विशेष गठन कर दें, इससे इन्हीं को मदद मिलेगी क्योंकि पुलिस अत्याचार की घटनायें आजकल के जमाने में जिस तरह से बढ़ रही हैं और उन अत्याचारों की घटनाओं की जांच पुलिस विभाग के उसी अधिकारी के ऊपर के अधिकारी को दी जाती है । ऊपर के अधिकारी और नीचे के अधिकारी में जो रिश्ता होता है, उसके चलते सही मायने में वह निष्पक्ष जांच नहीं कर पाता और निष्पक्ष जांच न होने के कारण पुलिस का मनोबल बढ़ता है और अत्याचार भी बढ़ते हैं तो माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी के प्रश्न पर शासन को विचार करना चाहिए कि पुलिस के अत्याचारों को रोकने के लिए कोई इस तरह का गठन होना चाहिए । उत्पीड़न, अत्याचार की और अभिरक्षा में हुई हत्याओं की जांच किसी निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा कराने के लिए सरकार को विचार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसा करने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, हमने पहले ही कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । पुलिस अत्याचारों को रोकने के लिए होती है । पुलिस के लिए कोई अलग जांच प्रकोष्ठ बनाया जाय, इसकी कोई अच्छी छवि लोगों में नहीं जाएगी । जब भी कोई इस तरह की कर्तव्यहीनता की बात होती है, उसके लिए कठोर दण्ड का प्राविधान भी है, समय-समय पर इसके लिए निर्देश भी दिये जाते हैं । जैसे भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, उसके लिए राजाज्ञा है । श्रीमन् इसी तरह महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए कठोर कार्यवाही के निर्देश हैं । पुलिस अभिरक्षा में किसी की मृत्यु हो जाती है, उस संबंध में भी राजाज्ञा है, जो जारी भी की जा चुकी है । श्रीमन् इसी तरह से पुलिस द्वारा जनता के साथ मारपीट की जाती है, उस संबंध में भी आदेश हैं कि इस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जाय लेकिन अलग से जांच प्रकोष्ठ की बात, यदि की जाय तो यह कतई मुनासिब नहीं है, न इसकी आवश्यकता है, न यह जनहित में होगा ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, पुलिस के द्वारा जो घटनायें घटती हैं, उसके निस्तारण में बड़ा सिरदर्द होता है । उसमें हालात यह होते हैं कि उसी स्तर के अधिकारी जांच करते हैं, बाहर से इतना दबाव डाला जाता है कि गांव के लोग टूट जाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई समय सीमा 6 महीने या साल भर निश्चित की जायेगी, जिससे इस अवधि में मामला निस्तारित हो जाय और लोगों को न्याय मिल सके तथा पुलिसकर्मी दण्डित किए जा सकें ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, व्यवस्था हमने बता दी । हर प्रकार की पुलिस शिकायतों के निस्तारण के लिए जो राजाज्ञायें हैं, उनके परिपालन करने के लिए निर्देश दिये जाते हैं । फिर भी उक्त जो आदेश हैं, उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाय तथा शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण हो, इस तरह के निर्देश दे दिये जायेंगे ।

(श्री हृदय नारायण का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अतीक अहमद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के समय कोई व्यवस्था नहीं । मैंने प्रश्न के लिए श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को बुला लिया है । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, लिखा नहीं जायेगा । आप आसन ग्रहण करें ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, हमारी चिन्ता और जो अन्य माननीय सदस्य सवाल कर रहे हैं उनकी चिन्ता इस बिन्दु की तरफ है कि पुलिस के लोग जहां कहीं अत्याचार करते हैं, उनकी जांच के समय अन्य विभागों की तरह प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती है, इस आदरणीय सदन में अफजाल अंसारी साहब का प्रकरण उठाया गया था । जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे विधायक श्री अफजाल अंसारी के परिवार के साथ बहुत बड़ा पुलिस अत्याचार हुआ था और माननीय वर्मा जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने यह सवाल उठाया था । इसमें तमाम अधिकारियों द्वारा जांच की गयी । यह मसला अब भी चल रहा है और इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस मारपीट करती है, लोगों को विकलांग कर देती है, हत्यायें हो जाती हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस नाम से नहीं किसी अन्य नाम से कोई एजेंसी अत्याचारों को रोकने के लिए बनाने पर सरकार विचार कर रही है ऐसी स्थिति में जबकि श्री अफजाल अंसारी का उदाहरण मैंने दे दिया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि पुलिस अत्याचारों को रोकने के लिए होती है, उसके लिए कोई प्रकोष्ठ गठित करना एक बड़ा मजाक होगा । इस संबंध में जो पहले से निर्देश हैं वह पर्याप्त हैं । यदि कोई कर्तव्यहीनता करता है तो उसके लिए पहले से ही निर्देश दिए गए हैं । उनको अनुस्मारक के रूप में दोबारा फिर भिजवा दिया जायेगा कि इस प्रकार की कर्तव्यहीनता या ऐसा आचरण पाया जाता है तो जो प्राविधान है उसके अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम विष्णु आजाद–

[x x x]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जायेगा । कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें । अन्य माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जायेगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अफजाल अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दे दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । (व्यवधान)

श्री अफजाल अंसारी–

मान्यवर, आप पीठ पर बैठे हैं, हमें संरक्षण दें (व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, आप पीठ पर बैठे हैं, हमें संरक्षण दें (व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, अपने सदस्यों को रोकिए, यह शान्ति बनाए रखें, उनको आप अनुशासित कराइयेगा, अपने दल के सदस्यों को (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

दल के सदस्यों को अनुशासित करने का काम दल के नेता करेंगे । लेकिन इस पीठ पर बैठे व्यक्ति से जायें तो उसे कौन अनुशासित करेगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप हर रोज गलत रूप से आरोपित करते हैं । आप स्वयं इस चीज को देखें । जब आप उपाध्यक्ष थे, मैं सदस्य था, मैंने आपको देखा है क्या किया करते थे ? आज आप जो कह रहे हैं, यह कहां लिखा हुआ है, किस नियम में लिखा हुआ है जो आप हर समय व्यवस्था का प्रश्न उठा देते हैं । आप हमेशा गलत तरीके से व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं । (व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न को संज्ञान में ले लिया है ?

श्री अध्यक्ष–

जो आप कहेंगे, वह नहीं चलेगा । पंचों का निर्णय सर्वमान्य होता है । (व्यवधान) ऐसा नहीं है, सदन नियम से चलेगा । (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या आपने उसे संज्ञान में ले लिया है ?

श्री अध्यक्ष–

सारा सदन नियम से चलेगा, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री उदल–

मान्यवर, माननीय अंसारी जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनको अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपको अनुमति दूंगा, तो क्या सबको अनुमति दे दूं ?

श्री अफजाल अंसारी–

एक महत्वपूर्ण प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप स्वयं देखें, कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें कोई दूसरा जब चाहे खड़े हो जायं (व्यवधान) यह कहां का नियम है ?

श्री राम विशुन आजाद–

5 लोग मारे गए हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे सुनूंगा, अलग से सुनूंगा, सदन को शान्ति से चलने दीजिए, प्रश्न काल जब समाप्त होगा अलग से दीजिए मैं सुनूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

यह जो प्रश्न था सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पूछा था, राज्य में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा हो रहे हैं, पुलिस के द्वारा आम जनता पर अत्याचार हो रहे हैं इसे सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे हैं इसलिए यह और गम्भीर हो जाता है । पुलिस के द्वारा ज्यादती हो रही है इसीलिए यह गम्भीर विषय है । इसलिए उस पर मा0 सदस्य गम्भीरता से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अलग से जांच करायेगी ? जैसे कि दूसरे देशों में व्यवस्था है कि यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन कहीं होता है तो दो-तीन जांचें होती हैं उसी प्रकार क्या अलग से जांच करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह विषय गम्भीर है इसलिए इधर या उधर के मा0 सदस्यों में इसमें कोई मतभेद नहीं है । पुलिस के जुल्म हम सभी झेलते हैं और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है वह सही है कि दलितों पर जुल्म ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए इस पर कृपा करके नियम 49 में चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

लिखकर दे देंगे कि नियम 49 में चर्चा करा दें, तो देख लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, हम लोगों को आपका संरक्षण चाहिए, मैं कोई चर्चा नहीं चाहता हूं लेकिन एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं जिसे आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बता दें कि कितने अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे ?

श्री अफजाल अंसारी–

मान्यवर, मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दें । मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि पुलिस की जो ज्यादतियां होती हैं उसकी जांच के लिए अलग से कोई सेल स्थापित करने की व्यवस्था नहीं है, चूंकि पहले से जांच के लिए प्राविधान है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्य अलग से नई टीम जांच हेतु बनाने की मांग कर रहे हैं, तो उसके संबंध में और मेरा घर जो पुलिस द्वारा लूट लिया गया था और मेरी पत्नी एवं पिता को पुलिस द्वारा मारा गया था जिसकी यहां सदन में चर्चा हो चुकी है और अध्यक्ष पीठ से जांच का आदेश हुआ था तो मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जांच किया और जांच रिपोर्ट शासन को भेज दिया तथा श्री राज्यपाल महोदय ने उसे स्वीकृत कर लिया और आश्वासन भी आया कि कार्यवाही हो रही है लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि अच्छे-अच्छे पदों पर उनकी नियुक्ति की गयी है जैसे कि उस टीम के सी0 ओ0 के प्रमोशन की फाइल शासन में विचाराधीन है ।

अतः प्रश्न है कि पहले से प्राविधान है कि दोषी लोग जो पाए जायेंगे उनको दण्डित किया जाएगा तो मेरे मामले में पुलिस की टीम जो दोषी पाई गई है ? उसमें उनके प्रमोशन की फाईल जो चल रही है, यहां शासन में चल रही है, उसको रोका जाय । यह भी आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस घटना पर क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जैसा सवार होता है, उस पर वैसा घोड़ा चलता है । अफजाल अन्सारी का प्रकरण इनके वक्त का है...

(व्यवधान)

श्री उन्दल–

यह बहुत आपत्तिजनक बात है, यह प्रश्न को टालने वाली, उसकी गम्भीरता को कम करने वाली बात है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

तहले पूरा उत्तर सुनोंगे कि नहीं....(व्यवधान) हमको उत्तर देने का भी अधिकार है । हम तो अभी खड़े हैं और उत्तर दे रहे हैं । हम बैठ जाएं तभी आपको प्रश्न करना चाहिए....(व्यवधान) यह कोई उत्तर सुनना नहीं चाहते ।

(व्यवधान)

हमारी सरकार जब से बनी है पूरे प्रदेश में यदि पुलिस कहीं कर्तव्यहीन बन जाती है तो उसमें बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने में हमारी सरकार ने कभी कोई संकोच नहीं किया है । सरकार प्रभावी कदम उठाती है, उसमें पुलिस अत्याचारों पर रोक लगती भी है । अन्सारी साहब का प्रकरण इस सरकार के समय का नहीं है, न उससे कोई संबंध है फिर भी उसमें जो भी होगा, उसमें शीघ्रता से कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अफजाल अन्सारी–

बी0 जे0 पी0 गवर्नमेंट ने तो मामले में जांच के आदेश दिये थे और शीघ्रता से उसने कारगर जांच कराई भी थी और उसके दोषी अधिकारियों की फाईलें इस शासन में प्रमोशन के लिए चल रही हैं (भाजपा पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गईं) मुलायम सिंह यादव ने उस दिन यहां चर्चा के दौरान इस पर कहा था कि इस घटना की जांच हो और दोषी लोग दंडित किए जाएं, लेकिन अब उस दिशा में उनके समय में कुछ नहीं इस पर हो रहा है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह विषय, उस मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसकी तो इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए थी । उस समय पूरे विपक्ष ने इस मसले को उठाया था और इनकी सरकार पर दबाव डलवाया था, तब जांच हुई थी और इन्हीं लोगों ने भाजपा वालों ने उनका घर लुटवाया था और आज वही लोग इसमें शेम-शेम कह रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहूंगा कि माननीय अफजाल अन्सारी के प्रकरण पर पुलिस के जो भी कारनामें थे, उसकी जांच न्यायिक जांच आयोग ने की और उसने जांचोपरान्त अपनी संस्तुति भेजी और संस्तुति का अनुमोदन राज्यपाल महोदय ने किया और अब यह मामला शासन में पड़ा हुआ है, तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो भी दोषी पुलिस अधिकारी हैं, रिपोर्ट में जो साबित हुए हैं, उनकी प्रोन्नति के मामले में वह रोक लगा देंगे और उनको दंडित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह प्रश्न और उनके अनुपूरक प्रश्न देख लिये जाए, उनका कोई औचित्य नहीं है । जो सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी है उसको सरकार पूरा करेगी । इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके संदर्भ में । इस तरह प्रश्न का अधिकार सदस्य को बन जाता है, इसलिए मंत्री जी यह कह कर मुकर जाएं कि इससे संबंधित नहीं है, यह उचित नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम अपनी वैधानिक जिम्मेदारी पूरी करेंगे, यह हमने कह दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो कार्यवाही शासन कर सकता है, जो शासन की ओर से घोषणा की गई, उसी के अनुसार जांच की गई और इतने गम्भीर प्रकरण पर, जिसमें पुलिस अधिकारी दोषी साबित हो जाएं और न्यायिक जांच आयोग के द्वारा कर दिए जाएं, फिर भी शासन उसमें अपनी जिम्मेदारी से करना चाहे, तो इसका औचित्य नहीं बनता है । इनको घोषणा करनी चाहिए कि न्यायिक आयोग द्वारा जो अधिकारी दोषी पाए गए हैं, उनको दण्डित करने की कार्यवाही एक निश्चित समय में की जायगी ।

श्री उदल–

मेरी बात श्रीमन् सुन लें । मैं उसी उत्तर के संदर्भ में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकारों का बहाना लेकर वह कुछ कह रहे थे । मैं उससे सहमति नहीं प्रकट करता हूं । अभी दिसम्बर में जब विधान सभा की बैठक हुई थी तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जितने लोग दोषी हैं, आयोग की रिपोर्ट आ गई है और राज्यपाल ने भी संस्तुति दे दी है, उस पर जो भी कार्यवाही हो सकेगी हम करेंगे । अभी माननीय अंसारी जी का कहना आपने भी सुना वह कह रहे थे कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि उनकी पदोन्नति की जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद जो कि पिछली बैठक दिसम्बर में हुई थी उसमें कह दिया गया था कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी उसको देखते हुए सरकार समयबद्ध तरीके से उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमने अभी भी कहा है कि हम कार्यवाही करेंगे । कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी । जो नेता सदन ने आश्वासन दिया था, उसका अक्षरशः पालन किया जायेगा । जो प्रश्न अभी किया गया है वह इससे संबंधित नहीं था अगर इसमें संबंधित प्रश्न पूछा गया होता तो हम पत्रावली मंगाकर उसका सही-सही जवाब दे देते । विधिक जिम्मेदारी को पूरा करने में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पिछली सरकार का हवाला दिया । मान्यवर, जो हुआ था, हमने किसी चीज को छुपाया नहीं । जांच कराने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया, उसकी रिपोर्ट आ गई उसके बाद अब उस रिपोर्ट के अनुसार दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की जिम्मेदारी आपकी

हैं । हम मानते हैं कि अत्याचार हुआ इसीलिए हमने न्यायिक आयोग द्वारा जांच करवाई । मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर जैसा कि आपने नियम–49 में चर्चा कराने की अनुमति दे दी है । इसे लिखित रूप में आपको दे दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अभी अनुमति कैसे दे सकता हूं ? मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप कृपया करके ऐसी व्यवस्था कर दें, कि इस पर चर्चा करा ली जाय ।

श्री धेनी प्रसाद वर्मा–

चर्चा कराने का सवाल ही नहीं होता है, इसकी स्वीकृति नहीं हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह विषय वास्तव में गम्भीर है । मान्यवर, ऐसा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिससे पुलिस जुल्म के बारे में समय-समय पर जांच होती रहे । पुरानी सरकार का हवाला देकर सरकार बच नहीं सकती है । उन दोषी पुलिस कर्मचारियों को संरक्षण देने का काम न करें उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप केवल दल वालों को सुन रहे हैं । मैं निर्दलीय हूं, मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सबको सुना है, आपको भी सुनूंगा । प्रमोद तिवारी जी को सुन लूं । उसके बाद आपको बुला लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह विषय गम्भीर है और इस पर आपने सबको अनुपूरक प्रश्न करने का मौका भी दिया । यह घटना उस समय हुई थी जब गुप्ता जी की सरकार थी और इस जुल्म के खिलाफ सबसे पहले वर्मा जी, अहमद जी और हम लोगों ने आवाज उठाई थी । इनका यह कहना गलत है कि न्यायिक आयोग से जांच की घोषणा इन्होंने की थी । इनका इरादा नहीं था यह तो उस समय इस पीठ पर केशरी नाथ जी बैठते थे उन्होंने सरकार के खिलाफ न्यायिक जांच की घोषणा की थी । उस समय किसी विधायक पर जुल्म की इन्तेहा हुई थी । इसलिए इस सम्मानित पीठ से यह निर्णय हुआ था । एक प्रश्न पूछना चाहता हूं न्यायिक रिपोर्ट आ गई है इसके अनुसार दोषी व्यक्ति चिन्हित कर लिए गए हैं जो दोषी व्यक्ति चिन्हित हुए हैं उनके विरुद्ध तत्काल एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने की कार्यवाही तथा क्षतिपूर्ति की कार्यवाही करने का आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री धेनी प्रसाद वर्मा–

जल्दी से जल्दी वैधानिक कार्यवाही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की जाएगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

वर्मा जी पता नहीं किससे घबरा रहे हैं ? वैधानिक कार्यवाही के प्रथम चरण में रिपोर्ट का परीक्षण कराया जा रहा है । श्रीमन्, विलम्ब से दिया गया न्याय, न्याय नहीं होता है । न्याय तत्काल नहीं होता है तो उसकी कीमत होती है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा यह सम्मानित सदन के सदस्य का मामला है आप चिन्हित हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराकर क्षतिपूर्ति कराकर आप ऐसी परम्परा कायम करें ताकि किसी की हिम्मत किसी सम्मानित सदस्य को जलील करने की न पड़े ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसकी पत्रावली यहां नहीं है इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । यह कोई क्लास तो है नहीं, कि बच्चों को मारपीट कर बैठाल दें ।

(व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । सब माननीय सदस्य किसी न किसी दल के हैं कुछ निर्दलीय हैं । मैं आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन विधायकों को लग रहा है कि इस तरीके से सदन चलाया जा रहा है हम लोग [x x x] । मेरा निवेदन है आप निर्दलियों को भी उतना समय दें । मैं क्षमा चाहता हूं यदि आपकी गरिमा को कोई ठेस लगी हो ।

श्री अध्यक्ष–

यह आरोप नहीं लगेगा ।

(व्यवधान)

इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री अतीक अहमद–

यह भावना है, आरोप नहीं है ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, आप हम लोगों को बाहर करवा दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं किसी को नहीं सुना जाएगा ।

(व्यवधान)

कोई बात नहीं सुनी जाएगी ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अतीक अहमद–
[x x x]

श्री अध्यक्ष–
मैं कोई अनुमति नहीं दूंगा। ऐसे नहीं होगा।
(व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–
[x x x]

श्री राम आसरे वर्मा–
[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–
व्यवधान के नाम पर अव्यवस्था न करें। कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।
(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–
[x x x]

श्री अध्यक्ष–
कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अतीक अहमद–
[x x x]

श्री इन्द्र भद्र सिंह–
[x x x]

श्री राम आसरे वर्मा–
[x x x]

श्री अध्यक्ष–
मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(इस समय 12 बजकर 11 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी)

(व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

ओला वृष्टि से प्रभावित ग्रामों को आर्थिक सहायता हेतु क्षति के आंकलन की वर्तमान नीति में संशोधन की मांग

*1—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों को आर्थिक सहायता दिए जाने विषयक 50 प्रतिशत से अधिक क्षति के आकंलन की वर्तमान नीति का पुनर्निर्धारण करेगी ? यदि हां, तो वह नीति क्या होगी एवं कब तक लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो ओलावृष्टि के फलस्वरूप किसी ग्राम के आधे से कम भाग के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी किसी-किसी किसान को 100 प्रतिशत तक की क्षति होने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार की क्या नीति होगी ?

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार ओलावृष्टि से क्षति के लिए क्षतिपूर्ति नहीं करती वरन राहत उपलब्ध कराती है । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार रबी की समस्त बोयी गई तैयार खड़ी, फसल मटर, गेहूं, चना, गन्ना, अरहर, मसूर, सरसों, लाही को मिलाकर 50% से अधिक की क्षति की दशा में 300 रु0 प्रति एकड़ अधिकतम 1500 रु0 की राहत सहायता किसानों को दी जाती है । अतः किसी ग्राम के आधे से कम भाग के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उपरोक्त नीति के अनुसार पात्रता के आधार पर प्रभावित किसानों को उक्त राहत सहायता उपलब्ध करायी जाती है । रबी की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने की दशा में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 268 एवं सम्बन्धित नियम 293 के अन्तर्गत भू-राजस्व में छूट दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है, जिसके अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर शत प्रतिशत छूट दी जाती है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता तारांकित प्रश्न ।]

प्रदेश में पंजीकृत वृद्धावस्था पेंशन धारकों की संख्या तथा इसके वर्तमान वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग

*1—श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने वृद्धावस्था पेंशन धारक पंजीकृत हैं ? उनमें से वाराणसी में कुल कितने हैं और इन्हें कब तक की पेंशन दी जा चुकी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि नियमित पेंशन न मिलने

से पेंशनधारकों को घोर कष्ट में जीवन यापन करना पड़ रहा है ? वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार द्वारा नियमित पेंशन वितरण हेतु कोई कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

दिनांक 31-12-93 तक प्रदेश में जीवित पेंशनरों की संख्या 6,04,002 थी। जनपद वाराणसी में कुल वृद्धावस्था पेंशन धारकों की संख्या 32,889 है । इनमें से 20513 का जनवरी, 92 से मार्च, 92 तक तथा 4144 का जनवरी, 93 से मार्च, 94 तक का भुगतान हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ।

वर्तमान प्रक्रिया उपयुक्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[गुरुवार, दि0 31 मार्च, 1994 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*2–श्री निरवेन्द्र कुमार 'मुन्ना'–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

मृत व्यक्ति के वारिसान के उत्तराधिकार संबंधी दाखिल खारिज के निर्विवाद मामलों के निस्तारण हेतु कर्मचारियों को दिए गए अधिकारों का विवरण

*3–श्री प्रेम सिंह तथा श्री समर पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृत व्यक्ति के वारिसान के उत्तराधिकार संबंधी दाखिल खारिज के निर्विवाद मामलों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा जो विशेष अभियान दिसम्बर, 1993 से चलाया गया है उसमें राजस्व विभाग के किस-किस कर्मचारी को क्या अधिकार प्राप्त हैं ? क्या इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बाबू राम यादव–

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33 ए में निर्विवाद उत्तराधिकार के मामले में हल्के के पर्यवेक्षक कानूनगो को जांच के बाद नामान्तरण दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है ।

जी हां ।

शासन के टेलेक्स दिनांक 6-12-93 एवं शासनादेश संख्या-2907/एक-1-93-1-1(54)/1991-186, दिनांक 7-12-1993 में यह निर्देश भेजे गए हैं कि अभियान अवधि में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाय व अभियान समाप्त पर सूचना भेजी जाय ।

गृह उद्योग लीसा उत्पादन सहकारी समिति, कोटद्वार, गढ़वाल एवं डी0सी0डी0एफ0, मुनिकीरेती को पी0 सी0 एफ0, हल्द्वानी से जोड़ने की मांग

*4–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि गृह उद्योग लीसा उत्पादन सहकारी समिति, कोटद्वार, गढ़वाल एवं डी0 सी0 डी0 एफ0, मुनिकीरेती लीसे पर आधारित इकाइयां जिन्हें वर्ष 1954 से नियमित रूप से लीसा आवंटित होता आ रहा है ? क्या लीसा आवंटन के लिए बनी "धर समिति" एवं "वैध समिति" उक्त इकाईयों को लीसा आवंटन के लिए पी0 सी0 एफ0, हल्द्वानी के साथ वर्गीकृत किया है ? यदि हां, तो शासन सं0–6321/14-2-93/500-(6)-1993, दि0 30 सितम्बर, 93 के तहत पी0 सी0 एफ0, हल्द्वानी से अलग कर व्यक्तिगत इकाइयों के साथ खुली नीलामी में लीसा खरीदने के आदेश का क्या औचित्य है ? क्या शासन पुनः उक्त इकाईयों को पी0 सी0 एफ0, हल्द्वानी के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वनमंत्री (श्री भगवती सिंह)–

वर्ष 1979-80 से पूर्व प्रश्नगत इकाइयों को लीसे का आवंटन मण्डलायुक्त, गढ़वाल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता था । वर्ष 1979-80 से 1992-93 तक लीसे का आवंटन शासन द्वारा किया गया है ।

जी हां ।

पी0 सी0 एफ0 की हल्द्वानी इकाई द्वारा राजकीय दायित्वों का निर्वहन किए जाने की भूमिका के दृष्टिगत अन्य सहकारी इकाइयों से इसे पृथक करके राजकीय इकाइयों (गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूं मण्डल विकास निगम) के साथ लीसा आवंटन हेतु जोड़ा गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश दिनांक 30 सितम्बर, 93 द्वारा प्रवर्तित नई लीसा आवंटन नीति के विरुद्ध दायर रिट याचिकाएं मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण मामले में विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

ग्राम बरवा राजापाकड़ तथा धुरिया विजयपुर तहसील तमकुही, जिला देवरिया की सीलिंग की भूमि को पट्टा दिए जाने में हुई अनियमितता को दूर करने की मांग

*5–श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरवा राजापाकड़ तथा धुरिया विजयपुर, तहसील तमकुही, जिला देवरिया में चीनी मिल की सीलिंग में निकली जमीन आराजी नं0 1972-12 एकड़ 70 डि0 का पट्टा अनु0 जाति के 42 गरीबों को परगनाधिकारी, पड़रौना ने 1978 में दिया था और जिलाधिकारी ने इस पट्टे को स्वीकृति प्रदान की थी तथा कुछ लोगों ने कमिश्नर, गोरखपुर से इसे निरस्त करा दिया

था ? क्या कमिश्नर के आदेश दिनांक 24-7-84 द्वारा निरस्त करने के साथ ही जिलाधिकारी को पत्रावली इस आशय से लौटाई गई कि जिलाधिकारी पुनः पट्टा जारी करें ? क्या इसके बावजूद भी जिलाधिकारी, देवरिया ने अब तक पट्टा जारी नहीं किया और बदस्तूर पुराने पट्टे का अब तक उस पर काबिज दखल है ? क्या गांव के चकबन्दी होने के कारण इसमें हेरा-फेरी की जा रही है ? इस संबंध में कब तक पट्टा दिए जाने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

ग्राम बरा राजापाकड़ तथा धुरिया विजयपुर, तहसील तमकुहीराज, देवरिया में चीनी मिल की सीलिंग से निकली जमीन गाटा सं0-1972 रकबा 22.70 एकड़ जमीन निकली किन्तु कृषि योग्य 11.10 एकड़ रही जिसका आवंटन 42 व्यक्तियों में नहीं बल्कि 43 व्यक्तियों में किया गया है । इनमें से 37 अनुसूचित जाति व 6 अन्य जाति के व्यक्ति रहे, के परगनाधिकारी, पड़रौना ने 1978 में पट्टा दिया था । जिलाधिकारी द्वारा इन पट्टों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । आयुक्त, गोरखपुर ने इन पट्टों को निरस्त कर दिया । आयुक्त के आदेश दिनांक 24-7-84 द्वारा इन पट्टों को निरस्त करने के साथ ही पत्रावली जिलाधिकारी को इस आशय के साथ लौटा दी गई कि यथा-विधि भूमि का पुनः बन्दोबस्त किया जाय । आयुक्त के आदेश दिनांक 24-7-82 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पट्टेदारों की ओर से दायर रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 30-10-1984 के अन्तर्गत आयुक्त का आदेश दिनांक 24-7-84 स्थगित कर दिया गया और पुनः नए पट्टे जारी नहीं किए गए हैं । उल्लेखनीय है कि संबंधित ग्राम अब भी चकबन्दी प्रक्रिया के अन्दर चल रहा है ।

आगरा जनपद में स्थित सूरसरोवर को पक्षी विहार घोषित करने की मांग

*6–श्री बदन सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद में स्थित सूरसरोवर को पक्षी विहार घोषित करने पर भी अधिक पक्षी वहां विहार करने नहीं आ रहे हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? किस-किस किस्म के पक्षी वहां सूर सरोवर में देखे जा सकते हैं ? क्या यह भी सही है कि सूर सरोवर को पक्षी विहार घोषित करने पर जो वन विभाग ने उस सरोवर को आकर्षक बनाने के लिए दिया है, वह कितना है ? उक्त धन किस-किस काम पर खर्च किया गया है ?

श्री अनवती सिंह–

जी हां ।

इसका कारण शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण देशों से आने वाले पक्षियों का मार्ग में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में भारी पैमाने पर शिकार किया जाना है जिसकी सूचना विभिन्न संचार माध्यमों से प्राप्त हो रही है ।

सूरसरोवर पक्षी विहार में शरद ऋतु में ब्राह्मिनी डक, पिनटेल, कामन टील, गर्गनीटील विजन शावलर, पोचर्ड, कूट आदि प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं । इनके

अतिरिक्त स्थानीय पक्षी जैसे इग्रेट, कारमोरेन्ट, डारटर, स्पाट बिल पेन्टेड स्टार्क, स्पून बिल, सारसक्रेन ग्रेहेरान, किंग फिसर, ह्वाइट आइबिस, ओपन बिल्ड स्टार्क, मोर, तीतर, नीलकंठ, मूर हेन, बटेर भी देखे जा सकते हैं ।

सूरसरोवर पक्षी बिहार के विकास हेतु वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 में क्रमशः रु0 0.63, 2.95 तथा 4.67 लाख व्यय किया गया है ।

उक्त धन सरोवर की सफाई हेतु जलकुम्भी निस्तारण, वृक्षारोपण, द्वीप व वाच टावर निर्माण, टाइप-I तथा II भवनों के निर्माण, स्टाफ हेतु मोटर साइकिल, साईकिल, फर्नीचर एवं प्रचार कार्यों पर व्यय किया गया है ।

*7—श्री बाबू राम वर्मा—

[दि0 17-3-94 को अता0 प्र0 सं0-9 द्वारा उत्तरित]

सरकारी पौधशालाओं में पौधों के मूल्य में वृद्धि से पौधों की बिक्री पर प्रभाव

*8—श्री रंगनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग द्वारा अपने पौधशाला पर पौधों का मूल्य 30 पैसे से बढ़ाकर तीन रुपए में जुलाई/अगस्त, 93 में बेचा गया है ? यदि हां, तो इस सत्र में कितने पौधों की बिक्री की गई ? क्या इस वर्ष पेड़ कम लगे ? यदि हां, तो क्या सरकार पेड़ लगाने के लिए पौधों के मूल्य में कमी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती सिंह—

पौधों के विक्रय मूल्य में जून, 93 में वृद्धि की गई । जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड रोईवाला, जनपद देहरादून के कतिपय गांवों में लीज एवं भूदान यज्ञ समिति द्वारा किसानों को दी गई भूमि का स्वामित्व प्रदान करने की मांग

9—श्री राजेन्द्र प्रसाद (देहरादून)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जनपद में विकास खण्ड डोईवाला के अन्तर्गत सत्तीवाला, माधोवाला, चाण्डी प्लान्टेशन गुमानीवाला एवं बापू ग्राम आदि गांवों में किसानों को वन विभाग द्वारा लीज एवं भूदान यज्ञ समिति द्वारा भूमि कब दी गयी थी ? क्या उक्त गांवों के किसानों को भू-स्वामित्व देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जनपद के छत्तीस अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची में होने के बाद भी वेतन भुगतान न किए जाने की शिकायत

*10—श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के 36 अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों को शासनादेश संख्या—2378/26-3-89-9 (15) / 78, दिनांक 31 मार्च, 1989 को विभागीय सभी शर्तों को पूरा कराने पर आवर्तक अनुदान की सूची पर लिया गया था ? यदि हां, तो वेतन भुगतान क्यों नहीं कराया जा रहा है ? क्या सरकार वेतन भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर—

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालयों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कराकर नियमानुसार वेतन अनुदान का भुगतान किए जाने के आदेश दिए गए हैं ।

बाढ़ग्रस्त ग्राम रमना, विकास खण्ड काशी विद्यापीठ, जिला वाराणसी में चकबन्दी कार्य को रोकने की मांग

*11—श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी चकबन्दी लागू करने का आदेश किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक के रमना गांव जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहां उक्त चकबन्दी को रोकने का आदेश सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

सामान्य तौर पर जिस ग्राम में कृषिक भूमि का क्षेत्रफल 30 से 60 प्रतिशत तक होता है उसमें चकबन्दी प्रक्रिया लागू की जाती है । चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत बाढ़ के कारण भूमि के कटाव से प्रभावित क्षेत्रफल तथा जल प्लावित क्षेत्रफल को नियमानुसार चकबन्दी क्रियाओं से पृथक कर दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम रमना का कृषिक भूमि का क्षेत्रफल 65 प्रतिशत से अधिक है तथा उसमें बाढ़ के कारण भूमि के कटाव से प्रभावित अथवा जलप्लावित क्षेत्रफल नहीं है ।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील बीसलपुर में नदी दियोहा से आई भयंकर बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति की मांग

*12—श्री राम सरन वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील बीसलपुर में नदी दियोहा में आई भयंकर बाढ़ से हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिनांक 1 अक्टूबर, 1993 को

दिया था ? क्या शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो क्या स्वीकृति प्रदान कर क्षतिपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर पर मूक, बधिर विद्यालयों की संख्या तथा मूक बधिर विद्यालय जार्ज टाउन इलाहाबाद को अन्य विद्यालयों की भांति परिलब्धियां उपलब्ध कराए जाने की मांग

*13–डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने मूक बधिर विद्यालय कार्य कर रहे हैं ? मूक बधिर विद्यालय, जार्ज टाउन, इलाहाबाद कब से कार्य कर रहा है तथा उसमें कितने छात्र, कर्मचारी एवं शिक्षक हैं ? क्या इस विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राजकीय मूक बधिर विद्यालयों के समान सभी परिलब्धियां दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर–

प्रदेश में वर्तमान समय में 4 राजकीय मूक बधिर विद्यालय तथा 12 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित मूक बधिर विद्यालय कार्य कर रहे हैं ।

सन् 1929 से ।

प्रश्नगत विद्यालय में 135 छात्र, 11 शिक्षक तथा 9 कर्मचारी हैं ।

जी नहीं ।

यह विद्यालय स्वैच्छिक संस्था द्वारा संचालित है, तथा संस्था के 20 शिक्षक/कर्मचारियों में से मात्र 15 शिक्षक/कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 90 प्रतिशत ही अनुदान भारत सरकार से प्राप्त है ।

अतारांकित प्रश्न

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन में खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराये जाने की मांग

1–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन में कहां-कहां और कितने ट्यूबवेल लगाए गए हैं ? क्या उनमें से कुछ ट्यूबवेल खराब भी हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें शीघ्र चालू कराने हेतु शासन कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज बहादुर

जनपद जालौन में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना द्वारा संचालित सामूहिक सिंचाई योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड जालौन में पांच ट्यूबवेल, विकास खंड नदी गांव में तीन ट्यूबवेल, विकास खंड कोंच में दो ट्यूबवेल, विकास खंड कदौरा में दो ट्यूबवेल, विकास खण्ड रामपुर में दो ट्यूबवेल, विकास खण्ड माधवगढ़ में एक ट्यूबवेल, विकास खण्ड कुठौन्द में एक ट्यूबवेल लगाया गया है । इस प्रकार कुल सोलह ट्यूबवेल लगाए गए हैं ।

जी हां, इसमें बारह ट्यूबवेल खराब हैं ।

जी हां, शीघ्र ही ।

2—श्री रंग नाथ—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

भदोही विकास खण्ड के भैरोंपुर (ममहर) जिला वाराणसी के ग्राम प्रधान द्वारा नर्सरी स्कूल पर लगे हैण्ड पम्प उखड़वाने की शिकायत एवं पुनः लगवाने की मांग

3—श्री रंग नाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही विकास खण्ड के भैरोंपुर (ममहर) के प्रधान ने कुनबियों के गांव में नर्सरी स्कूल पर लगे हैण्ड पम्प को उखड़वा दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार बच्चों को पानी पीने के लिए पुनः उसी स्थान पर उसी बोर में हैण्ड पम्प लगवायेगी ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)—

विकास खण्ड भदोही के ग्राम भैरोंपुर (ममहर) के ग्राम प्रधान ने हैण्ड पम्प नहीं उखड़वाया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हैण्ड पम्प का बोर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसी स्थान पर उसी बोर में हैण्ड पम्प अधिष्ठापित नहीं किया जा सकता है ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत तेरह ग्राम प्रधानों के खाते में भू-राजस्व स्थानान्तरित न होने की शिकायत

4—श्री सुन्दर लाल लोधी—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत तेरह ग्राम प्रधानों के खाते में भू-राजस्व एक वर्ष तक स्थानान्तरित नहीं किया गया है ? क्या अब विकास खण्ड अधिकारी ने प्रधानों से उनको स्थानान्तरित कर दिया है ? क्या यह भी सही है कि अब शेष को खाते में स्थानान्तरित नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नदी पर पुल न होने व कोई रास्ता न होने के कारण अति दुर्गम है ? क्या यह सही है कि हर वर्ष कई बच्चे वहां रेलगाड़ी की चपेट में स्कूल जाते समय आ जाते हैं ? यदि हां, तो क्या ग्राम बुढ़ैना पर कर्वन नदी पर पुल बनवाने व खुर्जा झाजर रोड तक लगभग 600 मीटर लम्बे सम्पर्क मार्ग बनवाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

ऐसी कोई जानकारी विभाग को नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के जेवर टप्पल मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

40–श्री लक्ष्मी चन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के कस्बा जेवर में जेवर से टप्पल जाने वाली, टूटी-फूटी लगभग तीन सौ मीटर सड़क की मरम्मत कराने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

रख-रखाव मद में सीमित संसाधनों के बावजूद उक्त भाग की समुचित मरम्मत बराबर की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

शाहजहांपुर नगर में सीतापुर मार्ग पर निवाजपुर के पास बाई पास मार्ग का निर्माण

41–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर नगर में सीतापुर मार्ग पर निवाजपुर के पास जो बाई पास मार्ग बनना प्रस्तावित है, उसमें उ0 प्र0 सरकार की ओर से अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त बाई पास बनने में क्या-क्या बाधाएं हैं तथा इसका कितना इस्टीमेट है ? इसको बनाकर कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

भूमि अधिगृहीत कर ली गयी है और आगणन भूतल एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया जिस पर भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1994 में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

वर्तमान में बाईपास बनाने में कोई बाधा नहीं है । भारत सरकार ने भेजे गये आगमन पर 17.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है ।

बाईपास का निर्माण कार्य पूरा किया जाना भारत सरकार से समुचित अनुदान की उपलब्धता पर निर्भर है । अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

जिला फतेहपुर के विकास खण्ड तेंदवानी के ग्राम बैजानी स्थित माध्यमिक (जूनियर हाई स्कूल) में शिक्षकों की व्यवस्था

42–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम बैजानी, विकास खण्ड तेंदवानी, जिला–फतेहपुर में दो वर्ष पूर्व माध्यमिक (जूनियर हाई स्कूल) बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा खोला गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वहां कक्षा 6, 7, 8 का अध्यापन कार्य मात्र एक अध्यापक से होता है ? क्या सरकार वहां नियमानुसार कम से कम पांच अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

जी नहीं ।

दो अध्यापक कार्यरत हैं ।

यह विद्यालय जिला योजनान्तर्गत खोला गया है । उक्त योजनान्तर्गत विद्यालय में केवल तीन अध्यापक ही अनुमन्य हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश समाप्त होने पर शीघ्रता से एक और शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जनपद में काशी सहकारी चीनी मिल द्वारा किराये पर ली गयी गोदाम की भण्डारण क्षमता

43–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई ने जनवरी-फरवरी, 92 में वाराणसी शहर में किराए पर गोदाम लेकर चीनी रखी थी ? यदि हां, तो कितने गोदाम कितने रुपये प्रतिमाह किराये पर लिए गए तथा उसमें कितने दिनों तक चीनी रखी गयी ? उक्त गोदाम किस व्यक्ति का था तथा उसे कितना रुपया किराया दिया गया ? उक्त गोदाम में कितनी बोरी चीनी (कुन्तल) रखी गयी ? उक्त गोदाम में रखी चीनी किसको कब बेची गई ? क्या आज भी चीनी वहां पर है ? दिसम्बर, 93 से चीनी मिल के गोदाम में कितनी बोरी चीनी है तथा मिल के गोदामों की भण्डारण क्षमता क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जनवरी-फरवरी, 92 में नहीं । वरन माह फरवरी, 93 में वाराणसी शहर में गोदाम किराये पर लेकर चीनी रखी गयी थी ।

दो गोदाम रु0 13,800 प्रति माह किराए पर लिए गए, जिसमें से जुलाई, 93 तक चीनी रखी गयी तथा दूसरे गोदाम में फरवरी, 93 से चीनी रखी गयी थी, जो अभी तक रखी हुई है ।

गोदाम यू0 पी0 स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, वाराणसी का था, जिसमें एक गोदाम माह फरवरी, 93 से माह जुलाई, 93 तक का किराया 13,800 प्रति माह की दर से रुपए 82,800 तथा दूसरे गोदाम का किराया रु0 13,800 प्रति माह की दर से रु0 2,07,712 भुगतान किया गया । इस प्रकार कुल रु0 2,90,512 किराए के रूप में भुगतान किया गया ।

23,500 (बोरी) कुन्तल चीनी रखी गयी ।

सूचना उक्त गोदाम में रखी गयी चीनी 105 व्यक्तियों को बेची गयी जिसकी सूची मा0 सदस्य यथा आवश्यकता पृथक से प्राप्त कर सकते हैं ।

जी हां, माह फरवरी, 93 में दूसरे गोदाम में रखी गयी चीनी अभी-अभी उक्त गोदाम में रखी हुई है ।

माह दिसम्बर, 94 तक नहीं वरन माह अगस्त, (दि0 10-8-94) तक मिल के गोदाम में 18,805 बोरी चीनी स्टाक में है । मिल के गोदाम की भण्डारण क्षमता प्रति गोदाम 40,000 कुन्तल की है ।

जनपद जौनपुर, विकास खण्ड, बदलापुर में धनश्यामपुर–जौखापुर मार्ग को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त पूर्ण कराने की मांग

44–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 94 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री तेजभान सिंह एवं श्री जगदम्बा सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अता0 प्र0 संख्या–23 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 कि0 मी0 लम्बाई की सड़क का मात्र 300 मीटर का लेपन कार्य किस सिद्धान्त/मानक के अन्तर्गत कराया गया है ? क्या यह सही है कि जनपद में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो इस सड़क की स्वीकृति के बाद नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा पास की गई हैं और उनका लेपन कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है ? क्या उसके लिए धन उपलब्ध था ? क्या मंत्री जी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त सड़क को इसी वित्तीय वर्ष में जिला-योजना में स्वीकृत कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत कार्य का निर्माण स्वीकृत धनराशि को व्यय करके ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा किया गया था ।

जी हां ।

जी हां ।

इसकी स्वीकृति हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन आवश्यक है ।

विकास खण्ड बदलापुर जनपद जौनपुर में रामनगर–कृष्णापुर मार्ग को जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त पूर्ण किए जाने की मांग

45–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे सम0 के लिए निर्धारित श्री तेजभान सिंह एवं श्री जगदम्बा सिंह द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 संख्या-28 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त सड़क का लेपन कार्य लगभग 2 या 3 वर्ष पूर्व में हुआ है ? यदि हां, तो क्या शेष 8 कि0मी0 के लेपन कार्य को जिला योजना में इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे ? यदि हां, तो कब से निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या उक्त सड़क के आवागमन की सुविधा हेतु कंकरीट कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां । 1.8 किमी0 लम्बे मार्ग के 1.00 किमी0 में लेपन का कार्य हुआ है ।

कार्य जिला योजना की प्रकृति का है, जिसकी स्वीकृति हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन आवश्यक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

आगरा विश्वविद्यालय में आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

46–डा0 राम बाबू हरित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत आरक्षण कोटा पूरा हुआ है ? शेष कोटे को पूरा करने के लिए क्या सरकार द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आगरा विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का तृतीय श्रेणी में 9.86 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी में 18 प्रतिशत मात्र का आरक्षण पूरा हुआ है । रिक्तियां होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा में राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव की जानकारी

47–डा0 राम बाबू हरित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य सरकार के सीमित संसाधनों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की असहमति को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव कृषि विभाग द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना सेक्टर-बी में निर्मित व्यवसायिक केन्द्र के मध्य स्थित देशी शराब की दुकान को हटाने की मांग

48—श्री समर पाल सिंह—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में निर्मित किए गए व्यवसायिक केन्द्र के मध्य चल रही देशी शराब की दुकान (बारा बिरवा) को जनहित में तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु श्री रामा खेलावन आदि विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र माह मई, 1994 में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मुख्य मंत्री जी जनहित में उक्त देशी शराब की दुकान अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उक्त दुकान कब तक स्थानान्तरित कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह—

प्रश्न में इंगित पत्र, विधायक कोष्ठक मुख्य मंत्री कार्यालय एवं आबकारी विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत देशी शराब की (बारा बिरवा) दुकान उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल के प्रथम खण्ड के प्रस्तर-328 के प्राविधानों के अनुसार उपयुक्त स्थल पर चल रही है । प्रश्नगत देशी शराब की दुकान के नियमानुकूल स्थल पर स्थित होने के कारण तथा राजस्व हित में इसे अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भू-विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में कारपेन्टर पद के वेतनमान में विसंगति को दूर करने की मांग

49—श्री तेजपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में कारपेन्टर के वेतनमानों में विसंगति दूर किए जाने के संबंध में श्री सतीश भाटिया, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 7 मई, 1994 वित्त सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

कारपेन्टर के पद के पूर्व वेतनमान 230-385 को 1-7-79 से पुनरीक्षित कर 330-495 किया गया है । यह पुनरीक्षण पद की अर्हता के आधार पर है । उक्त पद के वेतनमान में विचारोपरान्त शासन द्वारा कोई विसंगति नहीं पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कारपेन्टर पद के पुनरीक्षित वेतनमान को शासन द्वारा निरस्त किया जाना

50–श्री तेजपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ने अपने आदेश संख्या 6378-467, दिनांक 15 मार्च, 1994 द्वारा कतिपय वेतनमानों में विसंगतियों के कारण नए वेतनमान स्वीकृत किए हैं ? क्या कारपेन्टर के पद का वेतनमान संशोधित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पद की विसंगति दूर करने हेतु नए वेतनमान स्वीकृत किए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय ने दिनांक 15-3-94 के आदेशों में कतिपय पदों के वेतनमानों का पुनरीक्षण बिना शासन की स्वीकृति के किया गया है, अतः कुल-सचिव के इन आदेशों को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

जी हां ।

प्रश्नगत कारपेन्टर पद के वेतनमान में विसंगति के बारे में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, बहराइच में वर्ष 1993-94 में की गयी अस्थायी नियुक्तियों का ब्योरा

51–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, बहराइच में वर्ष 1993-94 में आरक्षण से संबंधित शासनादेश का पालन अस्थाई नियुक्तियों के लिए किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वर्ष में नियुक्त आरक्षित कर्मियों का नाम क्या है तथा वह आरक्षण की किस श्रेणी में आते हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 93-94 में जरवल रोड इकाई में कोई नई अस्थायी नियुक्तियां नहीं की गयी हैं, अतः आरक्षण संबंधी शासनादेश का पालन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई जरवल रोड बहराइच के मृतक कर्मचारी श्री राम जी विश्वकर्मा कर्मकार की विधवा को नियमतः तुर्ण लाभ देते हुये सेवायोजित किया जाना

52–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, बहराइच के सन्, 1993-94 में श्री रामजी विश्वकर्मा नामक कर्मकार की मृत्यु बगास-कैरियर में फंसकर हो गई थी ? यदि हां, तो क्या इकाई में औद्योगिक सुरक्षा उपायों का अब पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मृतक के

आश्रित को नियमतः सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि सेवा में लिया जायेगा तो कब तक ? क्या मंत्री जी उपरोक्त दुर्घटना के कारणों की जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

निगम की इकाई जरवलरोड के पेराई सत्र 1993-94 में दिनांक 2-1-1994 को रात में लगभग 12 बजे ब्वायलर पर कार्यरत कर्मचारी श्री राम जी विश्वकर्मा की मृत्यु अमोनिया एलीमेंटर की चैन में फंसकर हो गयी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक श्री राम जी विश्वकर्मा की विधवा को नियमतः समस्त हित लाभ देते हुये दिनांक 19-1-94 से सेवा में लिया गया है । दुर्घटना के कारणों की जांच निदेशक (कारखाना) के द्वारा कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत की जा चुकी है ।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम, इकाई जरवल रोड बहराइच में नियमित तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विवरण

53–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड बहराइच में कितने नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? कितने दैनिक वेतन कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है । उक्त इकाई को कुल कितने कर्मियों की आवश्यकता है ? क्या यह सही है कि इकाई में आवश्यकता से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि वर्ष 1993-94 में अस्थायी कर्मियों की भर्ती मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा की गई है ? क्या उसमें विगत समय में कार्यरत तथा अनुभवी कर्मियों को प्राथमिकता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जरवल रोड इकाई में 610 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं इनमें से 234 नियमित स्थायी कर्मचारी तथा 376 मौसमी स्थायी कर्मचारी हैं । वर्तमान में 26 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है । इस स्तर की आधुनिकीकृत इकाई को 658 नियमित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है । किन्तु सीजन में समय-समय पर आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी कार्य पर लगाये जाते हैं । वर्ष 1993-94 में अस्थायी कर्मचारियों की कोई भर्ती मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा नहीं की गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं पैदा होता ।

जनपद सीतापुर में थाना रामपुर मथुरा के ग्रामों को महमूदाबाद तम्बौर मार्ग से पक्की सड़क द्वारा जोड़ने की मांग

54—श्री गजाधर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला सीतापुर में थाना रामपुर मथुरा के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम कोदोरा, धमोड़ा, तपसी का पुरवा समीपवर्ती क्षेत्रों का विकास उक्त गांवों के पक्की सड़क द्वारा महमूदाबाद-तम्बौर मार्ग से न जुड़े होने के कारण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत गांवों को महमूदाबाद—तम्बौर मार्ग से पक्की सड़क द्वारा जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं । ऐसी स्थिति नहीं है ।

मार्ग जिला योजना की प्रकृति का है, अतः स्वीकृति हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन आवश्यक है ।

प्रश्न नहीं उठता । जिला योजना की प्रकृति का होने के कारण ।

मिलरायां—पनवाड़ी मार्ग पर शहर जालौन से शेरगढ़ घाट तक की सड़क का चौड़ीकरण एवं लेपन कार्य

55—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिलरायां—पनवाड़ी मार्ग पर शहर जालौन से शेरगढ़ घाट तक की सड़क का चौड़ीकरण हो चुका है — यदि हां, तो कब एवं किन अधिकारियों की देखरेख में ? क्या चौड़ीकरण में लेपन के दोनों कोट हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब और किन अधिकारियों की देखरेख में ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर चौड़ीकरण के कुछ भाग में प्रथम कोट का लेपन नहीं हुआ है ? क्या मार्ग के सम्पूर्ण भाग में लेपन का दूसरा कोट हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां, (कि0 मी0 308, 310, 323, 327, 329, 331 एवं 332) 7 कि0 मी0 में द्वितीय सतह लेपन को छोड़कर ।

चौड़ीकरण के कार्य 1992 तक श्री एम0 पी0 गौतम, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, सर्वश्री आई0 पी0 शर्मा, जे0 डी0 गौतम एवं एस0 एन0 मिश्रा, सहायक अभियन्तागणों की देख-रेख में पूर्ण हुये ।

कि0 मी0 308, 310, 323, 327, 329, 331 एवं 332 को छोड़कर द्वितीय सतह लेपन तक कार्य अन्य सभी स्वीकृत कि0 मी0 में पूर्ण हो चुके हैं ।

उपरिलिखित अधिकारियों की देख-रेख में ।

जी नहीं ।

जी नहीं, उक्तवत् सात कि0 मी0 में छोड़कर । सुदृढ़ीकरण का कार्य शेष होने के कारण ।

श्री राज बहादुर–

जी नहीं ।

प्रदेश में पिछड़ी जातियों विषयक जारी शासनादेश दिनांक 10-7-86 में घोसी जाति का कोई उल्लेख नहीं है । फिर भी पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित समावेश अथवा निष्कासित करने एवं तत्संबंधी शिकायतों पर सम्यक रूप से विचार कर संस्तुति देने हेतु प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है । तद्नुसार इस प्रकरण को भी उक्त आयोग के द्वारा परीक्षण करने हेतु भेज दिया गया है ।

फर्जी दुर्गा पूजा सेवा समिति, अहिरानी बुजुर्ग, मऊ के नाम ग्राम समाज की भूमि का अवैध पट्टा किए जाने की शिकायत

23–श्री डी0 पी0 यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्जी दुर्गा पूजा सेवा समिति अहिरानी बुजुर्ग, मऊ के अनुरोध पर ग्राम सभा अहिरानी बुजुर्ग तथा गोंठा, तहसील घोसी, जनपद मऊ उ0 प्र0 की ग्राम समाज की भूमि 194 व 238 रकबा क्रमशः 267 व 550 कड़ी भूमि का पट्टा कैसे हुआ ? लगातार दस वर्षों से उक्त भूमि के दुरुपयोग के संबंध में 11-2-92 को उक्त गांव के उप प्रधान द्वारा जिलाधिकारी मऊ को आवेदन-पत्र देने के उपरान्त क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम टण्डवा परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में कतिपय लोगों द्वारा सैकड़ों बीघे कब्जा की गयी सीलिंग भूमि का बिक्री किए जाने की शिकायत

24–श्री परशुराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम टण्डवा, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में सैकड़ों बीघे सीलिंग की भूमि को कुछ लोग अनाधिकृत कब्जा कर विक्रय कर रहे हैं और अनुचित लाभ कमा रहे हैं ? यदि हां, तो कुल सीलिंग भूमि कितनी-कितनी किसके-किसके कब्जे में है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? क्या अनाधिकृत रूप में कब्जा की गई भूमि को आवंटित किया जायगा ?

श्री बाबू राम यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

25–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला परिषद् गाजियाबाद के कतिपय प्रश्नगत कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

26—श्री प्रेम सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 12-4-1993 को जिला परिषद् गाजियाबाद के कतिपय कर्मचारी शराब पीकर मारपीट करने के आरोप में थाना कोतवाली में बन्द हुए थे ? क्या उन्हें दिनांक 13-4-1993 को नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की अदालत से छोड़ा गया था ? यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा—

जी हां ।

थाना कोतवाली, गाजियाबाद में पुलिस द्वारा सरकार बनाम डी0 वी0 सिंह अन्तर्गत धारा 151/107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कोतवाली, गाजियाबाद में पंजीकृत हुआ था । बाद की कार्यवाही समझौते के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा समाप्त की जा चुकी है । सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स के नियम-49-ए(2) में यह प्राविधान है कि 48 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस कस्टडी में रहने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी । उक्त कर्मचारियों के 48 घण्टे से कम अवधि के लिए पुलिस कस्टडी में रहने के कारण उनके विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही नहीं की गयी । जिला परिषद् को उक्त के संबंध में अभिलेखीय जानकारी न होने के कारण प्रश्नगत कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

जिला परिषद् गाजियाबाद द्वारा कर निर्धारण में भारी घपला किए जाने के संबंध में शिकायत

27—श्री प्रेम सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् गाजियाबाद में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में कर निर्धारण सूची कब तैयार की गयी और करदाताओं को नोटिसें किस माह में भेजी गयीं ? क्या यह सही है कि नोटिसें भेजने के बाद निर्धारण सूची तैयार की गई और उसमें भारी घपला किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा—

जिला परिषद्, गाजियाबाद में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में कर निर्धारण सूची माह मार्च में सदन में कर संबंधी विशेष प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त तथा कर दाताओं को नोटिस भेजने के उपरान्त तैयार की गई । वर्ष 92-93 और 93-94 में नोटिसें जिला परिषद् में पारित होने के उपरान्त माह मार्च, अप्रैल, मई, जून व जुलाई में भेजी गई ।

उक्त नोटिसें भेजने के उपरान्त ही कर निर्धारण सूची नियमों के अन्तर्गत तैयार की गई । इसमें किसी प्रकार का घपला नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के कतिपय ग्रामों में राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान का विवरण

28—श्री समर पाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1993 में सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के अन्तर्गत ग्राम चांदन निजामुद्दीनपुर तथा खरगपुर फरीदीनगर तहसील, परगना व जिला लखनऊ में उत्तराधिकार के कितने निर्विवाद मामलों का निस्तारण किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त गांवों में अनेक निर्विवाद मामले उत्तराधिकार के वर्षों से पड़े हैं ? क्या संबंधित लेखपाल द्वारा निजी स्वार्थवश कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या विशेष अभियान के तहत उक्त गांवों के उत्तराधिकारी के निर्विवाद मामलों में दाखिल खारिज की कार्यवाही तत्काल की जायेगी ? विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

दिनांक 6-12-1993 से 5-1-1994 तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान ग्राम चांदन, निजामुद्दीनपुर तथा खरगपुर-फरीदीनगर तहसील, परगना व जिला लखनऊ में क्रमशः 8, 3 व 3 कुल 14 निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों का निस्तारण किया गया ।

जी नहीं ।

लेखपाल व भूलेख निरीक्षक द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29—आचार्य जगदीश मुनि—

[5वें सोम में अता0 प्र0 सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी की भदोही तहसील में भैरोपुर गांव के कतिपय भूमि गाटों का मामला

30—श्री रंग नाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के भदोही तहसील में भैरोपुर गांव में गाटा सं0 44, 66, 78, 49 और 73 कागजात माल में नवयत ऊसर दर्ज है ? क्या उक्त गाटे पर पचासों साल से गरीब व किसान अपना मकान और पम्पसेट लगा रखे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार खतौनी में दर्ज भूमिधर उनका नाम दर्ज करायेगी ? यदि नहीं, तो क्या उसे आबादी घोषित करेगी ? क्या उक्त गाटा के संबंध में परगनाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा चला था ? यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ ?

श्री बाबू राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील गौरीगंज जिला सुल्तानपुर के अभिलेख में अनियमित इन्द्राज करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग

31–श्री छेदीलाल सिंह–

प्रथम सत्र 94 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न संख्या 114 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती प्रार्थना-पत्र के आधार पर लाभार्थियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो लाभार्थियों के नाम का इन्द्राज किस अधिकारी तथा किस अधिकारी के आदेश से किया गया ? क्या उक्त इन्द्राज लाभार्थियों द्वारा अपने हाथ से रजिस्टर में किया गया ? यदि नहीं, तो उनका दोष किस आधार पर निकालकर प्रथम सूचना अंकित करायी गयी ? जिस अधिकारी ने इन्द्राज किया तथा जिस अधिकारी ने इन्द्राज के आदेश किये क्या वह भी इस मामले में दोषी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी ?

श्री बाबू राम यादव–

शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच करके शिकायत सत्य पाये जाने पर लाभार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16-2-1994 को अंकित करायी गयी ।

तहसील अभिलेख में इन्द्राज किसके द्वारा किया गया निश्चित नहीं है । इन्द्राज करने हेतु किसी के आदेश प्राप्त नहीं किये गये हैं ।

बिना लाभार्थी के सहयोग के उसके पक्ष में जालसाजी नहीं की जा सकती इसलिए लाभार्थी के विरुद्ध जालसाजी में सहयोग प्रदान करने संबंधी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी । पुलिस की जांच के दौरान जालसाजी में अन्य राजस्व कर्मचारियों के संबंध में भी जानकारी लाभार्थी दे सकता है ।

तहसील अभिलेख में इन्द्राज किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया यह निश्चित नहीं है, चूंकि अभिलेख में इन्द्राज फर्जी है । इसलिए किसी अधिकारी के आदेश से इन्द्राज करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जांच में दोषी व्यक्ति का पता लग जाने पर उनके विरुद्ध नियमित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

32–श्री विश्राम सिंह यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री देव राज पटेल संग्रह अमीन तहसील भदोही, जिला वाराणसी द्वारा अपने कार्यमुक्त के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय से लिए गये स्थगन आदेश के कार्यान्वयन की जानकारी

33—श्री रंगनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री देवराज पटेल की नियुक्ति वाराणसी जनपद के भदोही तहसील के संग्रह अमीन के पद पर की गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त अमीन कार्यमुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मा0 उच्च न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो क्या अभी उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड हरिन्टनगंज विकास खण्ड अमानीगंज, फैजाबाद में बने शौचालयों की संख्या

34—श्री मित्रसेन यादव—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड हरिन्टनगंज, विकास खण्ड अमानीगंज, फैजाबाद में अब तक कितने शौचालयों की सुविधा किन-किन गांवों में, किन-किन व्यक्तियों के नाम उपलब्ध करायी गयी है ?

श्री राम लखन वर्मा—

विकास खण्ड हरिन्टनगंज में अब तक 15 ग्राम सभाओं में 311 व्यक्तियों तथा विकास खण्ड अमानीगंज में 11 ग्राम सभाओं में 278 व्यक्तियों को स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । निर्मित स्वच्छ शौचालयों की गांव एवं व्यक्तिवार सूची संलग्न है ।†

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के कुलहीपुर गांव में ए0 एन0 एम0 सेन्टर के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र

35—श्री लाल बहादुर सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के कुलहीपुर गांव में विभाग द्वारा निर्मित ए0एन0एम0 सेन्टर में की गयी गड़बड़ी के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 3-2-94 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में अंकित विवरण की जांच किस अधिकारी से कराई गई और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजबहादुर—

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की जांच अधिशासी अभियन्ता (मानी0) समाज कल्याण निर्माण निगम मुख्यालय लखनऊ से कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु विचार किया जा सकेगा ।

†छापी नहीं गई ।

माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विधवा पेंशन धारकों के बारे में विवरण

36—श्री शिवराज सिंह कुशवाहा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने विधवा पेंशन अभ्यार्थियों के आवेदन-पत्र अनिस्तारित/लम्बित पड़े हैं ? इन्हें कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री राज बहादुर—

अभी तक सूचना एकत्र की जा रही है ।

अवैध कब्जा हटाए जाने के संबंध में श्री जितेन्द्र बहादुर निवासी कोटांवा तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद का आबादी पर से अवैध कब्जा हटाए जाने के संबंध में शासन को संबोधित शिकायती-पत्र के बारे में जानकारी

37—श्री नन्दलाल सिंह पटेल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितेन्द्र बहादुर निवासी कोटांवा, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद का पत्र दिनांक 30-7-92 जो परगनाधिकारी फूलपुर एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी (ग्रामीण) इलाहाबाद, का आपको सम्बोधित 28-7-92 का पत्र जिसका पत्रांक भी जी0/189/92, दिनांक 1-9-92 आबादी पर अवैध कब्जा को हटाए जाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह सही है कि उक्त पत्र पर परगनाधिकारी फूलपुर द्वारा तहसील फूलपुर थाना अध्यक्ष सरायइनायत को तीन दिन के अन्दर अवैध कब्जा हटाए जाने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही पत्र में उल्लिखित आबादी पर से अवैध कब्जे को हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक हटवा दिया जायेगा ?

श्री बाबू राम यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अब्दुल सलाम पुत्र स्व0 श्री अब्दुल करीम, निवासी मोहल्ला मुन्नुगंज गोला गोकरननाथ जिला खीरी द्वारा उनकी जमीन पर श्री अनीस अहमद व श्री अब्दुल मतीन द्वारा जबर्दस्ती कब्जा करने के विरुद्ध पूर्व राजस्व मंत्री एवं सचिव राजस्व विभाग को भेजे गए शिकायती-पत्र के बारे में की गई कार्यवाही की जानकारी की मांग

38—श्री तुलाराम सैनी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अब्दुल सलाम पुत्र स्व0 श्री अब्दुल करीम, मोहल्ला मुन्नुगंज गोला-गोकरननाथ, जिला खीरी के पूर्व राजस्व मंत्री एवं सचिव, राजस्व विभाग को भेजे गए पत्र दिनांक 28-4-92, 16-6-92, 28-9-92, 15-9-92, अगस्त, 1993 तथा 28-9-93 प्राप्त हुए हैं ? जिसमें यह अवगत कराया गया था कि गोला गोकरननाथ, मोहल्ला नीची भूड़, जिला खीरी में स्थित भूमि संख्या-2541, जो भूमि की श्रेणी के अनुसार आबादी है, को लेखपाल व कानूनगो की मिली भगत से बिना किसी उच्च आदेश के श्री अनीस अहमद व श्री अब्दुल मतीन, निवासी मोहल्ला नीची

भूड़, गोला गोकरन नाथ जिला सीरी के नाम अभिलेखों में फर्जी रूप से दर्ज कर दिया है तथा क्या इन लोगों ने उक्त भू-खण्ड 2541 से सटी श्री अब्दुल सलाम के भू-खण्ड संख्या–2539 व 2597 के कुछ भाग पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो उक्त भूमि से कब्जा हटाने तथा भूमि संख्या–2541 के फर्जी इन्द्राज को निरस्त करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि अभी तक कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां । 28-4-92 व 28-9-93 के पत्र प्राप्त हुए हैं ।

भूखण्ड गाटा संख्या –2541 आबादी की भूमि है जिसके 0.11 एकड़ पर श्री अब्दुल मतीन व श्री अनीस अहमद का कब्जा पाये जाने पर तत्कालीन भूलेख निरीक्षक द्वारा खसरा में दिनांक 11 मई, 1991 को अनाधिकार कब्जा दर्ज किया गया । इस क्षेत्र में जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 लागू नहीं है । जमींदारी क्षेत्र में पड़ताल के समय अनाधिकृत कब्जा पाये जाने पर तद्नुसार प्रविष्टि करने हेतु भूलेख निरीक्षक सक्षम हैं ।

जी हां । कथित भूखण्ड के कुछ भाग पर श्री अनीस अहमद आदि का कब्जा है एवं मकान बना है ।

गाटा संख्या–2539 व 2597 श्री अब्दुल सलाम आदि के व्यक्तिगत खाते की भूमि है और इस पर आबादी बनी हुई है । इन भूखण्डों से कब्जा हटाये जाने का विवाद सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके तय कराना चाहिए । भूखण्ड संख्या–2541 के संबंध में फर्जी इन्द्राज नहीं है । अतः इसे निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा हंसवा जिला रायबरेली में चकबन्दी न होने की शिकायत

39–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-7-92 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ग्राम सभा–हंसवा में चकबन्दी न होने के क्या कारण हैं ? क्या अन्य ग्राम सभाओं में चकबन्दी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या इस ग्राम में भी चकबन्दी प्रारम्भ हो जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाबू राम यादव–

जी हां ।

ग्राम–हंसवा जिला–रायबरेली का धारा–4क(2) उ०प्र० चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन दिनांक 1-10-83 को हो चुका है । परन्तु प्रेस की त्रुटि से गजट में ग्राम हंसवा परगना–मोहनगंज के स्थान पर ग्राम हंसवा, परगना–सेमरौता छप जाने के कारण चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो सकी है ।

तहसील–तिलोई के कुछ ग्राम सभाओं को छोड़कर अधिकांश ग्राम सभाओं में चकबन्दी का कार्य हो चुका है ।

जी हां ।

उपरोक्त त्रुटिपूर्ण छपाई के संबंध में संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 17-12-93 जारी की जा चुकी है जिसका गजट में प्रकाशन हो जाने के उपरान्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियायें प्रारम्भ कर दी जायेंगी ।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

निधन के निर्देश से पूर्व अन्य मद पुकारे जाने पर व्यवस्था व प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने यह मद ले ली है, इस पर विधान परिषद् में विचार होना है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आप देखें तो सही मैं एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ ।

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां–)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी. . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

अभी मान्यवर, निधन के निर्देश नहीं हुए हैं आगे की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने अपने विवेक से दो मदों को ले लिया है उसके बाद निधन के निर्देश आ जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ऐसी कोई परिपाटी नहीं रही है । आप नियम 315 को देख लें । अब तक की जो परम्परा रही है उसका अपमान हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा कि पहले इन दो मदों को ले लिया जाय, चूंकि विधान परिषद् में विचार होना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ऐसा कौन सा पानी बरस रहा है, आपातकाल पैदा होने वाला है ? जिससे आगे की मदें ले रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, निधन के निर्देश न शुरू करके आप आगे की मदें ले रहे हैं ?

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यगण सर्वश्री सर्वजीत लाल वर्मा, दीप नारायण सिंह, ए0 सी0 राइस, नन्हे लाल तथा कैप्टन राम गरीब के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष--

मैं निधन के निर्देश ले रहा हूं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

श्रीमन्, मुझे बड़े दुःख के साथ माननीय सदन को सूचना देनी पड़ रही है कि हमारे बीच में 5 भूतपूर्व माननीय सदस्य नहीं रहे, उनके नाम हैं, श्री सर्वजीत लाल वर्मा, फैजाबाद, श्री दीप नारायण सिंह, फतेहपुर, श्री ए0 सी0 राइस, श्री नन्हे लाल, बाराबंकी, कैप्टन राम गरीब, गोण्डा । श्रीमन्, श्री सर्वजीत लाल वर्मा का निधन 25 फरवरी, 1994 को लखनऊ में हो गया । वे लगभग 87 वर्ष के थे । श्री सर्वजीत लाल वर्मा का जन्म 23 सितम्बर, 1907 को ग्राम मेंहदौना, जनपद फैजाबाद में हुआ था । उन्होंने एल-एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री सर्वजीत लाल वर्मा वर्ष 1946 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फैजाबाद पूर्व से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री सर्वजीत लाल वर्मा उत्साही, संघर्षशील, समाज-सेवी एवं जनप्रिय किसान नेता के रूप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे । वे 31 मार्च, 1941 को अपने सक्रिय समाजसेवी गतिविधियों के कारण नजरबंद कर लिए गये थे तथा 7 जनवरी, 1942 तक जेल में ही रहे । इसके पश्चात् उनका अधिकांश समय स्वतंत्रता आंदोलन में ही बीता । शिक्षा के क्षेत्र में रुचि होने के कारण उन्होंने नरेन्द्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जलालपुर की स्थापना की थी । वे उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ में प्रसिद्ध अधिवक्ता के रूप में प्रख्यात थे । श्री सर्वजीत लाल वर्मा के निधन से जनपद फैजाबाद ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं समाजसेवी खो दिया । श्रीमन् आपसे अनुरोध है कि उनके परिवारजनों को पूरे सदन की और हमारे सत्ता पक्ष की शोकसंवेदना भेजने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, श्री दीप नारायण सिंह का निधन 4 मार्च, 1994 को हो गया । वे लगभग 79 वर्ष के थे । श्री दीप नारायण सिंह का जन्म 1915 को ग्राम लदिगवां, जिला फतेहपुर में हुआ था । उन्होंने एम0 ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा प्राप्त की थी । श्री दीप नारायण सिंह वर्ष 1962 के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र किशुनपुर, जिला फतेहपुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । श्री दीप नारायण सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसके फलस्वरूप वे कई बार जेल गये थे । उन्होंने अपने जिले में कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा मेहतर यूनियन की स्थापना की थी । वे ग0 पी0 शोषित संघ के सदस्य रहे थे । "किसान भी कुछ सोचता है", "हमारी तीन राजनीतिक भूलें", "किसान मजदूर राज्य की ओर" तथा "रामायण" इत्यादि उनके प्रकाशन हैं । वे फौजदारी कानून के जाने-माने उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट थे । श्री दीप नारायण सिंह के निधन से जनपद फतेहपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी एवं एक कानूनविद् खो दिया । श्रीमन्, आपसे अनुरोध है कि हम सब लोगों की ओर से उनके परिवारजनों को शोक-संवेदनाएं भेजने की कृपा करें ।

श्रीमन्, श्री ए0 सी0 ग्राइस का निधन 6 मार्च, 1994 को हो गया । वे लगभग 82 वर्ष के थे । श्री ग्राइस का जन्म लाहौर में हुआ था । उन्होंने बंगलोर से एम0आई0पी0ई0, एम0आई0ई0 की शिक्षा प्राप्त की थी । श्री ग्राइस सर्व प्रथम वर्ष 1952 में विधान सभा के सदस्य नाम-निर्देशित हुए थे । तत्पश्चात् 1957, 1962, 1967, 1969, 1974, 1977 तथा 1980 तक लगातार नाम-निर्देशित सदस्य रहे । उन्होंने इतने वर्षों तक इस विधान सभा की सेवा की । वह एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समर्पित समाजसेवी थे । वे अखिल भारतीय एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन, प्रदेश के एंग्लो इंडियन इंसटीट्यूशन के स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष, अनेक शिक्षा संस्थाओं के वाइस चेयरमैन तथा गवर्निंग बाडीज के सदस्य भी थे । वे भारत में उत्पादन मण्डल के लिए लेख लिखते थे । शिक्षा संस्थाओं के हित के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते थे । उन्हें वर्ष 1992 में सदन में सम्मानित किया गया था । उनकी अध्ययन एवं खेल में विशेष रुचि थी । उनके निधन से हमने निश्चित रूप से एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और समाजसेवी व्यक्तित्व को खो दिया है । आपसे अनुरोध है कि उनके परिजनों तक हम लोगों की संवेदनाएं भेजने की कृपा करें ।

श्री नन्हे लाल इस विधान सभा के कई बार सदस्य रहे । उनका जन्म 5 मार्च, 1927 को हुआ था और 9 मार्च, 1994 को उनका निधन बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में हो गया । वे लगभग 67 वर्ष के थे । सर्व प्रथम श्री नन्हे लाल 1967 के सामान्य निर्वाचन में इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हो कर आये और उसके बाद 1974, 1977 में भी निर्वाचित होकर आये । श्रीमन्, वह समाजवादी आन्दोलन के बाराबंकी जिले के प्रमुख नेताओं में से थे और उनके साथ मुझे भी कार्य करने का अवसर मिला, जिले में भी कार्य करने का अवसर मिला और इस विधान सभा में भी काम करने का अवसर मिला है। वह दलितों के बीच बड़े ही प्रतिभावान थे ऐसे व्यक्ति आज बहुत कम मिलते हैं। जब नन्हे लाल जी ने राजनीति शुरू की थी, तो उन्होंने मन से और तन से दलितों की सेवा का कार्य किया । उनके न रहने से हम सभी का बहुत ही नुकसान हुआ है और पूरे समाज को नुकसान हुआ है । आपसे अनुरोध है कि हमारी शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

माननीय, कैप्टन राम गरीब का निधन 24 मार्च, 1994 को ब्रेन हैमरेज हो जाने के कारण हो गया । वे लगभग 71 वर्ष के थे । उनका जन्म 21 सितम्बर, 1923 को हुआ था । वे रंगून विश्वविद्यालय के स्नातक थे । वह वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में मनकापुर (अनुसूचित जाति) जिला गोंडा से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे । वह 1957 से 1962 तक लोक सभा के भी सदस्य रहे । उन्होंने अपना जीवन एक सैनिक सेवा के रूप में शुरू किया था । वे 1941 से 1947 तक द्वितीय महायुद्ध के समय बर्मा, जापान आदि देशों में सैनिक सेवा में रहे । वे जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता थे । हरिजन कल्याण कार्यों में आपकी विशेष रुचि थी । फुटबाल तथा हाकी में आपकी विशेष रुचि थी । उनके निधन से हमने एक देश भक्त और समाज सेवी खो दिया है । मेरा अनुरोध है कि मेरी शोक संतप्त भावनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

जो 5 अन्य सदस्य आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी अपने-अपने क्षेत्र में भूमिका रही थी और उनका विशेष स्थान था । आपसे अनुरोध है कि इन सभी लोगों के परिवार जनों तक हम लोगों की शोक संवेदनायें भेजने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, पुरानी पीढ़ी के बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर से उठता चला जा रहा है, यह बड़ी दुखद बात है हम सबको इसकी बड़ी पीड़ा है । उनके अनुभव-जन्य जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने का, मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका मिला है लेकिन वह अब हमारे बीच से चलते चले जा रहे हैं । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने श्री सर्वजीत लाल वर्मा, श्री दीप नारायण सिंह, श्री ए0 सी0 ग्राइस, श्री नन्हें लाल जी और श्री कैप्टन राम गरीब जी के असामयिक निधन के संबंध में जो शोकोद्गार व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । माननीय सर्वजीत लाल जी को नजदीक से मुझे जानने का मौका मिला, मैंने उनको नजदीक से देखा है । श्री जय प्रकाश जी के आन्दोलन में उनकी बड़ी क्रियाशील भूमिका थी, वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । वे किसान नेता और माननीय उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध एडवोकेट थे । शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है । कुल मिलाकर वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं । स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका बड़ी ही प्रभावी रही है । वे 31 मार्च, 1941 को जेल गये थे और 7 जनवरी, 1942 तक जेल में ही रहे । जब हिन्दुस्तान आजाद हो गया था उसके बाद जनता की सेवा के लिए बराबर संघर्ष करते रहे । वह फैजाबाद जनपद के थे । उनके न रहने से बड़ी भारी रिक्तता केवल फैजाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पैदा हुई है । मैं भगवान से, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रार्थना करूंगा, कि उनके निधन से जो रिक्तता हुई है उसे भरने की क्षमता प्रदान करें ।

मान्यवर, श्री दीप नारायण सिंह जी लगभग 79 वर्ष के थे । उन्होंने एम0ए0, एल–एल0बी0 तक शिक्षा प्राप्त की थी और एडवोकेट थे । वे वर्ष 1962 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र किशुनपुर, जिला फतेहपुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे । स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कई बार जेलों की यात्राएं की । वे विचारक थे और अनेक किताबें लिखीं उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । कुल मिलाकर उनकी बड़ी क्रियाशील भूमिका किसानों के उत्थान में रही है ।

मान्यवर, श्री ए0 सी0 ग्राइस का निधन लगभग 82 वर्ष की अवस्था में हो गया । श्री ए0 सी0 ग्राइस पहली बार 1952 में एंग्लो इंडियन के रूप में नामित हुए और उसके बाद वे इस विधान सभा में 1957, 62, 67, 69, 74, 77 तथा 1980 तक लगातार इस आदरणीय विधान सभा के सदस्य रहे । उनके साथ में हम सबको भी सेवा करने का मौका मिला है । शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बड़ी प्रभावी भूमिका थी । वे अखिल भारतीय एंग्लो इंडियन के स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष, अनेक शिक्षा संस्थाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

के वाइस चेयरमैन तथा गवर्निंग बाडीज के सदस्य भी रहे । वे अनेक शिक्षा संस्थाओं के सदस्य भी थे और इस आदरणीय सदन में क्रियाशील रूप से वह भूमिका अदा करते थे और अनेक अवसरों पर उनके सर्वश्रेष्ठ विचारों से यह सदन लाभान्वित होता था, आज वह हमारे बीच में नहीं हैं ।

मान्यवर, श्री नन्हे लाल जी 67 वर्ष के थे । वे सर्वप्रथम 1967 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फतेपुर जिला बाराबंकी से चुनकर आये थे । वह हमारे पड़ोस के जिले के थे और बहुत ही क्रियाशील थे । वे पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीते थे उसके बाद भारतीय क्रांतिदल और बाद में वर्ष 77 में जनता पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय विधान सभा के सदस्य रहे । जन-आन्दोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही वे संघर्षशील, जुझारू व्यक्ति थे और डा0 राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से काम करते थे उनका काम किसानों में और समाज के गरीब वर्ग में था ।

मान्यवर, कैप्टन राम गरीब 69 वर्ष के थे । वे सामान्य निर्वाचन में वर्ष 1974 में जिला गोंडा से निर्वाचित हुए थे उसके बाद सन् 1952 से 1962 तक लोक सभा के सदस्य रहे । उन्होंने अपना जीवन सैनिक सेवा के रूप में शुरू किया और द्वितीय विश्व युद्ध में कार्य किया । समाज सेवा में उनकी भूमिका बहुत ही क्रियाशील रही । इसी तरह से श्री सर्वजीत लाल वर्मा, श्री दीप नारायण सिंह, श्री ए0 सी0 ग्राइस जी, नन्हे लाल जी और कैप्टन राम गरीब जी के प्रति जो मैंने अपने विचार प्रकट किये, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे और मेरी पार्टी के जो श्रद्धासुमन हैं, शोकोद्गार हैं उनको शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, कि इन दिवंगत आत्माओं को शान्ति दें ।

*श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, इस सदन के भू0 पू0 माननीय सदस्यों के निधन पर मैं श्रद्धांजलि देने के लिये खड़ा हुआ हूं, जिन्होंने इस प्रदेश को ही नहीं वरन् इस देश को भी एक दिशा दी । आज वे हमारे बीच नहीं रहे । श्री सर्वजीत लाल वर्मा जी, श्री दीप नारायण सिंह जी, ए0 सी0 ग्राइस जी, नन्हे लाल जी और कैप्टन राम गरीब जी आज हमारे बीच नहीं रहे । इनके प्रति नेता सदन के रूप में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के उप नेता श्री गुप्त जी ने जो शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, सर्वजीत लाल वर्मा जी फैजाबाद में जन्मे थे आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया । 1946 में प्रथम बार इस विधान सभा के सदस्य हुए । गरीबों के लिये लड़ाई वे तमाम तरीकों से लड़ते रहे और इस उच्च न्यायालय के एक लीडिंग एडवोकेट के रूप में भी वे गरीबों के अधिकारों की, उनके हकों की लड़ाई लड़ते रहे । वे आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी क्षति शायद पूरी नहीं हो सकती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, श्री दीप नारायण सिंह जनपद फतेहपुर के रहने वाले थे 1962 में वे निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे । उनकी ख्याति के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्दलीय सदस्य के रूप में जो जीता हो कितना अपने क्षेत्र में और प्रदेश में वह लोकप्रिय रहा होगा । शोषित लोगों की वे सदैव अगुवाई करते रहे । वे हाई कोर्ट के सीनियर वकील थे । उन्होंने जो इस प्रदेश को दिशा दी चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में या अन्य शोषित संघ के सदस्य के रूप में वे कोई पूरी नहीं कर सकता है । आज वे हमारे बीच नहीं रहे । उनके निधन से फतेहपुर और प्रदेश को जो क्षति हुई है उसकी शायद पूर्ति नहीं हो सकती है ।

श्रीमन्, ए0 सी0 ग्राइस जी 1952 से 1980 तक इस सदन के नाम-निर्देशित सदस्य रहे । मान्यवर, पहली बार इस सदन का जब सदस्य चुनकर आया था तो मैंने ग्राइस जी को अपने बीच में इस सदन के सदस्य के रूप में पाया था । वे एक गम्भीर व्यक्ति थे । शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि थी । तमाम शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्य के रूप में उन्होंने इस प्रदेश के लोगों की शिक्षा के बारे में जो जागृति पैदा की वह स्मरणीय रहेगी । वे आज हमारे बीच नहीं हैं उनकी क्षति शायद कभी पूरी नहीं हो सकेगी ।

श्रीमन्, नन्हे लाल जी जो बाराबंकी के रहने वाले थे, तीन बार इस सदन के सदस्य रहे लोहिया विचारधारा के वे मानने वाले थे । डा0 राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न आन्दोलनों में वे चले गए । बाराबंकी के वे अगुवा लोगों में से थे । उन्होंने जनपद बाराबंकी ही नहीं पूरे प्रदेश को जो दिशा दी वह स्मरणीय है उनकी क्षति शायद ही कभी पूरी हो सकेगी ।

श्रीमन्, कैप्टन राम गरीब जनपद गोंडा के निवासी थे अनुसूचित जाति के होने के बावजूद उन्होंने मिलेट्री में रहकर जो लड़ाई थी वर्ल्ड वार की, उसमें उन्होंने अपनी क्षमता को दिखाया । 1957 और 1962 दो टर्म वे एम0 पी0 रहे, 1974 में एम0 एल0 ए0 रहे । वे मुखर व्यक्तित्व के थे उन्होंने इस सदन में जो-जो चीजें उठायीं वे देखने वाली हैं उनसे हमको शिक्षा मिलती है । वे आज हमारे बीच नहीं रहे । उनके निधन से खाली जनपद गोंडा को ही नहीं वरन् पूरे प्रदेश को क्षति हुई है ।

श्रीमन्, सर्वजीत लाल वर्मा जी, दीप नारायण सिंह जी, ए0 सी0 ग्राइस जी, नन्हे लाल जी और के0 राम गरीब जी के परिवारजनों तक मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा के जिन भू0 पू0 सदस्यों के दिवंगत होने पर जो वेदना और शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और उप नेता भा0ज0पा0 तथा उप नेता कांग्रेस दल ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को उन संवेदनाओं से सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, श्री सर्वजीत लाल वर्मा, जनपद फैजाबाद, श्री दीप नारायण सिंह, फतेहपुर, श्री ए0 सी0 ग्राइस, नाम-निर्देशित, श्री नन्हे लाल, बाराबंकी, कैप्टन राम गरीब गोंडा, इन भूतपूर्व माननीय सदस्यों के दिवंगत होने से हम सब दुखी हैं । इन सभी माननीय सदस्यों की सेवायें सदैव स्मरणीय रहेंगी । हम उनके कार्यों से उनकी समाजसेवा से सदैव शिक्षा लेते रहेंगे और प्रेरणा लेते रहेंगे । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन समाज सेवी और राजनीतिज्ञों को, जो हमारे बीच में आज नहीं हैं, उनके शोक संतप्त परिवारों तक मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

*पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय उप नेता, भारतीय जनता पार्टी, माननीय उप नेता, श्री नरेश अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी तथा माननीय नेता जनता दल ने जो शोक संवेदना व्यक्त की उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री सर्वजीत लाल वर्मा जो मेरे गृह जनपद के थे, को मैं भली-भांति जानता हूं । वे आज हमारे बीच में नहीं हैं उनके निधन से हमारे जिले को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को बहुत क्षति हुई है । उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया । उन्होंने नरेन्द्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जलालपुर की स्थापना की । यह हमारे क्षेत्र का सबसे पहला विद्यालय था । इसमें मैंने इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की । आप अपने में एक निराले और अनोखे आदमी थे । उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमारे प्रदेश को इस लायक बनाया । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं । श्री दीप नारायण, श्री ए0 सी0 ग्राइस, श्री नन्हे लाल, कैप्टन राम गरीब ये लोग भी आज हमारे बीच में नहीं हैं । मैं अपनी तरफ से एवं अपने दल की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री उदल–

मान्यवर, माननीय सर्वजीत लाल वर्मा, श्री दीप नारायण, श्री ए0 सी0 ग्राईस, श्री नन्हे लाल व कैप्टन राम गरीब जी के संबंध में जो उद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी तथा अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने को एवं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री सर्वजीत लाल वर्मा बहुत ही उच्च विचार के व्यक्ति थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे । उनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि थी और किसानों को संगठित करने में उनकी महान भूमिका रही । मान्यवर, वह फैजाबाद के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के जन नेता थे । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं और उनकी पूर्ति संभव नहीं है । श्री दीप नारायण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बहुत अच्छे वकीलों में रहे । उनके विचार प्रगतिशील विचार थे । इन्होंने फैजाबाद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की । आज भी उस स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है उन्होंने खेत मजदूर यूनियन की स्थापना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की, किसानों के बारे में उनकी बहुत रुचि थी, वह किसानों को शोषण से मुक्त कराना चाहते थे, अभी वह काम अधूरा है, उस काम को पूरा करने की जरूरत है। इनके उठ जाने से एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसानों का शुभचिन्तक, गरीबों का शुभचिन्तक, समाजसेवी हमारे बीच से उठ गया, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इनके साथ मुझे यहां रहने का मौका मिला है, वह बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, उनसे हमेशा सीखा ही जाता था।

इसी तरह से ए0 सी0 ग्राइस जी थे, उनकी रुचि विधान सभा के कार्यों में तो थी ही, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही। एंग्लो इंडियन के जितने भी स्कूल हमारे प्रदेश में चलते हैं, उनको चलाने में उनकी बहुत ही अग्रणी भूमिका रही है। वह बहुत ही अच्छे, मिलनसार, उत्साही व्यक्ति थे, वह हमेशा समाज के बारे में सोचते रहे, उनके निधन से एक अच्छे व्यक्ति और शिक्षा क्षेत्र को आगे ले जाने वाला व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया, अब उनके जैसा आदमी समाज में मिलने वाला नहीं है।

नन्हें लाल जी का निधन 9 मार्च, 1994 को बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में हो गया, वह 67 वर्ष के थे और 1967 में ही सामान्य निर्वाचन में निदूरा, फतेपुर, जिला बाराबंकी से चुनकर आए थे, वह सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे और राम मनोहर लोहिया जी के विचारों के अनुयायी थे। वह एक अच्छे वक्ता भी थे, उनके साथ भी मुझे यहां रहने का मौका मिला है। उनके उठ जाने से जनपद बाराबंकी की तो क्षति हुयी ही है, पूरे प्रदेश की भी क्षति हुयी है, अब उस क्षति की पूर्ति होना मुश्किल है।

इसी तरह से हमारे कैप्टन राम गरीब जी का भी योगदान सेना में बहुत अच्छा रहा। वह देश की लोक सभा के दो बार सदस्य रहे और यहां 1974 में निर्वाचित होकर आए थे। वह कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक थे और कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में से थे। उनके उठ जाने से एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा कार्यकर्ता और दलितों तथा गरीबों का मसीहा उठ गया। उनके निधन से जो क्षति हुयी है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती इसलिये श्रीमन् मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी और हमारे दल की ओर से शोक संवेदनायें उन महान विभूतियों के परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम स्वरूप सिंह–

आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री सर्वजीत लाल वर्मा, फैजाबाद, श्री दीप नारायण सिंह, फतेहपुर, श्री ए0सी0 ग्राइस, नाम निर्देशित, श्री नन्हें लाल बाराबंकी, कैप्टन राम गरीब, गोण्डा, इन सबके लिये जो सदन के नेता, उप नेता, भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी पार्टी के नेताओं ने जो शोक व्यक्त किया है, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री सर्वजीत लाल वर्मा एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत ही बहादुराना तरीके से काम किया उन्होंने सन् 1946 में फैजाबाद पूर्व से चुनाव जीता और सम्पूर्ण जीवन उन्होंने

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संघर्षशील समाज सेवी, किसानों के नेता के रूप में प्रभावशाली ढंग से काम किया । उन्होंने अपने जीवन में किसानों, गरीबों, खेत मजदूरों के लिये जो लड़ाई लड़ी वह याद आती रहेगी । उनके उठ जाने से केवल फैजाबाद जिले की ही नहीं पूरे प्रान्त की भारी क्षति हुई है ।

श्री दीप नारायण सिंह भी स्वतंत्रता आन्दोलन के अग्रणी नेताओं में से थे । उन्होंने अपने बचपन से ही आजादी की लड़ाई में भाग लिया । उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को अपने जिले में जन्म दिया । खेत मजदूरों, किसानों, मेहतर यूनियन के नेता तथा शोषित संघ के रूप में जो उन्होंने गरीबों का काम किया वह भुलाया नहीं जा सका है । उन्होंने अपने जिले ही नहीं प्रदेश के हर जिले में पहुंचकर अपने विचारों को, अपनी पार्टी के विचारों को पहुंचाया तथा संगठन के लिये काम किया । उनके काम जीवन भर याद आते रहेंगे । उनके मरने से कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत बड़ी हानि हुई है ।

श्री ए0सी0 ब्राइस जी ने विधान सभा में नाम निर्देशित सदस्य के रूप में काम किया । उन्होंने एक राजनैतिक और समाज सेवक के रूप में जो काम किया है वह भुलाया नहीं जा सकता है । खासकर शिक्षा जगत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है । उनके देहान्त से दलित और शोषितों की अपार हानि हुई है ।

श्री नन्हें लाल जी फतेपुर, जिला बाराबंकी से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुये थे । उन्होंने समाजवादी विचारधारा खासकर लोहिया जी की विचार-धारा को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान किया । वह जीवन-पर्यन्त गरीबों, शोषितों और पीड़ितों के लिये काम करते रहे । उनके देहावसान से गरीबों और शोषितों की बहुत बड़ी हानि हुई है ।

श्री कैप्टन राम गरीब जी रंगून विश्वविद्यालय से स्नातक थे व 1941 से 1947 तक द्वितीय महायुद्ध के समय सैनिक सेवा की तथा बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया । सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जनसेवा का काम किया । हरिजन कल्याण तथा खेलों में भी उनकी रुचि थी । उन्होंने जीवन भर जो तमाम काम किये उसके लिये वह याद आते रहेंगे । उनके देहावसान से भारी हानि हुई है । श्रीमन् मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इन सभी महानुभावों के शोक-संतप्त परिवारों तक मेरे और मेरे दल की ओर से शोक संवेदना भेजने की कृपा करें ।

*श्री महबूब अली–

श्रीमन्, इस सदन के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, उप नेता भारतीय जनता पार्टी, उप नेता कांग्रेस पार्टी, नेता जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने श्री सर्वजीत लाल वर्मा, श्री दीप नारायण सिंह, श्री ए0सी0 ब्राइस, श्री नन्हें लाल और कैप्टन राम गरीब के बारे में जो शोक संवेदना के विचार रखे, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं । पहले देश की आजादी की लड़ाई में रहे, फिर समाज सेवा में रहे, परन्तु आज वह हमारे बीच नहीं हैं । ऐसे बुजुर्गों की सरपरस्ती के कारण ही आज हम लोग इस आदरणीय सदन में बैठे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । इसलिए मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक संवेदना के भाव प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे शोक संवेदना के ये शब्द उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के नेता श्री काशी सिंह ऐरी जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

*श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मैं उन पूर्व सदस्यों की दिवंगत आत्माओं और उनके शोकाकुल परिवार के प्रति माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उनके आचरण कार्य, कर्तव्य और उनके निधन पर मानव जगत की हानि की बात कही है, उनसे मैं अपने को जोड़ते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक सभी निर्दलीय विधायकों की तरफ से शोक-संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एवं उपनेता भारतीय जनता पार्टी नेता कांग्रेस श्री अग्रवाल जी ने, बहुजन समाजपार्टी के नेता श्री वर्मा जी ने और जनता पार्टी के नेता श्री किरनपाल सिंह जी ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री उदल जी ने और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता श्री महबूब अली जी ने तथा निर्दलीय सदस्यों ने जो अपने भावोद्गार स्वर्गीय श्री सर्वजीत लाल वर्मा, श्री दीप नारायण, श्री ए0 सी0 ग्राइस, श्री नन्हें लाल, श्री कैप्टन राम गरीब के प्रति प्रकट किए हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि वह जो अजेय शक्ति हमारे बीच इस विशाल संसार में विद्यमान है उसके इशारे पर कालचक्र अबाधगति से चल रहा है और कोई भी सांसारिक प्राणी इस काल चक्र से आज तक नहीं बच पाया है । यह नियम चलता रहा है और चलता रहेगा । लेकिन हम उनके प्रति बैठकर संवेदना प्रकट करते रहे हैं, जो हमारे इस विधान सभा से सम्बद्ध विधायकगण रहे हैं वे आज हमारे बीच में नहीं हैं । विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए ऐसे लोगों के प्रति इन संस्थाओं से संबंधित व्यक्ति भी शोक-संवेदना प्रकट करते रहे हैं । स्वर्गीय श्री सर्वजीत लाल वर्मा जी फैजाबाद के निवासी थे और स्वर्गीय श्री दीप नारायण जी जो फतेहपुर के निवासी थे, इन दोनों के संबंध में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया । इनके और इनके साथियों के प्रयास से ही आज हम लोग इस सदन में बैठने के हकदार हुए हैं । इनके कार्य और विचार हमारे लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी । इसी तरह से स्वर्गीय श्री ए0सी0 ग्राइस भी इस सदन के अनेक बार सदस्य रहे और अभी हाल में ही वह हमारे बीच से चले गये हैं । इन्होंने भी अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में शिक्षा के विकास के लिए अथक प्रयास किया । उन्होंने कई संस्थाओं को संचालित करके, उनकी स्थापना करके तथा उनके प्रबंध के जरिये इस प्रदेश के कई नगरों में शिक्षा का आदर्श स्थापित किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज वह भी हमारे बीच से चले गए हैं । हम सभी के लिए वह प्रेरणा-स्रोत रहेंगे । इसी तरह से उन्हें प्रेरणा-स्रोत मानकर शिक्षण संस्थाओं में अपना योगदान करके अपने समाज, देश और प्रदेश को आगे बढ़ाते रहें । इसी तरह से स्वर्गीय श्री नन्हे लाल जी आज हमारे बीच नहीं हैं । उन्होंने भी इस समाजवादी विचारधारा को अपनाकर के स्वर्गीय श्री लोहिया जी के आदर्शों पर चलकर इस समाज, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी खुशहाली के लिए अथक प्रयास किया । उनके कार्य और विचार अदृश्य रूप में हमारे सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने बने रहेंगे । इसी तरह स्वर्गीय कैप्टन राम गरीब जी भी आज हमारे बीच नहीं हैं । वह भी अदृश्य रूप से हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा-स्रोत बने रहेंगे । उन्होंने द्वितीय विश्व-युद्ध में बर्मा, जापान और कई देशों में बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया और शौर्य तथा वीरता का परिचय दिया । अन्त में समाज सेवा में रत रहते हुए आज वह हमारे बीच में नहीं हैं । उनके आदर्श व कृत्य हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा-स्रोत बने रहेंगे ।

अन्त में यह कहते हुए कि जो हमारे साथी अब हमारे बीच में नहीं हैं उनके आदर्श और कार्य ही हमारे सामने शेष हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे समाज सेवा के रूप में हों, चाहे वे देश को खुशहाल बनाने के संबंध में हों, चाहे वह समाजवाद के सिद्धान्त को लेकर समतामूलक समाज की स्थापना के लिये हों उन सबसे प्रेरणा लेकर अपने समाज की प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिये, और खुशहाल बनाने के लिए आदर्श मानना है । इन शब्दों के साथ मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और माननीय समस्त नेताओं और सदस्यों की भावनाओं, सदन की भावनाओं और अपनी भावनाओं को उनके परिवार जनों तक पहुंचा दूंगा ।

परम पिता परमात्मा स्वर्गीय आत्माओं को शाश्वत शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों, इष्ट मित्रों को धैर्य धारण करने की क्षमता भी प्रदान करें । इन शब्दों के साथ स्व0 आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सम्मान में दो मिनट के लिए हम सब मौन खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ।

(दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।)

मेरठ में हुए गोली काण्ड विषयक, नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को पहले लिए जाने की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 311 में हम लोगों ने सूचना दी है ।

(व्यवधान)

(मद संख्या 18 पुकारने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद लूंगा (व्यवधान) सूचनाओं को क्रम से लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरठ के बारे में पहले सुन लें । (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने कहा था सुनूंगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य विचार रखना चाहेंगे । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने सदन को निर्देशित किया था कि सुनूंगा (व्यवधान) इसको लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा था यह विधान परिषद् में भी आज विचार के लिये है । पहले मद संख्या 18, 19 ले रहे हैं, यह बात हो चुकी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हमें मद संख्या 18, 19 पर चर्चा करनी है । हम इसका विरोध कर रहे हैं । (व्यवधान) पहले मेरठ के बारे में सुन लें । (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

(व्यवधान के मध्य) मेरठ में चार लोगों की हत्या की गयी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें और व्यवधान न पैदा करें । पहले मद संख्या 18 पूरी हो जाने दें ।

(घोर व्यवधान)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 5 तक अनुसूची 1 से 3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994

राज्य की कतिपय म्युनिसिपैलिटियों, नोटीफाइड एरियाओं और टाउन एरियाओं के प्रशासन के लिये कतिपय अस्थायी प्रबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 कहा जायेगा ।

(2) य 18 जनवरी, 1994 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

म्युनिसिपैलिटीज और नोटीफाइड एरियाओं के प्रशासन के संबंध में अस्थाई उपबन्ध

2—(1) दिनांक 19 जनवरी, 1994 से यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1916) (जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध 31 मई, 1994 या जब तक उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नगरपालिका बोर्डों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तब के लिये अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट म्युनिसिपैलिटीज के संबंध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी म्युनिसिपल बोर्ड के समस्त सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे,

(ख) म्युनिसिपल बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों की सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायेगा, और जिला मजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्ति प्रतिनिहित करें], जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, म्युनिसिपल बोर्ड, उसका अध्यक्ष या सम्बद्ध समिति समझा जायेगा ।

(2) दिनांक 19 जनवरी, 1994 से उक्त अधिनियम के उपबन्ध 31 मई, 1994 या जब तक कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नोटीफाइड एरिया कमेटियों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिये अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट नोटीफाइड एरिया के संबंध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्–

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नोटीफाइड एरिया कमेटी के अध्यक्ष (चेयरमैन) और सभी सदसय अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे,

(ख) नोटीफाइड एरिया कमेटी, और उसके अध्यक्ष की सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायगा, और जिला मजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्ति प्रतिनिहित करें], जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, नोटीफाइड एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष समझा जायगा ।

टाउन एरियाओं के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबन्ध

3–दिनांक 19 जनवरी, 1994 से संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1914) (जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध 31 मई, 1994 या जब तक कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन टाउन एरिया कमेटियों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिये अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट टाउन एरिया के संबंध में, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्–

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष और सभी सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे,

(ख) टाउन एरिया कमेटी की सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायगा, और जिला मजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्ति प्रतिनिहित करें], जैसा अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, टाउन एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष समझा जायगा ।

अतिरिक्त उपबन्ध

4–(1) जहां किसी संगत अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया का पहले ही विघटन या अतिक्रमण कर दिया गया हो और ऐसा विघटन या अतिक्रमण 19 जनवरी, 1994 के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो वहां भी इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे ।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट धारा 2 की उपधारा (2) या उपधारा (2) के खण्ड (ख), या धारा

प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझें, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी एक या अधिक व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

(3) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक आदेश दे सकती है जो उसे पूर्ववर्ती और सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिये जो उसके एक सत्र में या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखी जायेगी, और जब तक कि कोई पश्चातवर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में अपने प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो जायं, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1994

निरसन और अपवाद

5-(1) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्प कालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम या अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची–एक

[देखिए धारा 12(1)]

क्र० सं०	जिले का नाम	नागरपालिका का नाम
1	2	3
1	आगरा	1–फतेहपुर सीकरी
		2–अछनेरा
		3–शमशाबाद
		4–टुण्डला
		5–एत्मादपुर
		6–वाह
2	अलीगढ़	7–अतरौली
		8–हाथरस
		9–सिकन्दराराऊ
		10–खैर
3	अल्मोड़ा	11–अल्मोड़ा
		12–बागेश्वर
4	आजमगढ़	13–आजमगढ़
		14–मुबारकपुर
5	मऊ	15–मऊनाथ भंजन
6	बहराइच	16–नानपारा
7	बलिया	17–बलिया
		18–बलिया
		19–भदोही
		20–मुगलसराय
		21–रामनगर
		22–गोपीगंज
9	बांदा	23–बांदा
		24–चित्रकूटधाम
		25–अतर्रा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
10	बाराबंकी	26–नवाबगंज (बाराबंकी)
		27–रुदौली
11	बस्ती	28–बस्ती
		29–खलीलाबाद
12	सिद्धार्थनगर	30–तेतरी बाजार
		31–बांसी
13	बरेली	32–आंवला
		33–बहेड़ी
		34–फरीदपुर
		35–नवाबगंज
14	बिजनौर	36–बिजनौर
		37–चांदपुर
		38–धामपुर
		39–नगीना
		40–नजीबाबाद
		41–नहटौर
		42–अफजलगढ़
		43–कीरतपुर
		44–स्योहारा
		45–शेरकोट
		46–नूरपुर
		47–हल्दौर
15	बदायूं	48–बदायूं
		49–सहसवान
		50–उझानी
		51–बिल्सी
		52–ककराला
		53–बिसौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
16	बुलन्दशहर	54–अनूपशहर
		55–डिबाई
		56–जहांगीराबाद
		57–खुर्जा
		58–गुलावटी
		59–स्याना
		60–शिकारपुर
17	चमोली	61–जोशीमठ
		62–चमोली-गोपेश्वर
18	देवरिया	63–देवरिया
		64–गौराबरहज
		65–पड़रौना
19	देहरादून	66–मंसूरी
		67–ऋषिकेश
		68–विकासनगर
20	एटा	69–एटा
		70–गंजडुंडवारा
		71–जलेसर
		72–कासगंज
		73–सोरों
		74–अलीगंज
		75–मारहरा
21	इटावा	76–औरैया
		77–भरथना
		78–जसवन्तनगर
22	फर्रुखाबाद	79–छिबरामऊ
		80–कन्नौज
		81–गुरसहायगंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
23	फतेहपुर	82–बिन्दकी
		83–फतेहपुर
24	पौड़ी गढ़वाल	84–कोटद्वार
		85–पौड़ी
		86–श्रीनगर
		87–दुगड्डा
25	गाजीपुर	88–मोहम्मदाबाद
		89–जमनियां
26	गाजियाबाद	90–मोदीनगर
		91–पिलखुआ
		92–मुरादनगर
		93–गढ़मुक्तेश्वर
27	गोण्डा	94–बलरामपुर
		95–गोण्डा
		96–करनैलगंज
		97–उतरौला
28	महराजगंज	98–नौतनवां
		99–महराजगंज
29	हरदोई	100–बिलग्राम
		101–हरदोई
		102–पिहानी
		103–सण्डीला
		104–शाहाबाद
		105–साण्डी
		106–मल्लावां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
30	हमीरपुर	107–चरखारी
		108–हमीरपुर
		109–महोबा
		110–राठ
		111–मौदहा
31	जालौन	112–जालौन
		113–कालपी
		114–कोंच
		115–उरई
32	जौनपुर	116–मोगरा बादशाहपुर
		117–शाहगंज
		118–मऊरानीपुर
33	झांसी	119–समथर
		120–बरुआसागर
		121–चिरगांव
		122–गुरसरायगंज
34	कानपुर देहात	123–घाटमपुर
		124–बिल्हौर
		125–पुखरायां
35	खीरी	126–गोलागोकरननाथ
		127–लखीमपुर
		128–मोहम्मदी
		129–पलिया कलां
36	ललितपुर	130–ललितपुर
37	मैनपुरी	131–मैनपुरी
38	फिरोजाबाद	132–शिकोहाबाद
		133–सिरसागंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
39	मथुरा	134–कोसीकलां
		135–वृन्दावन
40	मेरठ	136–बड़ौत
		137–सरधना
		138–बागपत
41	मिर्जापुर	139–चुनार
42	सोनभद्र	140–राबर्ट्सगंज
		141–अहरौरा
43	मुरादाबाद	142–हसनपुर
		143–धनौरा
		144–बिलारी
		145–बहजोई
		146–ठाकुरद्वारा
		147–बछरायूं
44	नैनीताल	148–हल्द्वानी काठगोदाम
		149–रामनगर
		150–काशीपुर
		151–नैनीताल
		152–जसपुर
		153–रुद्रपुर
		154–टनकपुर
		155–खटीमा
		156–गदरपुर
		157–किच्छा
		158–सितारगंज
		159–बाजपुर
		160–भवाली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
45	प्रतापगढ़	161–बेला प्रतापगढ़
46	पीलीभीत	162–बीसलपुर
		163–पीलीभीत
		164–पूरनपुर
47	पिथौरागढ़	165–पिथौरागढ़
48	रायबरेली	166–रायबरेली
		167–जायस
49	रामपुर	168–स्वार
		169–बिलासपुर
		170–मिलक
		171–टाण्डा
50	सहारनपुर	172–देवबंद
		173–मंगलौर
		174–रुड़की
		175–नकुड़
		176–सरसावां
		177–गंगोह
51	शाहजहांपुर	178–तिलहर
		179–जलालाबाद
52	सीतापुर	180–बिसवां
		181–खैराबाद
		182–लहरपुर
		183–नीमसार-मिश्रिख
		184–महमूदाबाद
53	टिहरी गढ़वाल	185–टिहरी
		186–नरेन्द्रनगर
54	सुल्तानपुर	187–सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
55	उन्नाव	188–बांगरमऊ
		189–उन्नाव
		190–गंगाघाट
56	उत्तरकाशी	191–उत्तरकाशी
57	मुजफ्फरनगर	192–कैराना
		193–शामली
		194–खतौली
		195–कांधला
58	फैजाबाद	196–टांडा
		197–अकबरपुर
		198–अयोध्या
		199–जलालपुर
59	गाजियाबाद	200–दादरी
60	बुलन्दशहर	201–सिकन्दराबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची–दो

[देखिये धारा 2(2)]

क्रम-सं०	जिले का नाम	नोटीफाइड एरिया का नाम
1	2	3
1	बहराइच	1–भिनगा
2	बलिया	2–रेवती
		3–मनियर
		4–सिकन्दरपुर
3	बस्ती	5–मगहर
4	गोण्डा	6–तुलसीपुर
5	मिर्जापुर	7–चोपन
6	मुरादाबाद	8–सिरसी
		9–नौगवासादास
7	सहारनपुर	10–तीतरों
8	टेहरी गढ़वाल	11–देवप्रयाग
		12–मुनि की रेती
		13–कीर्तिनगर
9	पिथौरागढ़	14–लोहाघाट
10	चमोली	15–नन्द प्रयाग
11	अल्मोड़ा	16–द्वाराहाट
12	मिर्जापुर	17–ओबरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—तीन

[देखिये धारा 3]

क्रम-सं०	टाउन एरिया का नाम
1	2
1	दयालबाग
2	फतेहाबाद
3	जगनेर
4	पिनाहट
5	स्वामीबाग
6	खैरागढ़
7	किरावली
8	बेसबा
9	विजयगढ़
10	छर्रा
11	हरदुआगंज
12	हसायन
13	जलाली
14	कौड़ियागंज
15	मेडू
16	मुरसान
17	पिलखाना
18	पुरदिलनगर
19	सासनी
20	जट्टारी
21	इगलास
22	भारतगंज
23	झूंसी
24	मऊआइमा
25	फूलपुर
26	सरायआकिल
27	सिरसा
28	भरवारी
29	मंझनपुर
30	हंडिया
31	सिराथू
32	लालगोपालगंज
33	चायल
34	शंकरगढ़
35	करारी
36	अझुवा
37	कोरावं
38	आमला
39	अतरौलिया
40	कोपागंज
41	दोहरीघाट
42	मोहम्मदाबाद-गोहना
43	निजामाबाद
44	फूलपुर
45	सरायमीर
46	अदरी
47	घोसी
48	कटघर (लालगंज)
49	बिलरियागंज
50	अजमतगढ़
51	महराजगंज
52	जीयनपुर
53	मेहनगर
54	इकौना
55	जरवल
56	रिसियाबाजार
57	बड़ागांव
58	बांसडीह
59	सहतवार
60	बिल्थरारोड
61	चकिया
62	गंगापुर
63	ज्ञानपुर
64	चन्दौली
65	सैयदराजा
66	कुम्हरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
67	नई बाजार
68	घोसियाबाजार
69	सुरियावां
70	नरैनी
71	राजापुर
72	बबेरू
73	मानिकापुर–सरहट
74	ओरन
75	मटोघ
76	बिलसण्डा बुजुर्ग
77	तिन्दवारी
78	बंकी
79	देवा
80	दरियाबाद
81	फतेहपुर
82	रामनगर
83	सतरिख
84	टिकैतनगर
85	जैदपुर
86	हैदरगढ़
87	सिद्धौर
88	मेंहदावल
89	शोहरतगढ़
90	बढ़नीबाजार
91	हरिहरपुर
92	फतेहगंज (पूर्वी)
93	रिछा
94	सेंथल
95	शाही
96	शीशगढ़
97	सिरौली
98	मीरगंज
99	फतेहगंज (पश्चिमी)
100	शेरगढ़

1	2
101	घोराटाण्डा
102	थिरियानिजावतखां
103	रिठौरा
104	विशारतगंज
105	देवरनियां
106	फरीदपुर
107	झालू
108	मण्डावर
109	साहनपुर
110	बढ़ापुर
111	सहसपुर
112	जलालबाद
113	अलापुर
114	दातागंज
115	गवा
116	गुन्नौर
117	इस्लामपुर
118	मुन्डिया
119	उतेहत
120	सैदपुर
121	बबराला
122	कुंवरगांव
123	सरवुना
124	रुदायन
125	गुलडिया
126	कछला
127	फैजगंज
128	वजीरगंज
129	उसावां
130	औरंगाबाद
131	बिलासपुर
132	भवन बहादुरनगर
133	दतारी
134	दनकौर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
135	जेवर
136	बुगरासी
137	कंकोड़
138	पहासू
139	रबूपुरा
140	खानपुर
141	जहांगीरपुर
142	नरौरा
143	कप्तानगंज
144	रामपुर-कारखाना
145	रुद्रपुर
146	लार
147	रामकोला
148	सेवरही
149	भाटपाररानी
150	कुशीनगर
151	सलेमपुर
152	भटनीबाजार
153	गौरीबाजार
154	हाटा
155	मझौलीराज
156	खड्हा
157	डोईवाला
158	हरबर्टपुर
159	अमापुर
160	अवागढ़
161	बिलराम
162	निधौलीकलां
163	मोहनपुर
164	पटियाली
165	राजा का रामपुर
166	सकीट
167	सहावर

1	2
168	भरगैन
169	जैथरा
170	सिद्धपुरा
171	इकदिल
172	लखना
173	फफूंद
174	अछल्दा
175	डिबियापुर
176	बिधूना
177	बाबरपुर अजीतमल
178	अटसू
179	बकेवर
180	कमालगंज
181	शमसाबाद
182	तालग्राम
183	तिरवागंज
184	सिकन्दरपुर
185	सोरिख
186	समधन
187	खागा
188	किशुनपुर
189	कोडाजहानाबाद
190	बहुआ
191	रुद्रप्रयाग
192	बहादुरगंज
193	सैदपुर
194	दिलदारनगर-कम-फतेहपुर बाजार
195	सादात
196	जंगीपुर
197	बाबूगढ़
198	फरीदनगर
199	निवाड़ी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
200	लोनी
201	पतला
202	दासना
203	कटरा
204	बरगूपुर
205	मनकापुर
206	पचपेड़वा
207	बड़हलगंज
208	गोला
209	पिपराइच
210	सिसवा बाजार
211	मुन्डेरा बाजार
212	आनन्दनगर
213	पीपीगंज
214	निचलौल
215	घुघली
216	बेनीगंज
217	माधोगंज
218	पाली
219	गोपामऊ
220	कछौना-पतसैनी
221	कुरसठ
222	सुमेरपुर
223	सरीला
224	खरेला
225	कुलपहाड़
226	कुरारा
227	कोहान्दु
228	कबरई
229	केराकत
230	मछलीशहर
231	मड़ियाहूं

1	2
232	जफरावाद
233	कदौरा
234	माधौगढ़
235	कोटरा
236	रामपुरा
237	नदीगांव
238	उमरी
239	एरिच
240	मोंठ
241	रानीपुर
242	कटरा
243	बड़ागांव
244	टोडी फतेहपुर
245	गरौठा
246	बिठूर
247	सिकन्दरा
248	झींझक
249	अकबरपुर
250	रूरा
251	इरावली
252	अमरौधा
253	शिवराजपुर
254	धौरहरा
255	खीरी
256	ओयल-ढ़कवा
257	सिंगाही-भेड़ौरा
258	मैलानी
259	बरबल
260	तालबेहट
261	महरौनी
262	पाली
263	अमेठी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
264	गोसाईगंज
265	काकोरी
266	मलिहाबाद
267	इटौंजा
268	महोना
269	नगराम
270	बेवर
271	भोगांव
272	जसराना
273	कुरावली
274	फरिहा
275	कुसमरा
276	किसना
277	ज्योति खुड़िया
278	बल्देव
279	छाता
280	फरह
281	गोवर्धन
282	गोकुल
283	राधाकुण्ड
284	राया
285	सादाबाद
286	सहमऊ
287	सोख
288	बरसाना
289	बाजना
290	नन्दगांव
291	चौमुहा
191-क	महावन
292	लावड़
293	अमीनगर-सराय
294	छपरौली
295	खेकड़ा
296	परीक्षतगढ़
297	फलावदा
298	अग्रवालमण्डी
299	सिवालखास
300	बहसूमा
301	करनावल
302	दौराला
303	किठौर
304	दोघट
305	टीकरी
306	खरखौदा
307	घौरावल
308	कुछवा
309	दुद्धी
310	काण्ठ
311	कुंदरकी
312	भोजपुर-धरमपुर
313	नैरोली
314	उमरीकलां
315	उझारी
316	जोया
317	गजरौला
318	भीमताल
319	कालाडुंगी
320	सुल्तानपुर
321	लालकुंआ
322	दिनेशपुर
323	महुआखड़ागंज
324	केलाखेड़ा
325	महुआ डाबरा
326	हरीपुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
327	मानिकपुर
328	प्रतापगढ़ सिटी
329	कुण्डा
330	पट्टी
331	कटरा-मेदनीगंज
332	अन्तू
333	बिलसण्डा
334	न्योरिया-हुसैनपुर
335	गुलड़िया-भिन्डारा
336	बरखेड़ा
337	कलीनगर
338	जहांनाबाद
339	चम्पावत
340	धारचूला
341	डीडीहाट
342	बछरांवा
343	डलमऊ
344	महराजगंज
345	सलोन
345–क	लालगंज
346	परसेदपुर
347	ऊंचाहार
348	केमरी
349	शाहाबाद
350	मसवासी
351	अम्बेहटा
352	बेहट
353	सुल्तानपुर

1	2
354	झबरेला
355	नानौता
356	लन्दौरा
357	रामपुर-मनिहारन
358	कटरा
359	पुवायां
360	कान्ठकमलनैनपुर
361	आल्हागंज
362	खुदागंज
363	खुटार
364	तम्बौर-अहमदाबाद
365	पैंतेपुर
366	महौली
367	सिधौली
368	हरगांव
369	अमेठी
370	कोइरीपुर
371	दोस्तपुर
372	कादीपुर
373	मुसाफिरखाना
374	भगवन्तनगर
375	मौरावां
376	पुरवा
377	सफीपुर
378	फतेहपुर-चौरासी
379	ऊगू
380	औरास

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
381	कुरसठ
382	हैदराबाद
383	बीघापुर
384	न्यौतिनी
385	मोहान
386	रसूलाबाद
387	नवाबगंज
388	बरकोट
389	गोचर
390	बुढ़ाना
391	चरथावल
392	जानसठ
393	जलालाबाद
394	झिझना

1	2
395	मीरापुर
396	पुरकाजी
397	शाहपुर
398	सिसौली
399	थानाभवन
400	ओंकरहेडी
401	गढ़ीपुरवा
402	ऊन
403	बनात
404	करहल
405	मदरसा
406	गोसाईगंज
407	बीकापुर
408	असरफपुर-किछौछा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, अनुसूची 1 से 3 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

(मेरठ गोलीकाण्ड को सुने जाने की मांग करते हुए श्री नरेन्द्र सिंह और चरन सिंह सदन के वेल में आकर बैठ गए)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, नियम 312 में पहले सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें । अब मैं मद संख्या 4 एवं उससे आगे ले रहा हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (संख्या–3) सिविल खण्ड प्रथम) एवं सिविल खण्ड द्वितीय)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (संख्या–3) (सिविल खण्ड प्रथम) एवं (सिविल खण्ड द्वितीय) (स्वायत्त निकायों एवं अन्य की वित्तीय सहायता) उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1989-90†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1989-90 उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

† छापा नहीं गया ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (संख्या–2) (राजस्व प्राप्तियां) †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (संख्या–2) (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (चौदहवां संशोधन) नियमावली 1991†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–5944/33-1-91-13 जी-85, दिनांक 27 दिसम्बर, 1991 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (चौदहवां संशोधन) (नियमावली, 1991 जो विलम्बके कारणों सहित दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 के उपवेशन में विधान सभा के पटल पर रखी गई थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने के निर्दिष्ट कालावधि दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 को विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकती है, को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य) (सदन के वेल में श्री नरेन्द्र सिंह और श्री चरन सिंह बैठे-बैठे कहते रहे कि यह हरिजनों की हत्यारी सरकार है–घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव विधान सभा–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1994 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1994 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 29 मार्च, 1994 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक, 1994

सचिव विधान सभा–

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं :–

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1994 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1994 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के बिना किसी संशोधन के दिनांक 29 मार्च, 1994 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 1994

सचिव विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं:–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 18 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 मार्च, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

(दो सदस्य सर्वश्री नरेन्द्र सिंह व चरन सिंह पूर्व की भांति वेल आफ दि हाउस में बैठे रहे और भा0ज0पा0 के प्रायः सभी और जनता दल तथा कांग्रेस के कई सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े रहे और नियम 311 लेने की बात उठाते रहे ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994

[1 बजकर 30 मिनट]

सचिव विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 मार्च, 1994 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 मार्च, 1994 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक अकोला में स्थित ग्राम बसइया जैगारा पर खारी नदी पर बांध बनाए जाने के संबंध में याचिका

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 11, श्री बदन सिंह जी याचिका प्रस्तुत करेंगे ।

(शोर व व्यवधान के मध्य)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक अकोला में स्थित ग्राम बसइया जैगारा पर खारी नदी के ऊपर बांध बनाए जाने के संबंध में श्री नेमी चन्द अग्रवाल, प्रधान, ग्राम सभा जैगारा, आगरा तथा श्री पहूक सिंह, प्रधान, ग्राम सभा मिन, आगरा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।†

मेरठ में हुए गोली काण्ड विषयक नियम 311 की सूचना दिए जाने की मांग (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपकी बात हमने मान ली और आप सदन की भावना को न समझे यह बड़ी दुखद बात है और ऐसी ही बातों से सदन नहीं चल पाता है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आप सदन के सारे नियमों और परम्पराओं को तिलांजलि देकर आप खुलेआम सत्ता की गुलामी कर रहे हैं । मेरठ में दलित फूंक दिए गए । बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया, वहां कितने थानों में कर्फ्यू लगा हुआ है....

(घोर व्यवधान)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 मार्च, 1994 की बैठक में सदन के दिनांक 31 मार्च, 1994 से 27 अप्रैल, 1994 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 30 मार्च, 1994 के लिए कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग दुग्धशाला विकास, पशुधन एवं मत्स्य), महिला एवं बाल कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत निर्धारित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान को दिनांक 13 अप्रैल, 1994 को रखा जाय और दिनांक 13 अप्रैल, 1994 के लिए उद्योग विभाग, श्रम विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान को दिनांक 23 अप्रैल, 1994 को रखा जाय ।

2–सदन का दिनांक 31 मार्च, 1994 से 27 अप्रैल, 1994 तक की तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

मार्च, 1994	
31 गुरुवार	1–निधन के निर्देश (प्रश्न काल के उपरान्त) । 2–निम्नलिखित विधेयक पर विचार एवं उसका पारण:– उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइट एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1994 । 3–वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

अप्रैल, 1994

1 शुक्रवार 2 शनिवार 3 रविवार	(गुड फ्राइडे का अवकाश) ।
4 सोमवार 5 मंगलवार 6 बुधवार	बैठक नहीं होगी ।
7 गुरुवार 8 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
9 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
12 मंगलवार 11 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
13 बुधवार 14 गुरुवार 15 शुक्रवार 16 शनिवार 17 रविवार	(डा0 भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
18 सोमवार 19 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
20 बुधवार	बैठक नहीं होगी (राम नवमी का अवकाश)
21 गुरुवार 22 शुक्रवार 23 शनिवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
24 रविवार	बैठक नहीं होगी (महावीर जयन्ती का अवकाश)
26 मंगलवार 25 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
27 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) 4·00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने सदन में अभी दी है, से यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में, जिसका प्रस्ताव माननीय लोक निर्माण कार्य मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूँ ।

(जो माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर विरोध स्वरूप बोल रहे थे और सदन में घोर व्यवधान की स्थिति थी, वे सारे सदस्य एकदम से वेल आफ दि हाउज में सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सुरेश चन्द्र तिवारिया, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा व किरणपाल सिंह आदि के साथ आ गए तथा वे लोग "तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" के नारे जोर जोर से लगाने लगे । माननीय सदस्य रिपोर्ट्स टेबुल को पकड़ कर खड़े थे, उसे हिलाने लगे तथा रिपोर्ट्स मेज से एजेण्डा आदि उठा लिया जिससे कार्यरत रिपोर्टर को अपना स्थान छोड़ना पड़ा ।)

(घोर व्यवधान)

(वेल आफ दि हाउज में एकत्र विरोधी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर जाने लगे चले गए तथा अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए ।)

(घोर व्यवधान)

†दिनांक 5-4-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में देखें ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम दो बजे तक के लिए उठते हैं ।

(इस समय 1 बजकर 33 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । दो बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । अपराह्न 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

[2 बजकर 30 मिनट]

मेरठ में हुए गोलीकाण्ड विषयक नियम 311 की सूचना को लिए जाने की मांग

(क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा एक निवेदन सुन लें, आप पहले नीति बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले 301 से सुनें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप कृपा करके नीति बता दें । किस-किस मद को लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरठ वाले मामले को लेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

इस समय व्यवस्था न उठाइए ।

(व्यवधान)

श्री अक्षयवर भारती–

श्रीमन् अध्यक्ष पीठ पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए । [XXX] ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए । हाउस में हम लोग नए हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय सदस्य यह भी बता दें कौन कह रहा है ?

नोटः–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अछैबर भारती–

राम आसरे वर्मा जी ने कहा है । इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं यह हाउस का अपमान है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा नाम लेकर यह बात कही गयी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, मैं मेरठ वाले प्रकरण को ले रहा हूं ।

*श्री राम आसरे वर्मा–

आप मेरठ वाले प्रकरण पर मुझे अनुमति दे रहे हैं या माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाकर एक बात कही है उस पर बोलने के लिए मेरा नाम लिया है ? यदि उस सिलसिले में मुझे अनुमति दी है तो उस पर कहूं या 311 पर मेरठ वाले प्रकरण पर अनुमति दी है तो उस पर कहूं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले मेरठ के सदस्यों को कहूंगा जो उस क्षेत्र के हैं और आस-पास के हैं । उनको जानकारी सबसे पहले होगी उनको मैं वरीयता दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

श्रीमन् मेरे ऊपर आरोप लगाया है उस सिलसिले में मुझे कुछ कहने की अनुमति देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं और आप कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहा हूं । या तो आप कह दीजिए अनुमति दे रहा हूं या कह दीजिए नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

श्रीमन् मैं देख रहा हूं आप राम आसरे जी का मुस्कराना नहीं देख सकते हैं । अब यह मुस्करा रहे हैं आप नहीं देख पा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं देख रहा हूं ।

नियम 301 को पहले ले लेते हैं उसके बाद मेरठ मामले को लेंगे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह बहुत ही गम्भीर आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है । मैंने इसके बारे में आपकी अनुमति चाही थी । आप अगर अनुमति दें तो मैं इस पर अपनी बात कहूं वरना मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उस पर कहां ध्यान दे रहा हूं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

यह आरोप आपके संबंध में नहीं है यह पीठ के संबंध में है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 31 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से इलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

पहली सूचना श्री नरेश अग्रवाल की ग्राम अल्लाबक्शपुर, जिला गाजियाबाद बृज-घाट के निकट बहादुरगढ़ रोड पर हुई दुर्घटना में गर्भवती महिला की मृत्यु से सम्बन्धित जांच आख्या उपलब्ध कराने के संबंध में ।

दूसरी सूचना श्री रमेशकान्त लवानिया की विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा न्यू अशोक नगर कालोनी के 100 मकानों के स्वामियों के अनियमित तरीके से दो करोड़ रुपए के वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने व मकानों को तोड़ने के आदेश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

तीसरी सूचना श्री बच्ची सिंह रावत की जनपद अल्मोड़ा के सरकारी व सहकारी आयुर्वेदिक कारखानों आई0 एम0 पी0 सी0 एल0 मोहान तथा सी0 डी0 एफ0 रानीखेत को आयुर्वेद निदेशालय लखनऊ द्वारा अधोष आपूर्ति आदेश न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

चौथी सूचना श्री रंगनाथ की वाराणसी के भदोही क्षेत्र में चोरी में उप-पावर हाउस बनाने के संबंध में ।

पांचवीं सूचना श्री गयाचरन दिनकर की उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/ जन-जाति, पिछड़ी जाति एवं अन्य निर्बल वर्ग की आबादी के मध्य निर्धारित "होलिका दहन स्थल" को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में ।

छठी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी, गोरखपुर व बुलन्दशहर के कई क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में ।

सातवीं सूचना श्री स्वयंवर चौधरी की सिद्धार्थ नगर के इटवा क्षेत्र के इटवा चौराहे पर पानी की निकासी हेतु नाली बनवाने के संबंध में ।

(श्री स्वयंवर चौधरी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर ।)

प्रतीक्षा सूची से श्री मातवर सिंह कण्डारी की सूचना स्वीकार की गई ।

सातवीं सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी की विषय उच्च प्राथमिक विद्यालय धेराधार दोगी टिहरी-गढ़वाल के भवन निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" की सूचना जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खण्ड पांवा के ग्राम कल्यानी (कुरासी) में आदमखोर बाघ के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यह अस्वीकार की गई । इसके अतिरिक्त जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं वह हैं सर्वश्री सुन्दर लाल दीक्षित, तुलाराम सैनी, अमरनाथ यादव, मन्नू लाल कुरील, तेज भान सिंह, ब्रह्म दत्त द्विवेदी, सुन्दर लाल लोधी, बालेश्वर त्यागी, बचनू राम पटेल, बदन सिंह, कुंवर सर्वराज सिंह, विश्राम सिंह यादव, ऊदल, मित्रसेन यादव, रवीन्द्र प्रताप मल्ल, हृदय नारायण, मुरली धर, श्याम देव राय चौधरी, भैरों प्रसाद मिश्र, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, राजेन्द्र कुमार गुप्त ।

सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जिला गाजियाबाद के ग्राम अल्लाबक्शपुर के निकट बहादुरगढ़ रोड पर हुयी ट्रक जीप दुर्घटना में गर्भवती महिला की मृत्यु संबंधी आख्या उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री नरेश अग्रवाल–

[मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी 23 मई, 1990 को ग्राम अल्लाबक्शपुर जिला गाजियाबाद बुजघाट के समीप बहादुरगढ़ रोड पर ट्रक व जीप दुर्घटना में एक गर्भवती महिला व उसके पेट के बच्चे की मृत्यु हो जाने पर ग्रामवासियों के रोड जाम किये जाने पर उस क्षेत्रीय विधायक डा0 अस्तर को एस0 ओ0 बाबूगढ़ विजेन्द्र सिंह के कहने पर एस0 ओ0 बहादुरगढ़ सियाराम यादव के गोली मारे जाने की न्यायिक जांच आदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2891 ती/छपु0 3-90-4 उपी/90 दिनांक 30-6-90 के अन्तर्गत जो जांच आयोग शिशिर चन्द्र, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित किया गया था जिसने 9-8-91 से अपनी कार्यवाही कलेक्ट्रेट गाजियाबाद में शुरू की और 25-7-92 को बहस सुनवाई के समय पहली सितम्बर को अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी ।

श्रीमन् 25 नवम्बर, 1992 को उस समय के मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने विधान परिषद् में बयान दिया था कि यह रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है, शासन स्तर पर इसका परीक्षण किया जा रहा है । उस रिपोर्ट को पटल पर रखेंगे एवं इसी क्रम में सी0 बी0सी0आई0डी0 जांच भी हुई थी, उसकी रिपोर्ट क्या है, बताने का कष्ट करें ।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू अशोक नगर कालोनी के भवनों को तोड़े जाने के आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेशकान्त लवानियां–

[महोदय, न्यू अशोक नगर कालोनी की भूमि का अधिग्रहण इम्प्रूवमन्ट ट्रस्ट आगरा ने लगभग 30 वर्ष पूर्व किया था किन्तु इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट अथवा विकास प्राधिकरण ने कब्जा नहीं लिया । संबंधित काश्तकारों ने यह भूमि एक सहकारी समिति को बेच दी जिसने विभिन्न व्यक्तियों को भू-खण्ड बेच दिये खरीददारों ने अपने-अपने मकान बना लिये और अब इतनी लम्बी अवधि बाद अनुचित तरीके से विकास प्राधिकरण ने 100 मकानों के स्वामियों से दो करोड़ रुपये की वसूली के प्रमाण-पत्र जारी कर दिये और वसूली न होने पर मकानों को तोड़ा जायगा, विकास प्राधिकरण ने जमीन की कीमत अनियमित तरीके से लगाई है । जनता में असंतोष है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय को उठाने की अनुमति प्रदान करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।]

जनपद अल्मोड़ा के सरकारी व सहकारी आयुर्वेदिक कारखानों आई0 एम0 पी0 सी0 एल0 मोहान तथा सी0डी0एफ0 रानीखेत को आयुर्वेदिक निदेशालय द्वारा औषधि आपूर्ति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नबी सिंह रावत–

[मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाने हेतु अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं :–

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत आई0एम0पी0सी0एल0 मोहान में केन्द्र व राज्य सरकार की पूंजी अंश क्रमशः 51% व 49% लगा है । इस कारखाने की आयुर्वेदिक औषधि प्रतिवर्ष निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा द्वारा खरीदने का निर्णय शासन स्तर पर दिनांक 8-8-86 को लिया गया और इसी प्रकार सी0डी0एफ0 रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में जहां राज्य सरकार का पूंजी अंशदान 97% है । वहां दिनांक 6-6-91 को शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा द्वारा अपनी कुल आवश्यकता की 20% खरीद सी0डी0एफ0 रानीखेत से की जायेगी ।

परन्तु निदेशक आयुर्वेद तथा यूनानी सेवा द्वारा पूर्व निर्णयों की उपेक्षा कर मनमाने ढंग से निजी क्षेत्र के कारखानों को औषधि आपूर्ति आदेश का वितरण किया जा रहा है, जिससे जन स्वास्थ्य की हानि के साथ-साथ उक्त राजकीय व सहकारी उद्यमों के भारी घाटे में जाने व सैकड़ों कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है ।

आपसे विनम्र निवेदन है कि शासन को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद वाराणसी के भदोही क्षेत्र में स्थित चौरी में पावर हाउस बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंगनाथ–

[महोदय, वाराणसी जनपद के विकास खण्ड के लगभग बीस कि0मी0 क्षेत्र में नागरिकों ने अभी तक बिजली की रोशनी कैसी होती है देखा भी नहीं है ग्राम के लोग पैसा जमा कर दिये हैं वर्षों से अधिकारियों के यहां दौड़ रहे हैं सुविधा शुल्क के अभाव में कनेक्शन नहीं लग पा रहा है जहां बिजली है जैसे चौरी में तो बड़ा मार्केट होने के कारण कनेक्शन ज्यादे हैं ट्रांसफारमर पुराना है इसलिये वोल्टेज डाउन रहता है तथा फाल्ट होने के कारण पूरा इलाका घोर अंधकार में महीनों डूबा रहता है सुविधा शुल्क लोग चन्दा करके देते हैं तो लाइन मिलती है ग्राम जमुआ, सुरहन, चान्दी गहना, गोटइया लढ़िया, दलापुर, मानसिंहपुर, भाला आशापुर, कनेहरी, भगवानपुर, विरही दरीपुर औसानपुर, लोकमनपुर गोनपार यह बीस कि0मी0 के क्षेत्र में गांव बसे हैं जहां आजादी के 45 वर्ष बाद भी बिजली की रोशनी नहीं देखी ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मांग करता हूं कि वहां पावर हाउस लगाए जायं तथा तत्काल उक्त ग्रामों में बिजली कनेक्शन दिये जायं तथा माननीय अध्यक्ष जी शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें ।]

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े एवं कमजोर वर्ग की बस्तियों के मध्य स्थापित होलिका दहन स्थल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरण दिनकर–

[महोदय सानुरोध अवगत करना है कि होली हिन्दुओं का पवित्र पर्व समझा जाता है । सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लगभग होली पर्व मनाये जाने की एक व्यवस्था/परम्परा है कि "होलिका दहन स्थल" अधिकतर अनु0 जाति/जनजाति पिछड़े एवं कमजोर वर्ग की बस्तियों के मध्य या समीप ही निर्धारित हैं, क्योंकि गांजा, शराब, चरस, अफीम का नशा कमजोर व निरीह लोगों के मध्य उतारने में कोई बाधा उत्पन्न न हो । हवेली के स्थान पर झुग्गी-झोपड़ी आसानी से जलाने को मिलती है और कमजोर लोगों के मध्य अभद्र गाली-गलौज एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने की निर्भय छूट पूरी की जाती है । अच्छा तो यह होता कि हिन्दुओं के पवित्र पर्व को कहे जाने वाले पवित्र हिन्दुओं के मध्य परम्परानुसार व्यवस्था होती । मेरा विश्वास है कि ऐसा होने पर "होलिका दहन स्थल" बस्तियों से दूरस्थ हटाने की मुहिम में सबसे आगे पवित्र हिन्दू ही होते । परम्परा व रीति-रिवाज के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की सम्पत्ति स्वाहा करके अर्थहीन लोगों की गम्भीर क्षति की जाती है और जान-माल के साथ ही सामूहिक वर्ग विशेष का स्वाभिमान रौंदकर मनोबल गिराया जाता है । इस प्रकार मुझे प्रतीत होता है कि प्रत्येक वर्ष त्योहार के नाम पर वर्ग विशेष के साथ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप बदले की भावना से अन्याय, अत्याचार एवं आतंक अनवरत बरकरार रखने की साजिश है । यह धर्म के नाम पर वर्ग विशेष के मौलिक अधिकारों के हनन का महत्वपूर्ण प्रकरण है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अनु0 जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति एवं निर्बल वर्ग के मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु उनकी बस्तियों के मध्य व समीपस्थ निर्धारित "होलिका दहन स्थल" अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी आदेश जारी करने की कृपा करें ।]

वाराणसी गोरखपुर व बुलन्दशहर के क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

[माननीय मुख्य मंत्री को यह ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में यथा वाराणसी, गोरखपुर व बुलन्दशहर के क्षेत्र में भूमि के अन्दर पानी गहरे में चला जा रहा है । गर्मी के दिनों में इस क्षेत्र में कुएं भी सूख जाते हैं । पेय जल के लिए हाहाकार मच जाता है, फिर भी इन क्षेत्रों में पेयजल के प्राप्ति हेतु कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया । बनारस के काशी विद्यापीठ ब्लाक के "कलवरिया" गांव जो इसी प्रकार के सूखाग्रस्त इलाके में है, तीन साल पहले गाड़ा गया । एक नलकूप आज भी पूरा नहीं हुआ । गर्मी का मौसम आ रहा है । पुनः पेय जल की आपूर्ति का संकट उपस्थित होगा । महिलायें 4-5 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाती हैं । अतः मैं इस लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं ।]

उच्च प्राथमिक विद्यालय घेराधार ढोगी टिहरी गढ़वाल के जिला परिषद् भवन निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कन्डारी–

[महोदय, उच्च प्राथमिक विद्यालय घेराधार ढोगी टिहरी गढ़वाल का भवन जिला परिषद् टिहरी गढ़वाल के द्वारा कुछ वर्षों पूर्व बनाया गया था । भवन निर्माण होते ही पूर्ण रूप क्षतिग्रस्त हो चुका है । मैं वर्ष 1991 में क्षेत्र भ्रमण पर गया था, उस समय भी भवन गिर कर पूर्ण क्षतिग्रस्त था । पुनः 1992 तथा 1993 में घेराधार गया था विद्यालय भवन की हालात वही थी । अब यह विद्यालय उच्चीकृत होकर हाईस्कूल हो चुका है । पठन पाठन करने के लिए कोई भवन नहीं है । मैं जब-जब क्षेत्र भ्रमण पर गया तब-तब बेसिक शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल एवं जिला प्रशासन को लिखता गया कि मामले की जांच करायी जाए किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । किन्तु आज दिन तक कोई दोषी व्यक्ति के खिलाफ कदम नहीं उठाया गया ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकारी धन का दुरूपयोग हुआ है । मामले की जांच कराई जाए । जो व्यक्ति दोषी पाया जाए उसे दण्डित किया जाए तथा विद्यालय का भवन पुनः बनाया जाए ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मेरठ में पुलिस की गोली से 5 व्यक्तियों के मरने तथा साठ व्यक्तियों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

(श्री नरेन्द्र सिंह को पुकारे जाने पर ।)

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, आज टाइम से जो सूचनायें दी गयीं उनमें मेरी सूचना सबसे पहले है। आज प्रमोद जी की सूचना नहीं है । मुझे अवसर मिलना चाहिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी सूचना आज 311 के अन्तर्गत है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप सहमत होंगे, सबसे पहले जिनके जिले की सूचना है उनको कह लेने दीजिये आपको भी मैं सुनूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, प्रातः 9 बजे मैंने सूचना दी है, मेरी पहली है । चूंकि सम्मानित सदस्य के क्षेत्र का मामला है इसलिये आप उन्हें सुन लें और उनको सुनने के बाद हमको सुनें फिर इनको सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मिश्र जी, माननीय नरेन्द्र सिंह को अपनी बात कह लेने दीजिए ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

*श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

मान्यवर, मेरठ के इतिहास में कल का दिन एक ऐसा काला धब्बा है आजादी के बाद, जबसे देश आजाद हुआ, उसके पश्चात् संभवतः ऐसा भयावह और दर्दनाक हादसा नहीं हुआ है । मेरठ में शास्त्री नगर 40 हजार की आबादी की कालोनी है । उसी का एक भाग शेरगढ़ी जो एक छोटा सा गांव है जिसमें 98 फीसदी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं । दुर्भाग्य से या सौभाग्य से माननीय चरन सिंह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं । मान्यवर, कल 11 बजे के करीब वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रिवाल्वर, स्टेनगन ए0के0 47 राइफलों और अन्य हथियारों के साथ पहुंची । करीब एक हजार या 15 सौ की भीड़ जिसमें महिलायें, बच्चे, बूढ़े सब हरिजन लोग इकट्ठे थे । एक छोटा सा विवाद था, ऐसे विवाद रोज होते हैं, यह कहना गलत है कि बाबा साहब की मूर्ति को लेकर विवाद हुआ । मैं वहां का निवासी हूं, बाबा साहब अम्बेदकर की मूर्ति वहां से 50 गज पर पिछले 5 सालों से स्थापित थी । इतना बर्बरतापूर्ण आचरण वहां पर किया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं है । चारों तरफ से घेर कर आधे-आधे घंटे तक 1 हजार, 15 सौ राउण्ड गोली चली । इसमें 5 लोग मारे गये, ऋषिपाल, बिट्टू, विनोद, रूपा और एक आदमी और मारा गया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करीब 30 आदमी बहुत की क्रिटिकल हालत में, गंभीर स्थिति में हैं इनमें कई महिलायें हैं । कई आदमी मेरठ मेडिकल कालेज और अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं । इसके अलावा 100 आदमी ऐसे हैं जो बहुत इन्जर्ड हैं । इस गांव के आदमियों और औरतों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया । शायद पेपर में यह बात नहीं आयी है । वहां के भूतपूर्व माननीय सदस्य ने मुझे बताया कि वहां पर 4 महिलाओं को नंगा करके मारा गया उनकी छाती पर बन्दूक के बट मारे गये । (शेम-शेम की आवाजें) शास्त्री नगर के बच्चे, महिलायें घर छोड़कर भाग गये हैं । इस तरह की दहशत वहां पर है । 7-8 थानों में कर्फ्यू लगा है । माननीय चरन सिंह कई बार रो चुके हैं । मुझे कहते हुये बहुत दुख है । यह सरकार दलितों, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार है यह हम मानते हैं । 8 तारीख को जिले सिंह को भोलागांव में जिन्दा जलाया गया और उसी रात में 8 ही तारीख को कुरालीगांव में दो लड़कों की हत्या ट्यूब वेल पर की गयी । 3 मार्च को धोलनी गांव में 18 वर्षीय कुरैसी लड़के की हत्या की गयी । 5 तारीख को सालेनगर में एक हरिजन लड़के की हत्या की गयी और 10 तारीख को टटिरी में 60 साल के हरिजन श्री भोपाल सिंह की हत्या की गयी और यह तीसरी घटना है । इस तरह से इस जनपद में कई घटनाएं हुई हैं । वहां पर जितने भी तमाम मण्डल के अधिकारी हैं, डी0आई0जी0, आई0जी0, एस0एस0पी0, कलक्टर ये सभी लोग दो किलोमीटर की परिधि में हैं, लेकिन सारा प्रशासन सोया रहा, निहत्थे लोगों को दौड़ा-दौड़ा करके मारा गया, लोगों की हड्डियां तोड़ दी गईं, जिसका बयान नहीं किया जा सकता है, मेरे पास सारा डिटेल यहां पर नहीं है ।

मैं मान्यवर, केवल एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । इस प्रशासन का पुलिस प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं था, पूरी तरह से पुलिस साम्राज्य वहां पर था । कोई भी अधिकारी 3 मिनट के अन्दर वहां पर पहुंच सकता था, सारे अधिकारी दो किलोमीटर की परिधि में मौजूद थे और घटना वहां पर हो रही थी । जब से यह सरकार आई है, तब से बराबर हरिजन, अनुसूचित जाति और दलित वर्ग के लोगों की हत्यायें हो रही हैं । माननीय वर्मा जी बैठे हुए हैं, वह हमारी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए आश्वासन देंगे और अगर तुरन्त कोई प्रभावी कदम वहां के पीड़ित लोगों की सुरक्षा के लिए और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं उठाया गया, तो इस तरह की घटनाओं का सिलसिला खत्म नहीं होगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सी0 बी0 आई0 से इसकी इंक्वायरी कराई जाय । पुलिस के अधिकारी और अन्य अधिकारी इसमें इन्वाल्व हैं ।

मान्यवर, जितने दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ 302 और 307 के मुकदमें दर्ज होने चाहिए और एक कमीशन बैठाया जाय कि जो और उच्च अधिकारी हैं, उन लोगों की लापरवाही से यह सब घटनाएं हुई हैं । मान्यवर, जरा सी शर्म हो, माननीय वर्मा जी को तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए । मान्यवर, सारे शहर के अन्दर, पूरे जनपद के अन्दर बड़ा खौफ है । मैं मान्यवर, मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर, सदन की आज की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

*श्री चरण सिंह–

मान्यवर, यह काले का दिन काली रात का दिन था । अभी माननीय नरेन्द्र सिंह ने मेरठ की घटना के संबंध में बताया, लेकिन दो-तीन बिन्दु जो उन्होंने छोड़ दिया है, उनकी तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, यह 11 बजे दिन की घटना है, 1100–1200 आदमी वहां पर एकत्रित थे, वहां पर पुलिस ने रायफल, स्टेनगन, ए0के0 47 से बरबरतापूर्वक निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और करीब 1 घंटे गोली चली, परन्तु पुलिस वालों को इस पर भी सब्र नहीं आया और वे लोग गोरगढ़ी शास्त्रीनगर की आबादी में घुस गये और घरों से, छतों से बच्चे, औरतों और बुजुर्गों को उतार कर बुरी तरह से बटों से पीटा और 4 औरतों को नग्न करके उनकी छातियों पर बटों से पुलिस कर्मियों ने पीटा । इसी के तहत 19 लोग मैडिकल कालेज में भर्ती हैं और 9 लोग प्यारे लाल हास्पिटल में भर्ती हैं । पुलिस ने 74 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गये और उनका यह पता नहीं है कि वे कहां हैं और वहां के सभी लोग घरों को छोड़कर भाग चुके हैं ।

मान्यवर, यह सरकार अनुसूचित जाति और दलितों की सरकार होने का दावा करती है, इस मार्च के महीने में मेरे क्षेत्र में 10 हत्यायें हो चुकी हैं, जिनमें 7

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक वाजपेयी पीठासीन हुए)

अनुसूचित तथा 3 अन्य जातियों के लोग हैं । मेरठ में 7 थानों के अन्दर कर्फ्यू लगा हुआ है, स्थिति विस्फोटक है । इस प्रकरण की जांच सी0 बी0 आई0 से कराई जाय तथा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 302 और 307 के मुकदमें कायम किये जायं और मरने वालों के परिवार को और जख्मियों को 5-5 लाख रु0 दिलाया जाय । मान्यवर, नैतिकता के आधार पर इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए । मान्यवर, यह अत्यन्त अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है, इस विषय पर आज की सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

*श्री रंग नाथ–

मान्यवर, जो हरिजन उत्पीड़न हो रहे हैं, उसी कड़ी में मेरठ की घटना जुड़ गयी है और घटना काले दिन के रूप में याद की जायेगी । मान्यवर, जिस तरह से पुलिस ने बगैर किसी सूचना के निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलायी हैं, इस तरह की मिसाल अब मिलना मुश्किल है । मान्यवर, सरकार चुनौती के रूप में हर घटना को लेती है, लेकिन वह केवल सदन में ही लेती है और बाहर नहीं लेती है । यह सरकार सिर्फ झूठे वायदों से चल रही है, उसका साफ उदाहरण इस घटना को देखने से मिलता है । मान्यवर, जिस तरह से लोगों की हत्याओं को करके उनकी लाशों को गायब किया गया है, जिस तरह से निहत्थे लोगों को मारा गया है और जिस प्रकार से उनको पीटा गया है, उससे ऐसा लगता है कि वहां की पुलिस पर इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । मेरठ की पुलिस ने वहां पर जिस प्रकार से बर्बरता से लोगों की पिटाई की, उससे ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान और बंगलादेश की सेनाओं पर गोलियां चलायी जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रही है । यह छोटी सी बात को लेकर घटना हुई है । इस घटना के लिए निश्चित रूप से पहले से योजना बनायी गयी होगी, कि उस जमीन पर जो पार्क है, उस पर कब्जा किया जाये ।

मान्यवर, अगर वह कब्जा अवैध था, तो उसको हटाने के लिए निर्णय लिया गया होता और उसके अनुसार कार्यवाही की गयी होती, तो आज जो हत्याओं का सिलसिला हुआ है, वह न होता, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन इस सरकार को कानून और व्यवस्था से कोई मतलब ही नहीं है, केवल वह सत्ता में रहना चाहती है, जैसा कि पिछले दिनों में इनके दल के नेता कांशीराम ने कहा है और नारे लगाये गये हैं कि जो सरकारी जमीन है वह हमारी है । मान्यवर, अगर इसको कानूनी तरह से हल करते तो जो स्थिति आज आयी है, वह न आती । अगर इन लोगों को कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा, तो इस तरह की घटनायें होती रहेंगी, जिस तरह की घटना मेरठ में हुई है । वहां पर सौ राउन्ड की गोलियां चलाई गयी हैं, एक घंटे तक गोलियां चली हैं । चार लोगों की हत्या हुई है, लेकिन जिला प्रशासन ने केवल दो को ही दिखाया है और दो को छिपा दिया है । इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे कि वहां पर शान्ति स्थापित हो सके । शास्त्री नगर के सभी नागरिक घर छोड़ने पर मजबूर हैं । मान्यवर, यही नहीं जो लोग कम घायल हैं, उनको स्पेशल वार्ड में रखा गया है और जो अधिक घायल हैं, उनको साधारण वार्ड में रखा गया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना में सत्तारूढ़ दल के लोग भी इनवाल्व हैं । क्योंकि अगर इतना संरक्षण पुलिस का नहीं होता तो इतनी बड़ी घटना जिसमें सैकड़ों राउण्ड गोली चलाई गई है, इसका कोई औचित्य नहीं था इसलिए इसके ऊपर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी है कि पहले मेरठ के लोग बोलेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारी जो सूचना है, उस पर वर्मा जी के भी हस्ताक्षर हैं । इनको बोलने का मौका दे दें । (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

क्या इस पीठ से अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है उसके विपरीत आप कार्यवाही चला रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था के ही अनुरूप ही सदन की कार्यवाही चल रही है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि जो मैंने सूचना दी है वह प्राथमिकता में भी ऊपर थी । आप कृपा करके वर्मा जी को सुन लें उसके बाद मुझे सुन लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस गम्भीर प्रकरण पर मेरे दल के लोगों द्वारा भी सूचना दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण वर्मा–

मान्यवर, मेरठ शहर जो वर्षों से कर्फ्यू से बचा हुआ था वह पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से पुनः कर्फ्यू की गिरफ्त में आ गया है। मान्यवर, इसमें एक शास्त्री नगर कालोनी है जिसकी आबादी 4 हजार है उसकी आबादी में एक शेरगढ़ नामक छोटा सा गांव है जहां की 98 प्रतिशत जनता अनुसूचित जाति की है। ये लोग एक पार्क में इकट्ठा होकर माननीय डा0 अम्बेदकर की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे इसी बीच पुलिस ने चारों ओर से उन पर अंधाधुन्ध फायरिंग ए0के0 47 तथा अन्य हथियारों से की जिससे 5 लोगों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी तथा 12 लोग अभी तक लापता हैं, लगभग 60 लोग घायल हैं इसमें गौर तलब बात यह है कि जितने पुलिस के लोग घायल हैं उनको मेडिकल कालेज के इमरजेन्सी वार्ड में दाखिल करके अच्छा इलाज किया जा रहा है जबकि अनुसूचित जाति के लोगों को जनरल वार्ड में एडमिट किया गया है तथा उनको ठीक तरह से चिकित्सा भी नहीं प्रदान की जा रही है। यह दलितों की सरकार उनके बारे में क्या कर रही मान्यवर, शास्त्रीनगर कालोनी से सभी तरह के वर्गों के लोगों का पलायन हो रहा है लोग भयभीत हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह गिरफ्तारियों को तुरन्त रोके तथा इस काण्ड की न्यायिक जांच करायें जिससे तथ्यों का ठीक तरह से ज्ञान हो सके और पुनः इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने से मेरठ को बचाया जा सके तथा प्रशासन को निर्देश दें कि वह कर्फ्यू शीघ्र से शीघ्र हटाने तथा सामान्य स्थिति लाने का प्रयास करें। मान्यवर, अब लोगों का पुलिस में विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि तुरन्त कन्ट्रोल करके स्थिति को सुधारा जाय तथा जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन मेरठ शहर को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख किया गया है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, मैं केवल ग्राह्यता के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूं क्योंकि संसदीय कार्यमंत्री जब उत्तर देंगे तो उस समय और उसके बाद बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं उसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्री जी कहेंगे कि झगड़ा हो गया, पुलिस चोटिहल हो गयी और गोली चला दी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा मालूम होता है कि चोट लग सकती है लेकिन इसका औचित्य कौन स्वीकार करेगा कि क्या पुलिस को बदले की भावना से कार्य करने का अधिकार दिया जायेगा। आरोप लगाकर और आरोप के लिए सजा तय करेगी और सजा तय करने के बाद उसका इक्जीक्यूशन कर देगी ? मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। मान्यवर, हुआ क्या कि गोली चलाई गयी जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा कि कई राउण्ड गोलियां चलाई गयी और मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि ए0के0 47 से भी गोली चलाई गयी। यह भी औचित्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझ में नहीं आ सकता कि भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए ऐसा किया गया हो । यहीं नहीं जो लोग भाग रहे थे उनको गांवों से खींचकर उनके सीने में गोलियां चलाई गयी हैं । इसका मतलब है कि सामने से गोली चलाई गयी है । ऋषिपाल और उसके पिता को घर से खींचकर मारा गया । पुलिस ने बिट्टू को खींचकर उसकी मृत्यु कर दी । क्या पुलिस को बदले की भावना से काम करने का मौका दिया जायेगा ? आज मेरी टेलीफोन पर नगर क्षेत्र के विधायक अग्रवाल जी से बात हुई उन्होंने जानकारी दी कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है जन सामान्य का जीवन वहां अस्त व्यस्त हो गया है । मान्यवर, यह घोषणा की गयी है कि मामले की मजिस्ट्रेट से जांच करायी जायेगी । जहां एस0पी0 थे, एस0एस0पी0 थे, डी0एम0 थे, मजिस्ट्रेट क्या जांच करेंगे ? सारे अधिकारी मूक दर्शक होकर खड़े थे । पुलिस बदले की भावना से, दानवता का नग्न नृत्य कर रही थी। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिये किसी हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसकी जांच करायी जाये सभी मृतकों के आश्रितों को रुपया दिया जाय । अब प्रतिमा लगाने की जमीन तय की जा रही है, यह तय पहले क्यों नहीं की गयी । यह संवेदनशीलता की जो कमी है सरकार को उस पर मैं अटैक करना चाहता हूं अगर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो यह हादसा नहीं होता । लोगों की कनपटी पर, सीने पर, पीठ पर, पैरों की उंगलियों पर, नंगे शरीर पर गोली मारी गयी । इस घटना की मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं । इसकी न्यायिक जांच करायी जानी चाहिये । आश्रितों को भरपूर रुपया दिया जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो जानकारी मिली है एक लाख पुलिस कर्मी को स्पेशल वार्ड में भर्ती किया गया और जो दलित वर्ग के भाई थे उनको जनरल वार्ड में ले जाया गया है जहां इलाज का कोई सही इन्तजाम नहीं किया जा रहा है । बदला चुकाने के लिये मेरी जानकारी के अनुसार 1500 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको मारा पीटा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इनको पकड़वाओ साफ-साफ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश देना चाहिये कि फर्जी किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी और तत्काल वहां पर मौके पर जितने अधिकारी थे जो बिल्कुल निष्फल वहां सिद्ध किये गये हैं उनको तुरन्त वहां से स्थानान्तरित किया जाय न्यायिक जांच करायी जाय इससे कम पर रोष समाप्त होने का कारण नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

चर्चा के लिये चर्चा नहीं कर रहा हूं । आप नियम 57 देख लें अपरिहार्यता दी हुई है । यह एक विषय है हाल ही में घटित है ।

अधिष्ठाता–

गुप्त जी आप नियमों के ज्ञाता हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कुछ अनर्हतायें भी दी हैं, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठेगा, पिछले 6 महीने में न उठ चुका हो ऐसा कोई विषय न हो जो आगे आने वाला हो यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में आता है, शासन के अविश्वास प्रस्ताव के रूप में आता है, इसे अविश्वास प्रस्ताव के रूप में लेकर ही इस पर चर्चा करायी जाय इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्राह्यता पर बल देता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं इस घटना की केवल ग्राह्यता के बिन्दुओं पर बल दूंगा । क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने घटना के तथ्यों के संबंध में काफी विस्तार से चर्चा की है । मैं उन बिन्दुओं को नहीं दोहराऊंगा जिनके संबंध में माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं । मान्यवर, इससे ज्यादा लोक महत्व का प्रश्न आज उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा मान्यवर, है नहीं । जिस तरह की मेरठ की स्थिति है, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, आजादी के बाद मेरठ के इतिहास में उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी निश्चित तौर से इसकी ग्राह्यता का विरोध कर कहेंगे कि वे मेरठ के डेढ़ हजार जिसमें अनुसूचित जाति के बहुतायत लोग थे वे लोग हिंसक थे और पुलिस के लोगों पर हमला कर रहे थे । पुलिस को विवश होकर फायरिंग करनी पड़ी केवल इस तरह का उत्तर आ जायेगा कि पुलिस ने आत्म रक्षार्थ या विवश होकर गोलियां चलायीं, लेकिन इससे यह एकदम बात नहीं खत्म हो जाती है । यह घटना 28 तारीख को शुरू होती है । 28 तारीख को अम्बेदकर मूर्ति की स्थापना का प्रयास किया गया, एक वर्ग के लोग मूर्ति रख रहे थे दूसरे वर्ग के लोग मना कर रहे थे, प्रशासन के संज्ञान में मामला आ गया, ऐसे संवेदनशील मामले में प्रशासन ने क्या-क्या कार्यवाही की, एहतियात के तौर पर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? तीस तारीख को स्थिति उग्र होने की स्थिति कैसे पैदा हुई, किन परिस्थितियों में डेढ़ हजार लोग वहां इकट्ठा हुए ? धारा–144 लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी तो किस तरीके से मेरठ का प्रशासन चारी हो सकता है । इसमें अगर किसी की जिम्मेदारी है तो मेरठ प्रशासन की जिम्मेदारी है । मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर घटना है । अगर इतिहास में बदनुमा दाग जलियांवाला बाग है तो इस सरकार के लिए उसी तरीके से बदनुमा दाग यह घटना है । मान्यवर, यह सरकार लोहिया जी की सरकार है । डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने यह कहा था कि किसी प्रशासनिक सरकार को गोली चलाने का अधिकार नहीं है और इसी पर उन्होंने केरल की सरकार से इस्तीफा मांग लिया था । तब की परिस्थितियां भिन्न थीं मगर आज की परिस्थितियां भिन्न हैं । मान्यवर, जिस तरीके से गोलियां चलाकर लोगों को मारा गया, जिस तरीके से खेरगढ़ी और शास्त्रीनगर के लोगों को घुस-घुसकर मारा गया, और आज कितने ही लोग लापता हैं । पुलिस वालों का मुकदमा तो कायम हुआ है मगर जो लोग इसमें मारे गए हैं उनकी तरफ से कोई मुकदमा नहीं कायम हुआ है ।

मान्यवर, इस तरीके से आज यह प्रशासनिक सरकार निरंकुश है और आज बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं । मान्यवर, इसमें गर्भवती महिलाओं को,

बहनों को, बेटियों को गोलियां चलाकर मारा गया, मान्यवर, इसमें पांच लोग मारे गए मगर सरकार ने दो लोगों की पुष्टि की है । तो इस तरह से यह एक गम्भीर घटना हुई है और मैं यह समझता हूं कि तुष्टिकरण की नीति है । प्रशासन को छूट दी गई है । तीन दिन पहले ही यह घटना समाप्त हो जानी चाहिए थी । इस दृष्टि से यह एक गम्भीर घटना है और इस घटना की जांच मजिस्ट्रेट से नहीं की जा सकती इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से ही इसकी जांच कराए जाने की हम मांग करते हैं और जो इस घटना में मारे गए हैं उनके लिए पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इस घटना के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए । अगर प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्मचारियों को रोकने की कोशिश न करते तो कलेक्टर को भी मार दिया होता । तो इस तरह से जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है यह एक गम्भीर घटना है ।

(व्यवधान)

*श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं उन बिन्दुओं को दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं । यह विवाद 25, 26 तारीख का है । 28 तारीख को डा0 भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति की स्थापना की गयी । मेरठ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वहां के लोगों को बुलाकर यह प्रयास किया कि समझौता हो जाए । मान्यवर, मेरठ के आयुक्त और डी0 आई0 जी0 द्वारा यह कहा गया कि हम किसी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे । तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके पीछे निश्चित तौर से भू-माफियाओं का हाथ है । वह जो विवादित भूमि थी वह किसी प्रापर्टी डीलर ने खरीदी थी और मैं सरकार पर निश्चित रूप से आरोप लगाकर कहना चाहता हूं कि जो प्रापर्टी डीलर था वह मेरठ के मण्डलायुक्त से मिला हुआ था । मान्यवर, वहां पर लोगों ने मेरठ के मण्डलायुक्त से मिलकर अपनी व्यथा कही तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के लिए हक मिलेगा । अगर हक लेना ही चाहते हो तो बी0 एस0 पी0 से लो । तो इस तरह से मेरठ के मण्डलायुक्त ने वहां के लोगों में उत्तेजना पैदा की और उसके बाद मेरठ मण्डल का जहां मुख्यालय है, वहां पर डी0 आई0 जी0 और कमिश्नर ने बैठकर जानबूझकर जो निहत्थे लोग थे, उन लोगों के घरों में घुसकर लोगों को मरवाने का प्रयास किया । मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं, उन्होंने पैसा लेकर जो घिनौना कार्य कराया है, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री और सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह सरकार का मामला नहीं है, यह मामला अधिकारियों की मानसिकता का है । आज उनकी जो मानसिकता बन गयी है, जो पैसा अर्जित करने का मामला बन गया है, उसके ऊपर सख्त कार्यवाही करनी होगी । यहां मजिस्ट्रेट जांच की बात कही गयी । मैं कहना चाहता हूं कि मण्डलायुक्त की एक मजिस्ट्रेट क्या जांच करेगा । या तो वहां न्यायिक जांच कराई जाय, या सी0 बी0 आई0 से जांच कराई जाय और यदि नहीं तो वहां राजस्व परिषद् के वरिष्ठ अधिकारी को भेज दें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक मण्डलायुक्त की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं हो सकती । कमिश्नर, डी0 आई0 जी0 वहां की घटना के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं, जिन्होंने यह घिनौना कृत्य कराया है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मारे गए लोगों के लिए 5-5 लाख रुपया दिया जाय और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा आप उपलब्ध करा दें साथ ही जिन अधिकारियों ने यह घिनौना कृत्य किया है, उनको कठोरतम दण्ड दिया जाय तथा न्यायिक जांच कराई जाय ।

(श्री किरन पाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जितने सदस्यों के हस्ताक्षर थे, उसमें आपने माननीय पाल जी को बुलवाया, सबसे पहले नोटिस हमारी थी ।

श्री अधिष्ठाता–

रंगनाथ जी की अलग नोटिस थी, बाकी की अलग नोटिस थी । मैं समय को देखकर ही कर रहा हूं । इसके बाद आपको बुलवा दिया जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था ऐसी दें कि आपत्ति न हो ।

श्री अधिष्ठाता–

किरन पाल जी उसी अंचल से संबद्ध हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, फोकल हमीद भी उसी जिले के हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

उनके नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं हैं ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह गम्भीर घटना जो आपके संज्ञान में और सदन के संज्ञान में लाई गई है, यह हमारे बुलन्दशहर जनपद से मिले हुए हल्के का मामला है । जैसा माननीय नरेन्द्र सिंह ने कहा कि यह घटना आजादी के बाद पहली घटना है, जिसकी कठोर से कठोर शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए । मान्यवर, इस घटना के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, उनको कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए । मैं सारे ब्योरे को दोबारे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक ने जैसा कहा, वह बात सही है कि आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि जो पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं, वह बड़े-बड़े अफसरों के घरों में बैठकर प्रशासन को चलाने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, एक हफ्ते पहले से यह विवाद पूरे प्रशासन की संज्ञान में था । जिस पर बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का प्रयास किया गया वह 2000 गज जमीन है । उस जमीन को मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपने लिए छुड़वा रखा था लेकिन उसका मुआवजा गांव के लोगों को नहीं दिया गया । उस जमीन पर नाजायज तरीके से बाबा साहब की मूर्ति लगाने का प्रयास किया गया । जबकि बाबा साहब की मूर्ति पास में लगी हुई है । उक्त जमीन पर एक प्रापर्टी डीलर,

कमिश्नर और डी0 आई0 जी0 से मिलकर कब्जा करना चाहता था, यह हकीकत है । कमिश्नर और डी0 आई0 जी0 इसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं । प्रशासन इस बात को बातचीत से हल करना चाहता था लेकिन अधिकारियों ने अपने ओहदे का दुरुपयोग करते हुए मामले को उलझा दिया और लोगों में उत्तेजना पैदा हुई । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो पहले वार्निंग दी जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठी चार्ज की जाती है और लाठी चार्ज के बाद भी जब मजबूरी होती है तो लोगों की टांगों में गोली मारकर भगाया जाता है । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां के प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लोगों पर घण्टे भर तक गोलियों की बौछार की ।

मान्यवर, गोली किसी के सिर में लगी, किसी के पेट में लगी है । पांच लोग घटना स्थल पर ही धराशायी हो गए, 4-5 लोग और मर गए हैं, यह अभी टेलीफोन से सूचना मिली है । कुछ लोग जिन्दगी और मौत के बीच झूल रहे हैं । यह इतनी गम्भीर घटना है कि इसकी मैजिस्ट्रेट से जांच कराने की जरूरत नहीं है, बिना चेतावनी दिए, बिना लाठी चार्ज किए सीधे सीने और सिर में गोली मारने का कोई औचित्य नहीं है, हां, गोली मार सकते थे, जब दूसरी तरफ से गोली चली होती । पुलिस के लोग यह कह सकते थे कि जनता ने गोली चलाई तो पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी पुलिस प्रशासन वाले को कोई छर्रा तक नहीं लगा है क्योंकि यदि वहां एकत्र हुई भीड़ ने किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यदि आग्नेयास्त्र का प्रयोग होता तो लगता । निहत्थे लोगों पर बर्बरतापूर्वक गोलियां चलती रहीं, लोगों की लाशें बिछती रहीं, घर से निकाल-निकाल कर लोगों को मारा गया और सभी बड़े अधिकारी कण्ट्रोल रूम में बैठे रहे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए । इस घटना की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से कराई जाए । इसके साथ ही जो निर्दोष लोगों की सम्पत्ति नष्ट की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए गए हैं उनको खारिज किया जाए । मैं मांग करता हूं कि प्रत्येक मृतक के परिवार वालों को पांच-पांच लाख रुपए और घायलों के परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए की धनराशि दी जाए । इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

अधिष्ठाता महोदय, श्री कोकब हमीद मेरठ जनपद के ही हैं इसलिए इनको बोलने का मौका प्रदान किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

अग्रवाल जी, श्री कोकब हमीद के हस्ताक्षर सूचना पर नहीं हैं, जिनके हस्ताक्षर सूचना पर हैं पहले उनको बुलवा रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, सूचना पर मेरे हस्ताक्षर हैं मैं चाहता हूं कि मेरे स्थान पर मेरे दल के सदस्य श्री कोकब हमीद जी बोलें ।

*श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आजादी के बाद यह पहली घटना है जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जायगी । 1857 में जो घटना हुई थी जो आज हुई इतिहास में याद रखी जाती है । उसके बाद आज यह दूसरी घटना है जो इतिहास में याद रखी जायगी । इस घटना में जिन लोगों की जानें गईं बड़े दुःख की बात है उन्हीं की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है बल्कि उनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखी जा रही है । मैं मानता हूं कि कुछ लोग वहां पर जो प्रापर्टी डीलर का काम करते हैं और जिनकी वहां के प्रशासन के लोगों से मिली भगत रहती है । जिस तरह से वहां पर ए0के0 47, एस0एल0आर0 व रायफलों का प्रयोग किया गया उससे प्रतीत होता है कि यह सब एक साजिश के तहत हुआ । यहां पर मजिस्ट्रीयल जांच की बात कही गयी । मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार यदि इमानदारी से अपनी मैजिस्ट्रेसी की रक्षा करना चाहती है तो स्वयं तय करे कि किस एजेन्सी से इस घटना की जांच करायी जाय ताकि वहां पर लोगों को न्याय मिल सके । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग इस घटना में मर गये हैं उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपये और जो घायल हैं उनको 50 हजार रुपये की सहायता दी जाय साथ ही घायलों के उपचार की उचित व्यवस्था भी की जाय ।

*श्री जयपाल सिंह–

मान्यवर, मेरठ में कल जो घटना हुई है उसमें न कोई अम्बेदकर की मूर्ति लगाने का विवाद है और न ही गरीब लोगों की जोर-जबरदस्ती की बात है । यह कहा गया है कि पांच लोग मारे गये परन्तु मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 12 लोगों का अभी कोई पता ही नहीं है न वे लोग अस्पताल में ही हैं । छोटे-छोटे बच्चों को जो चोटें आयी हैं जिस तरह से वे घायल हुए हैं उसे कोई देख नहीं सकता है । जलियावाला बाग काण्ड की तरह की यह काण्ड हुआ है । आज इस काण्ड की वजह से लोग वहां से भागकर दूसरी जगह चले गये हैं । जो लोग उसमें मरे उनके परिवार वालों की रिपोर्ट लिखने के बजाय उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख दी गयी है । अफसोस की बात तो यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक वहां कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं चाहता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके । मैं बल देकर कहना चाहता हूं कि एक षडयन्त्र के तहत यह घटना हुई है । आज भी अपराधी खुले आम घूम रहे हैं । जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनकी उपचार की व्यवस्था की जाय व मृतकों को वांछित मुआवजा दिया जाय ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जिस ढंग से 31 मार्च क्लोजिंग ईयर के दिन यह घटना हुई है उससे ऐसा लगता है कि इनके खाते में अनुसूचित जाति व दलित लोगों के लाशों की जो कमी रह गयी थी उसे पूरा करने के लिये सरकार ने एक आदेश दे रखा था कि थोक के भाव हरिजनों की हत्या कर दी जाय । मैं कुछ बिन्दुओं को यहां पर रखना चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक कोई कार्यवाही की गयी है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब इस प्रकरण पर उत्तर देने के लिए हों, तो दो-तीन चीजें वह अवश्य बताएं । यह घटना मुख्यालय से कोई तीस-चालीस किलोमीटर दूर पर नहीं हुई है, जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती हो, यह घटना मेरठ शहर के उस स्थान पर हुई है, जहां पर कमिश्नर, आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 तीनों लोग रहते हैं, वहां पर पुलिस की कोई कमी नहीं रहती है । इस दुर्घटना को टाल भी सकते थे । माननीय मंत्री जी से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वे कौन-कौन से पुलिस कर्मी हैं जिन्हें गोलियां लगी हुई हैं, राइफल से चोटें आई हैं ? यदि चोटें आई हैं तो वे चोटें कैसी हैं ? एक कपोल-कल्पित कहानी सामने आई है यह कहा गया कि उनसे असलहे छीन लिए गए तथा उन्हें बरामद भी किया गया । यदि वह असलहे छीने गए हैं तो वह पुलिस के कौन से जांबाज सिपाही हैं जिन्हें असलहों से चोटें आई हैं, उनकी फेहरिस्त प्रस्तुत करें । इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें इनकी नियत पर शक होता है । पांच लोग मारे गए परन्तु यहां पर यह कहा गया कि सिर्फ दो लोग मरे हैं परन्तु माननीय सदस्य को इस काण्ड के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई है उसकी एक अलग कहानी है ।

मैं समझता हूं कि अगर इस सरकार में इस काण्ड के प्रति रोष है कि वहां पर निरर्थक गोली चलाई गई है यदि सार्थक गोली ही चलाई गई है तो यह बताना होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि गोली चलाना जरूरी हो गया था, तो क्या इस बिन्दु पर भी किसी ऐसी एजेन्सी द्वारा जांच करायेंगे जो निष्पक्ष काम करे ? क्या मजिस्ट्रेट से आयुक्त या जिलाधिकारी के खिलाफ जांच कराना उचित होगा ? वह तो किसी भी स्थिति में निष्पक्ष जांच नहीं कर पायेगा यह तो वही हुआ कि मंत्री जी गलती करें, और अर्दली से कहा जाय कि वह मंत्री जी की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे । यदि निष्पक्ष जांच सरकार कराना चाहती है, वैसे पूरे इमानदार तो यह हैं नहीं, फिर भी मंत्री जी यह साबित करना चाहते हैं कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो तो केवल एक ही विकल्प बचता है कि इस हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराने की घोषणा कर दें । उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसे सम्पूर्ण सदन स्वीकार कर लेगा यदि आप निष्पक्ष जांच नहीं करायेंगे तो यह लगेगा कि आप इस घटना की लीपा-पोती करना चाहते हैं और आपको इसमें कोई रुचि नहीं है । यदि आपमें जरा भी संवेदनशीलता है तो उन मृतक परिवारों के साथ आज जो गुजर रहा है, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम मृतक परिवार को पांच-पांच लाख रुपए दिया जाय और घायलों को भी उपचार हेतु पैसा दिया जाय । आज मेरठ की जो विस्फोटक स्थिति हो गई है, इसका अन्दाजा शायद सरकार को नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस सदन की एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाय और उसे तत्काल मेरठ भेजा जाय ताकि वह मेरठ की स्थिति का आंकलन कर, जब 7 अप्रैल से सत्र पुनः प्रारम्भ हो, वहां की स्थिति को सदन के सामने रखे । सर्वदलीय समिति ही यह देख सकती है कि जो वहां पर घायल लोग हैं, उनके उपचार की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

अन्त में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा गम्भीर विषय नियम 311 के अन्तर्गत हो ही नहीं सकता है। कल की घटना है, लोगों पर गोलियां चलाई गईं, कई लोग मर गए, कई लोग घायल हो गए, जिसके कारण वहां आज आतंक, भय और उत्तेजना का वातावरण व्याप्त है, लोक महत्व का प्रश्न है, इस लिए मैं चाहता हूं कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा करवाएं।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मेरठ की स्थिति बहुत ही खराब है, और यह एक बहुत संवेदनशील इलाका है। कल जो वहां घटना हुई उसके बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपनी बात कही, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, मैं कुछ अलग बिन्दु इस प्रकरण के विषय में रखना चाहूंगा, वह यह है कि पुलिस के माथे पर जिस तरह से खून और जुनून सवार हो गया था, उसी का परिणाम हुआ कि सौ राउण्ड गोलियां चलाई गयीं महिलाओं और बच्चों पर गोलियां चलाई गयीं वह निशाना बनाकर चलाई गयीं बहुत ही शर्मनाक है।

[3 बजकर 30 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर कहें, यह सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, अब इस विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आने वाला है। तो हम विशेष रूप से उनसे जानना चाहते हैं कि वह कौन से अधिकारी थे जिनके आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई और वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण इस प्रकार का बर्बर हत्या काण्ड हुआ, जिसमें 5 लोग मर गए, दसियों बीसयों आदमी घायल हुए और 60 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे मेरठ में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस विषय पर माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी ने अपनी बात कही उसी पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच से कम में इस घटना के तथ्य को सामने आयेंगे, कि कौन इसके लिए दोषी है, किसकी वजह से यह घटना हुई। जो लोग मारे गए हैं उनको तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए जो घायल हुए हैं उनकी चिकित्सा पूरी तौर पर सरकारी खर्च पर की जाय और जो निर्दोष पकड़े गए हैं उन्हें तुरन्त छोड़ा जाय। इन शब्दों के साथ मैं 311 की इस सूचना पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरठ के अन्दर जो घटना कल घटी वह कम से कम अपने को दलितों की सरकार कहने वाले लोगों के माथे पर कलंक का टीका है। लगभग इस घटना में 60 लोग बुरी तरह से अस्पताल में पड़े हैं, 5 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। आतंकवाद और दहशत का माहौल वहां पर कायम है। वहां पर दलित और निर्बल वर्ग के लोग अपने घरों में रुकना पसंद नहीं कर रहे हैं, सभी लोग भागे

पड़े हैं । मुझे टेलीफोन पर मेरठ से जानकारी दी गयी है कि 7 थानों में कर्फ्यू लगी हुई थी उससे सटी हुई जमीन तालाब की थी । शेरगढ़ी की तालाब की जमीन को आवास विकास परिषद् ने लेने का निर्णय किया लेकिन न उसका कब्जा लिया और न ही मुआवजा दिया । इसी सिलसिले में एक प्रापर्टी डीलर ने उस जमीन को हथिया लिया और उसकी प्लाटिंग शुरू करना चाहा । तो विरोध स्वाभाविक था । यह सांठ-गांठ प्रापर्टी डीलर ने कमिश्नर से मिलकर की और उस तालाब की जमीन पर प्लाटिंग की इससे स्वाभाविक था कि दलितों की जो वहां आबादी थी उसने विरोध किया । पुलिस और प्रापर्टी डीलर की यही मंशा थी कि अधिकारियों को आगे करके वहां स्थापित बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया जाय ताकि उस लम्बी चौड़ी भूमि पर प्लाटिंग वह कर सके । मान्यवर, जो हमला हुआ हुआ उसमें पुलिस के साथ-साथ प्रापर्टी डीलर के बाहर से लाए हुए गुण्डे भी थे । पुलिस से ज्यादा आगे बढ़कर उन गुण्डों ने लोगों के घरों में, दलितों के घरों में घुस-घुस कर, महिलाओं को खींच कर जिस बेरहमी के साथ पीटा वह बड़ा ही शर्मनाक है । मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर जोर देते हुए यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर चर्चा कराई जाय और सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग मौत के शिकार हुए हैं उनके आश्रितों को 5-5 लाख रु0 की धनराशि स्वीकार करें और जो घायल हैं उन्हें 50 हजार रु0 तुरन्त दें और पूरे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के जज से कराए उससे नीचे के स्तर से न कराई जाय । मुझे विश्वास है कि यह सरकार जिसके ऊपर दलितों के नर-संहार का कलंक लगा हुआ है न्यायिक जांच करायेगी क्योंकि इससे पहले वहीं मेरठ में एक दलित को जिन्दा जला दिया था । तमाम दलितों के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए सरकार के मन में यदि जरा भी दर्द है तो सदन में जो भावनाएं व्यक्त की गयी हैं उनका सम्मान देते हुए अभी घोषणा सरकार करे कि जो भी लोग अस्पतालों में जख्मी इस घटना में हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और मोहल्ले में शांति लाने हेतु तुरन्त कड़ी कार्यवाही करें ।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरठ की घटना जिसके संबंध में अभी माननीय सदस्यों ने बताया वह हमारे लिए जहां दुःख की बात है वहीं शर्मनाक घटना है । मान्यवर, यदि हम शोषित, पीड़ित और दलितों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो उनके बल पर जो शासन में पहुंचे हैं उनको यहां रहने का अधिकार नहीं रह जाता है कि इतनी बर्बरता पूर्वक गोली वर्षा करके 5 लोगों की हत्या कर दी जाए और दर्जनों लोगों को घायल कर दिया जाए और उसके पश्चात् उनकी सहानुभूति में यह सरकार दो आंसू भी न बहाये । मान्यवर, यह घटना एकाएक नहीं हुई है बल्कि एक भूमि माफिया का नाम आया है जिसकी आंख उस पर काफी दिन पहले से गड़ी थी, इसलिये यह आवश्यक था कि वहां पर एक तनाव रहा होगा । मान्यवर, 28 तारीख से 30 तारीख यह घटना होती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस बीच प्रशासन ने क्या कार्यवाही किया ? यदि प्रशासन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संवेदनशीलता होती तो वहां ऐसी व्यवस्था कर देता जिससे यह घटना न घटती । मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस पर गोली चलाने का जुनून सवार हो गया था वरना गोली चलाने से पहले आंसू गैस छोड़ी जाती जिससे भीड़ तितर बितर हो जाती और वार्निंग दी जा सकती थी जिससे इतनी बड़ी घटना न घटती और इतने लोग न मरते ।

मान्यवर, मालूम होता है कि सरकार का पूंजीपतियों से सम्बन्ध हो गया है और इसीलिए दलितों की आवाज को यह दबाने का प्रयास सरकार कर रही है । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी उत्तर देंगे तो मेरे प्रश्नों का अवश्य उत्तर देंगे । मान्यवर इस घटना में डी0एम0 और एस0एस0पी0 वहां मौजूद थे और इस घटना को होते देख रहे थे और उनके इशारे पर गोली कांड हुआ है, इसलिये इसमें जुडीशियल इंक्वायरी की बात तो कम से कम है । मान्यवर, यदि सरकार को डा0 लोहिया के सपनों का ख्याल हो तो इन्हें एक मिनट भी शासन में रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि डा0 लोहिया ने उदाहरण प्रस्तुत किया था कि जनता पर गोली चलाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और घायल लोगों को एक-एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाए । मान्यवर,, मेरी मांग है कि इस घटना की जांच के लिए सदन की एक सर्वदलीय समिति बनायी जाए तो जो वहां जाकर जांच करे कि वहां के प्रशासन ने 28 से 30 तारीख तक घटना को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की? समिति यह भी जांच करे कि जो कहानी गढ़ी गयी है कि बंदूकें और रिवाल्वर छीन लिये गये और बाद में वापस कर दिये गये, तो इसमें क्या वास्तविकता है ।

मैं समझता हूं कि अपने को बचाने के लिए यह घटना इस प्रकार से गढ़ी गयी है। मान्यवर, प्रतीत होता है कि सरकार ने अपनी संवेदनशीलता खो दिया है इसलिये इन्हें सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और मैं यह भी चाहूंगा कि जैसा माननीय सदस्यों ने इस घटना के सम्बन्ध में राय व्यक्त किया है उसके अनुसार कार्यवाही की जाए।

श्री त्रिपाल सिंह धामा–

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय जी यह जो मेरठ में कल घटना घटी, इस तरह की घटना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी पहले नहीं घटी । जिस तरह से निर्ममतापूर्वक वहां पर पूरे मेरठ मंडल के अधिकारियों डी0 आई0 जी0, कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी, एस0 एस0पी0 और उनके साथ में मय फौज के पांच सौ जवानों को लेकर उनके सामने स्टेनगन और असलहे लेकर दर्जनों लोगों की हत्या की गई है, उससे अधिक शर्मनाक कोई बात इस प्रजातंत्र में हो ही नहीं सकती है । पांच व्यक्तियों की हत्या किये जाने की बात पहले आई थी, लेकिन मैंने अभी फोन पर फिर मालूम किया है तो मालूम हुआ है कि चार-पांच व्यक्तियों की अस्पताल में उनके अतिरिक्त और मृत्यु हो चुकी है । करीब एक दर्जन से अधिक लोगों का पता नहीं है । 60-70 लोग घायल अवस्था में अस्पतालों में भरती हैं । कुल घायल तो करीब 100 होंगे । वहां 28 तारीख को जो घटना हुई थी, उसी घटना को लेकर उसी दिन यदि वहां का प्रशासन चेत गया होता तो कल की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह दु:खद घटना न घटने पाती । आप सरकार को निर्देश दें कि इस घटना के संबंध में हाईकोर्ट के किसी कार्यरत न्यायाधीश को वह जांच के लिए अविलम्ब नियुक्त करें, जो अधिकारी दोषी हैं, जिन्होंने इन कमजोर तबकों पर निर्ममतापूर्वक गोलियां चलाई हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई करें । इसके पूर्व भी वहां दलितों के साथ इसी प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं । एक आदमी को वहां फूंक दिया गया था, भोला की झाल पर एक हरिजन को जिन्दा जलाकर मार डाला गया था । फिर स्टीरी कटका में एक हरिजन की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी । इसके साथ ही वहां एक तीसरी घटना में 5 व्यक्तियों की शास्त्रीनगर में पुलिस की गोलियों से मार डाला गया था । फिर इसी प्रकार की एक घटना फतेहपुर में हुई है और सबसे बढ़कर वह दर्दनाक घटना अब हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आपसे खत्म करने का कह रहा हूं ।

*श्री त्रिपाल सिंह धामा–

आप सरकार को निर्देशित करें कि वह इसकी हाईकोर्ट के किसी जज से जांच करायें । इसका फैसला होना चाहिए और जिनके घर वाले मौत के घाट उतार दिये गये हैं, उनके आश्रितों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए ।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं इस पर पिछली बातों को न दोहराते हुए केवल यही कहना चाहता हूं कि इस घटना के बाद वहां पर प्रशासन द्वारा बीपों पर साद-लाद कर घायलों और मृतकों को गायब कर दिया गया है, इससे मृतकों और घायलों की सही संख्या सामने नहीं आ रही है । मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इन लोगों के उचित इलाज की व्यवस्था कहां हो रही है, यह सदस्यों के संज्ञान में लाया जाए और जिनको गायब कर दिया गया है, उसको इस सदन में बताया जाए ? इसके साथ मैं अपनी सूचना पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है, इस पर चर्चा कराई जाए । जो न्यायिक जांच की मांग की गई है, उसको कराया जाए और मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया जाए । कानपुर में इससे पूर्व जब इसी प्रकार की एक घटना हुई थी, तो वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया था, अत: वहां की घटना के लिए भी मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां के दोषी अधिकारी और एस0एस0पी0 तथा दूसरे अधिकारियों को वहां से हटाकर उन्हें निलम्बित किया जाय, तथा उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करके उन्हें जेल भेजा जाए । साथ ही गृहमंत्री, जो मुख्य मंत्री हैं, वह अपने पद से इसके लिये इस्तीफा दें, इनको अब शासन में रहने का कोई हक नहीं है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

30 तारीख को जो मेरठ में घटना हुई है उस सम्बन्ध में हमारे पास सूचना है उसके अनुसार थाना मेडिकल पर दस बजे आपास विकास के अधिकारी ने सूचना दी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, सूचना यह दी गई कि शास्त्रीनगर में आवास विकास के सामने पार्क पर कब्जा किया जा रहा है। सूचना मिलते ही मेडिकल थाना के थानाध्यक्ष फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे। वहां उपस्थित भीड़ ने फोर्स पर हमला करने का प्रयास किया और हमला भी किया।

(व्यवधान)

मान्यवर, जब मैं सूचना बता रहा हूं तो यह लोग सुनते नहीं हैं। श्रीमन् यह सब लोग सत्ता पक्ष में रह चुके हैं और जानते हैं कि कब क्या मुनासिब उत्तर देना चाहिए ?

श्री प्रमोद तिवारी–

कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, यह भी जानते हैं तब ही तो कह रहे हैं और टोक रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो सूचना दे रहा हूं, वह अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। जो सूचना मुझे उपलब्ध कराई गई है, वह बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो सूचना आप दे रहे हैं यह तो किसी अधिकारी ने आपको दी होगी। जुडिशियल इनक्वायरी का फैसला करना आपका विवेक होगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वह तो बाद में आता है आप तो शुरुआत में ही खड़े हो गये। मान्यवर, जब वहां पर भीड़ हमलावर हो गई तब जैसा कि सब लोग कह रहे हैं पुलिस फोर्स और क्षेत्राधिकारी भी वहां पहुंचे। भीड़ की तरफ से पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई। पुलिस के लोग भी घायल हुए और गम्भीर हालत में हैं। श्रीमन्, पुलिस के लोग विदेशी नहीं हैं, हमारे घरों के लड़के हैं। जब वहां पर भीड़ अनियंत्रित हो गई और पुलिस के लोग भी घायल हुए तो पहले वारनिंग दी गई फिर आंसू गैस छोड़ी गई और फिर लाठी चार्ज हुआ। जब कोई चारा नहीं रह गया तो फायरिंग भी हुई। दो लोग मरे हैं, पांच लोग घायल हुए हैं। पुलिस के भी पांच लोग घायल हैं उनमें से दो की हालत गम्भीर भी है। जो सूचना हमें मिली थी उसके अनुसार मैंने बताया है। पुलिस के उप महानिदेशक हैं जो ला एण्ड आर्डर के, उनको मौके पर भेजा गया है, जो जानकारी आयेगी उसकी समीक्षा करने के बाद जो भी मुनासिब कार्यवाही होगी, की जायेगी। दलितों, पीड़ितों के उत्पीड़न की बात करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। यह लोग नहीं टूटने वाले। इस तरह की भाषणों से दलितों का वोट आपको नहीं मिलने वाला है।

(व्यवधान)

कानून व्यवस्था के मामले में जहां पर आवश्यकता होगी पुलिस या जो अन्य अधिकारी हैं ला एण्ड आर्डर के, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। दलितों की सुरक्षा के लिये हम सब कटिबद्ध हैं। घड़ियाली आंसू बहाकर उन्हें आप अपनी तरफ नहीं कर सकते। वह आपके साथ आने वाले नहीं हैं। हमने तत्काल मुख्यालय से ला एण्ड आर्डर के महानिदेशक को मौके पर भेजा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो कार्यवाही मुनासिब होगी वह करेंगे उसमें कोताही नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है . .

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बात बिल्कुल साफ हो गई है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई भाषण नहीं होगा । आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लीजिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

नेता भाषण नहीं देगा तो क्या गाना गाएगा ? मैं आपकी ग्राह्यता से तथ्य जानना चाहता हूं इनका पक्ष आया है इन्होंने कहा है बहादुरी के साथ लोग घायल हुए । मान्यवर ए0के0 47 रायफल से जो गोलियां चली हैं उसमें लोग घायल हो गये, चोटें कहां आई हैं यह बता दें ?

श्री अधिष्ठाता–

जो जानकारी इनके पास थी वह दे दी अब विस्तृत जानकारी महानिदेशक के आने के बाद होगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जिन्हें वहां की घटना की जांच करने को दी है उसमें निष्पक्षता हो सकती है । आप हमारे पक्ष और इनके पक्ष ने जो कहा है उसके जांच के लिए हाई-कोर्ट के जज से जांच करा लें । न्यायिक जांच की घोषणा कर दें । जैसा यह कह रहे हैं उसमें सरकार बेदाग बरी हो जायगी । हाई कोर्ट के जज की जांच के बाद तथ्य गलत साबित हो गये, तो इधर से दिए गये हैं तो मैं इसी सदन में खेद प्रकट करूंगा और क्षमा याचना करूंगा।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं इस गम्भीर घटना के लिए दलितों की जो बीच हत्यायें हुई हैं उसमें सरकार न्यायिक जांच की घोषणा करेगी या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन् ग्राह्यता के सम्बन्ध में बात रखी पुलिस को चोट लगी वह भी हमारे लोग हैं लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि पुलिस को बदले की भावना से काम करने का मौका न दिया जाए । इस बात का कोई भी समर्थन नहीं करेगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा हमको जानकारी मिली वह दे दी, निर्णय उनको अपने विवेक से करना है । आगे गिरफ्तारियां न हों इसके बारे में अपने स्तर से आदेश देने की व्यवस्था करेंगे । इसमें विवाद उपस्थित हो गया है । इसमें जुडीशियल इन्क्वायरी के आदेश देने की कृपा करें ।

श्री राम बासरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा दलितों की भीड़ थी वह हमलावर थी । हमलावर भीड़ से गोलियां चलीं । पुलिस के कुछ लोग जख्मी हैं, भर्ती हैं, यह कह रहे थे कि दो लोग मारे गये मैं चार लोगों के नाम बता रहा हूं जो पुलिस की गोलियों से मारे गए हैं । श्रीमन् वह चार लोग हैं ऋषिपाल, ऋषिपाल की मां, बिट्टू, राजा । यह हमलावर भीड़ नहीं थी ।उन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को यहां से हटाने का प्रयास किया, उसको क्षतिग्रस्त किया । जब क्षतिग्रस्त करने का दुष्प्रयास किया गया तो हो सकता है कि उत्तेजनावश दलितों की तरफ से भी भावावेश में कुछ कदम उठाया गया हो । लेकिन आज जो 5 लोग मारे गए हैं । 7 लोग अस्पताल में भरती हैं । इस संबंध में न्यायिक जांच हमारा सही जानकारी प्राप्त होगी । कमिश्नर और डी0आई0जी0 के साठ-गांठ से इतनी जघन्य घटना घटी है । उनके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? यह दो बिन्दु हैं । मारे गए लोगों के नाम हैं, ऋषिपाल, ऋषिपाल की मां, बिट्टू और राजा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं । मंत्री जी ने शासन का जवाब, जो अधिकारियों के माध्यम से आया है, उसे पढ़ दिया है । और उसे ही स्वीकार कर रहे हैं, यह सही नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सारी बातें आ चुकी हैं, इनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं सिर्फ दो तीन चीजें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । एक तो श्रीमन् यह जानना चाहता हूं कि जब 25 तारीख को वहां तनाव था, 28 तारीख को वहां मूर्ति स्थापित कर दी गई तो धारा 144 उस हिस्से में क्यों नहीं लगायी गयी ? जो अपने ए0डी0जी0 पुलिस को भेजा है, जो वह रिपोर्ट देंगे उस पर 7 तारीख के पहले विचार नहीं हो सकता क्योंकि 6 अप्रैल तक सदन स्थगित है । तो क्या इस सदन की भावना को देखते हुए इस सदन की एक कमेटी बनाने की घोषणा करेंगे जो आज ही घटना स्थल को चली जाए और 7 तारीख को सदन में अपनी रिपोर्ट दे दे । जिससे दोनों पक्षों की स्थिति सामने आ जाए ? तीसरे माननीय काशीराम के निर्देश पर आप सरकार चला रहे हैं । काशीराम ने दोना काण्ड के बाद इलाहाबाद में कहा था कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी दलितों पर अत्याचार नहीं रोक सकते हैं, तो उनको यहां रहने का औचित्य नहीं है । यहां पर वहां के कमिश्नर और डी0आई0जी0 पर आरोप लगाया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह अनुसूचित जाति के यदि हैं, तो उन दोनों अधिकारियों को तत्काल वहां से हटाने की घोषणा करेंगे कि नहीं, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह जो लेटेस्ट सूचना आई है । इसमें कहा गया है कि जो मृतक हैं, उनका दाह संस्कार विधायक श्री अखलाक अहमद की उपस्थिति में हो गया है । घायलों को 50,000 रुपए की सहायता आहरित करने के निर्देश दे दिए गए हैं । घायलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 12 लोग भीड़ की तरफ से और 5 पुलिस के गम्भीर रूप से घायल हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप घटना की सही सूचना नहीं दे रहे हैं । पुलिस वालों के छर्रे कहां लगे हैं ? ए0के0 47 से लगे हैं या किसी दूसरे हथियार से आप न्यायिक जांच की घोषणा करेंगे कि नहीं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था को मौका पर भेजा गया है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सरकार जानबूझकर पुलिस कर्मियों को बचाने का कार्य कर रही है । सरकार के इस नीति के खिलाफ में सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए ।

(लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी'' के नारे लगाए गए ।)

(श्री नरेन्द्र सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) श्री किरनपाल सिंह आदि सदस्य सदन के वेल में आ गये ।) । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

यह सब झूठ है । लीपापोती की जा रही है ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

दोषी अधिकारियों को सजा दी जाय ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर सरकार इस केस की निष्पक्ष जांच कराना चाहती है तो न्यायिक जांच की घोषणा करे । यदि न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की जाती है तो यह साबित होगा कि सरकार निश्चित रूप से दोषी अधिकारियों को बचाना चाहती है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

सरकार कान में तेल डाले बैठी है ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

कमिश्नर और दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाय ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर सरकार न्यायिक जांच की घोषणा नहीं करती है तो हमारे इस सदन में बैठने का औचित्य क्या है ?

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

वहां के एस0एस0पी0, डी0आई0जी0 और कमिश्नर के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था चाहते हैं या नहीं ? अगर व्यवस्था चाहते हैं तो अपने-अपने आसन पर वापस जायें ।

(बेल में बैठे सदस्यों के अपने आसन पर जाने के उपरान्त ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सरकार की तरफ से घोषणा की गयी कि एडीशनल डी0 जी0 की रिपोर्ट आयेगी उसके बाद इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। हम इस मामले में निष्पक्षता से जांच हो, यह मांग कर रहे हैं । निष्पक्ष जांच हो सके उसके लिये यह जरूरी है कि इस मामले की न्यायिक जांच करायी जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[XXX]

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इससे ज्यादा गंभीर और कोई घटना नहीं हो सकती और सरकार न्यायिक जांच की घोषणा नहीं कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, माननीय किरनपाल जी, माननीय तिवारी जी, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी, मैंने आपकी नियम 311 की सूचना पर 20 से अधिक माननीय सदस्यों को सुना गुप्त जी, मैंने आपकी नियम 311 की सूचना पर 20 से अधिक माननीय सदस्यों को सुना और उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना । उसके बाद जो भी जिज्ञासा शेष थी उस पर आपकी बात सुनी और उसका उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया । इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए जो जो माननीय सदस्य अपनी राय इस पर व्यक्त करना चाहते थे, मैंने सभी को अवसर दिया । इस घटना की गम्भीरता को नकारा नहीं जा सकता । आपने अपनी बात कही और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने शासन का पक्ष रखा । इस पीठ से कोई व्यवस्था हो और पीठ की व्यवस्था सुनने के पहले ही अगर आप किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे और कोई बात सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे सदन का कीमती वक्त जिसका लाभ हम प्रदेश की जनता के लिए उठाना चाहते हैं वह नहीं उठा सकते हैं । बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित होने से यह मंशा पूरी नहीं होगी । मैंने नियम 311 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों की सूचना को गम्भीरतापूर्वक सुना । जितने भी सदस्य इस सूचना पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे, मैंने सभी को अवसर दिया । मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी इस पर अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया और उनके विचारों को सुना । इस सूचना की गम्भीरता से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है । सूचना गम्भीर है और मैं इस सूचना के महत्व पर भी बल देता हूं ।

नोट :–[X] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया

मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि कतिपय सदस्यों ने इस सूचना पर अलग-अलग अपेक्षाएं की हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने इस घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है, कुछ माननीय सदस्यों ने राजस्व परिषद् के किसी सदस्य द्वारा जांच कराने की मांग की है, कुछ माननीय सदस्यों ने सदन की समिति द्वारा जांच कराए जाने का अनुरोध किया है, कुछ माननीय सदस्यों ने उच्च स्तरीय जांच कराने की अपेक्षाएं की हैं । सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावना इस मामले की निष्पक्ष जांच से है, जिससे सही तथ्यों का पता लग सके और घटना के कारणों की जानकारी सदन के समक्ष आ सके और घटना के लिए दोषी व्यक्ति को इंगित किया जा सके । मैं इस घटना की गम्भीरता से अपने को सम्बद्ध करता हूं और शासन को निर्देशित करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय । उन कारणों का भी पता लगाया जाय कि यह घटना क्यों घटी ? क्या इसे टाला जा सकता था ? परन्तु जहां तक प्रश्न 311 का है, मैं इस संबंध में माननीय सभी दलों के नेताओं से तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बैठ कर वार्ता करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहता हूं ।

(भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य खड़े होकर बोलने लगे, जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायं, पूरी बात तो सुन लें ।

(व्यवधान के मध्य श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब, आपके निर्देश से तो नहीं चलेगी कार्यवाही ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप ही सदन को संतुष्ट कर दें, कि बहुत पर 5-5 मौतें हो गयी हैं, क्या वहां पर कमिश्नर, डी0 आई0 जी0, आई0 जी0 जांच करेगा ? मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इस पर लीपा-पोती नहीं चलेगी, या तो सरकार जूडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करेगी, वरना विरोधी दल का सामना करने के लिए सरकार तैयार रहे ।

(घोर व्यवधान)

जितना भी हम लोगों को प्रजातान्त्रिक तरीके से हो सकेगा, विरोध करेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ ग्राह्यता पर बोलते हुए इस सम्मानित सदन में सूचना दी थी कि यह सारा प्रकरण एक प्रापर्टी डीलर से अनुचित लाभ प्राप्त करके मण्डलायुक्त, मेरठ एवं डी0 आई0 जी0, मेरठ के द्वारा कराया गया, परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा । मैं इस

सम्मानित सदन को आगाह करना चाहता हूं कि जब इलाहाबाद में एक शर्मनाक घटना हुई, तो वहां के एडिशनल एस0 पी0 को जो दूसरी जाति के थे, दण्डित किया गया, परन्तु जब ऐसी घटना मुजफ्फरनगर में ब्रह्मवती नामक महिला के साथ हुई, तो वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई, चूंकि वहां एस0 पी0 अनुसूचित जाति का था और महिला दूसरी जाति की थी। यह गम्भीर मामला है। यदि कार्यपालिका के लोगों में इस प्रकार का जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का बंटाधार हो जायगा, गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए थी, न कि जातिवाद के आधार पर, मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि इस समय प्रदेश में कुछ अधिकारी जानबूझ कर जातिवाद का जहर घोल रहे हैं और सरकार उनकी करनी को अनदेखी करती रही, तो इस प्रदेश को गम्भीर परिणाम भोगने होंगे। अधिकारियों के कार्य का परीक्षण गुण-दोष के आधार पर करना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। आज पूरे प्रदेश के अधिकारी दो वर्गों में बंट रहे हैं। यह गम्भीर मामला है। इसका कल प्रदेश की जनता में बुरा असर पड़ेगा और जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मण्डल आयुक्त, मेरठ तथा डी0 आई0 जी0, मेरठ को गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जाय और सम्पूर्ण प्रकरण की जांच न्यायिक आयोग से कराई जाय, मजिस्ट्रेट, डी0 आई0 जी0 और कमिश्नर के विरुद्ध जांच करने में सक्षम नहीं हैं और मुझे यह लगता है कि यह सरकार भी उन लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकती है, बल्कि छोटे अधिकारियों को दण्डित कर देगी, जो अनुसूचित जाति के नहीं होंगे। माननीय कांशीराम जी ने समय-समय पर यह कहा है कि यदि अनुसूचित जाति के अधिकारी, अनुसूचित जाति के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो उसे दण्डित किया जाना चाहिए, परन्तु यह उसे भी अनदेखी कर रहे हैं। आखिर यह सरकार चाहती क्या है? मैं पुनः कल देते हुए कहना चाहूंगा कि या तो न्यायिक जांच करायें, डी0आई0 जी0 और कमिश्नर को गिरफ्तार करें या इस हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर आप कोई व्यवस्था दे देंगे, तो मेरा कहना फिर उचित न होगा। आपने कहा कि नेताओं से परामर्श कर लेंगे, तो सभी नेतागण एक मत के हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपने मेरी व्यवस्था को सुना ही नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर न्यायिक जांच न हुई तो इसका मतलब यह है सरकार जानबूझ कर पुलिस को संरक्षण प्रदान कर रही है। मान्यवर, इस मामले का पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। इसलिए प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी ओर से शासन को निर्देशित करें कि इस मामले की न्यायिक जांच करायी जाये। दलितों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार न्यायिक जांच के आदेश नहीं कर रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश देने के लिए आप सरकार को निर्देशित करें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इतनी बड़ी घटना हो गयी है और सरकार उसकी न्यायिक जांच नहीं करा रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि एडीशनल डी0जी0पी0 को भेजा है। कल की घटना है और आज इन्होंने भेजा है। कल से आज तक यह सूचना नहीं एकत्र कर पाए हैं। एस0 एस0 पी0 और कमिश्नर के खिलाफ बात उठायी जा रही है, बहुत गम्भीर मामला है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसको बड़े ही हल्के ढंग से ले रहे हैं। 5 निर्दोष लोगों की जानें गयी हैं और इसमें सरकार के बड़े अधिकारी इनवाल्व हैं। जो पुलिस फोर्स है उसका इस्तेमाल किया किया गया है। अगर कोई प्रिवेन्टिव मेजर एडाप्ट किये जाते तो यह घटना न होती और इतने लोगों की जानें न गयी होती। आप न्यायिक जांच के लिए सरकार को निर्देशित करें, यह गम्भीर घटना है, इससे ज्यादा और गम्भीर घटना क्या हो सकती है ?

(व्यवधान)

मान्यवर, इस घटना में बहुत से लोग घायल हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच हो। अगर आप न्यायिक जांच नहीं करायेंगे तो कोई भी चीज खुलकर सामने नहीं आयेगी। इसलिए आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस घटना की न्यायिक जांच करायें और उसकी घोषणा इसी सदन में आज करें। आप पीठ से सरकार को न्यायिक जांच कराने के लिए निर्देशित करें.

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय सदस्यों को इस पर विस्तार से सुन लिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी मैंने सुन लिया मैं इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित करके रखता हूं यह सूचना नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः मैं नियम 311 के अन्तर्गत इसे अस्वीकार करता हूं 311 के अन्तर्गत जो और सूचनाएं दी गयी हैं उसको भी अस्वीकार करता हूं।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ कर नारे लगाने लगे "लाठी गोली की यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दलितों की हत्यारी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

अविलम्ब के प्रश्न की सूचनाएं

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 31 मार्च, 1994 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्न लिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की उत्तर प्रदेश में राजस्व संग्रह अमीनों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल किये जाने के बारे में, दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल और श्री जगदम्बिका पाल की प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री दीना नाथ भास्कर द्वारा पशुपालन विभाग के सचिव पर अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को उत्पीड़ित किये जाने का आरोप लगाये जाने के संबंध में, तीसरी सूचना श्री किरन पाल सिंह जी की श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरेन्द्र मलिक की सदन की कार्यवाही के संचालन में स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं का अनुपालन किए जाने

तथा दल बदल के बारे में, चौथी सूचना श्री राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत किसान सहकारी चीनी मिल लि0 भीसलपुर के तौल लिपिक द्वारा किसानों का शोषण किए जाने के संबंध में, पांचवी सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री राम पाल सिंह और श्री सुरेश चन्द्र तिवारिया की गन्ना विकास विभाग के अनुदानों की मांगों से संबंधी बजट साहित्य समय से न उपलब्ध कराये जाने के संबंध में हैं ।

प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 158(1) के अनुसार सरकारी विभागों को वह साहित्य जिस पर सदन में विचार करना हो कम से कम चार दिवस पूर्व विधान सभा सचिवालय को भेज दिया जाना चाहिए । भविष्य में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय ।

यह सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं अतः अस्वीकार की जाती हैं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

आज नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं पहली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र, श्री दल बहादुर कोरी, श्री श्याम देव राय चौधरी की जनपद वाराणसी में हैण्ड पम्प लगाने हेतु स्थल चयन व वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की कमी तथा जनपद रायबरेली के सलोन विधान सभा क्षेत्र में कुओं का जल स्तर नीचे गिरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल की जनपद बाराबंकी के थाना टिकैतनगर की पुलिस द्वारा क्षेत्र के सम्भ्रांत लोगों को उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

अगली सूचना श्री रवीन्द्र शुक्ल, श्री सुधीर कुमार बालियान, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की जनपद उन्नाव के तहसील पुरवा के ग्राम केवार खेड़ा में राजनीतिक विद्वेषवश 13 घरों को फूंक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

अगली सूचना श्री लाल कृष्ण गांधी, श्री रवीन्द्र प्रताप शुक्ल की प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय के अधिकारियों द्वारा फर्जी बिलों के सहारे करोड़ों रुपये की धनराशि कोषागारों से निकालने के संबंध में है ।

इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

अगली सूचना श्री बदन सिंह की जनपद आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज के आपात विभाग में तीन लोगों की मृत्यु होने के कारण उत्पन्न विवाद से अनिश्चित-कालीन हड़ताल होने के संबंध में ।

इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

अगली सूचना श्री नवल किशोर की प्रदेश के समस्त सहकारी शीत गृह बंद कर दिए जाने से आलू उत्पादक कृषकों के सामने आयी भीषण कठिनाई के संबंध में है ।

इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है । शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं ।

(सदन की फ्लोर पर कई सदस्य अपनी-अपनी बातें कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या–21 खाद्य रसद विभाग

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 13,66,42,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

बालेश्वर त्यागी जी अपनी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें । ..... वे कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 13,66,42,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 21,24,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुधीर कुमार वालियान जी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री सुधीर कुमार वालियान जी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 21,24,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

(घोर व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,62,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री सुधीर कुमार बालियान जी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(घोर व्यवधान)

वे प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,62,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 27 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री मिश्रसेन यादव जी की जनपद फैजाबाद के थाना इनायत नगर अन्तर्गत ग्राम पलिया लोहानी में अनुसूचित जाति के लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से अमल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यह वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है । दूसरी सूचना श्री जगदम्बिका पाल की प्रदेश में राजकीय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को प्रैक्टिस निरोधक भत्ता एवं ग्रामीण भत्ता न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । अगली सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की जो गाजियाबाद शहर में बाल्मीकि बस्ती में चमड़ा पेंठ (बाजार) के कारण भयंकर बदबू व बीमारी फैलने की सम्भावना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री हृदय नारायण की उन्नाव जिले में वर्ष 92-93 व 1993-94 में नहरों की सिल्ट सफाई में लाखों रुपए के फर्जी प्रपत्र बनाकर धन का आहरण किए जाने के संबंध में है । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री लाल कृष्ण गांधी व श्री रामाधार यादव की विधायक निवास-4 (रायल होटल) में प्रातःकाल

धनापूर्ति बाधित रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की है, जनपद हमीरपुर के अपर पुलिस अधीक्षक की कथित रूप से होमीसेक्स प्रवृत्ति के कारण पुलिस बल में व्याप्त असंतोष के संबंध में । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी की प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में भयंकर सूखे के कारण गेहूं की फसलों को हुई हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है । जनपद हरदोई में कोतवाली थानान्तर्गत सुभाषनगर मुहल्ला निवासी श्री सुधीर कुमार की हत्या की जांच के परिणाम के संबंध में । इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यों में से श्री जगदम्बिका पाल यह कहते रहे कि आज मेरठ की धरती लाल हो रही है, माताओं की गोद सूनी हो रही है, इसी पीठ से श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने श्री अफजाल अंसारी के मामले में ऐतिहासिक निर्णय लिया था, आज आपकी पीठ से भी इसी तरह का कोई निर्णय होना चाहिए)

कानपुर की अर्थव्यवस्था के कारण मजदूरों के बेरोजगार हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 की सूचना के संबंध में वक्तव्य

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[मेसर्स जे0 के0 जूट मिल कं0 लि0, कालपी रोड, कानपुर, निजी क्षेत्र में संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठान है जिसके द्वारा जूट बोरियों के उत्पादन का कार्य होता है । इस प्रतिष्ठान में लगभग 4,300 श्रमिक कार्यरत हैं । बाजार में सिन्थेटिक बोरों के उत्पाद के आ जाने के कारण पिछले कुछ समय से इस मिल के प्रबंधकों द्वारा आर्थिक कठिनाई का अनुभव किया जा रहा था । विद्युत बकाए का भुगतान न कर पाने के कारण प्रतिष्ठान में विद्युत विच्छेदन होने के कारण दिनांक 21-1-94 से श्रमिक बैठकी (ले आफ) कर दी गई । श्रमिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए उनकी बैठकी समाप्त कराए जाने के ध्येय से विद्युत संयोजन पुर्नस्थापित कराया गया जिसके फलस्वरूप पुनः दिनांक 3-2-94 से मिल चालू हो गई एवं श्रमिकों की बैठकी समाप्त हो गई ।

प्रतिष्ठान द्वारा श्रमिकों के बकाया वेतन भुगतान आदि किए जाने की मांग पर दिनांक 14-2-94 को 3.30 बजे अपरान्ह की पाली में कार्य बन्द कर दिया गया । जिसके कारण प्रबंधकों द्वारा 8 श्रमिकों को निलम्बित किया गया । उक्त निलम्बन

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के समाप्त कराये जाने की मांग को लेकर दिनांक 15-2-1994 तथा 16-2-1994 को हवाधर न श्रमिकों ने कार्य नहीं किया जिसके परिणाम-स्वरूप प्रबंधकों द्वारा दिनांक 17-2-94 की पाली से प्रतिष्ठान की तालाबन्दी को समाप्त कराए जाने के संबंध में शासन एवं श्रमायुक्त स्तर पर बैठकें हुई तथा दिनांक 21-2-94 को प्रमुख सचिव, उद्योग के स्तर पर इस मिल के प्रबंधक, उद्योग विभाग के अन्य अधिकारी एवं श्रमायुक्त की बैठक हुई । प्रबंधकों से मिल पुनः चालू कराए जाने की अपेक्षा की गई । उनके द्वारा मुख्य रूप से आर्थिक कठिनाइयां बताई गयीं । दिनांक 22-2-94 को अपर श्रमायुक्त, कानपुर की अध्यक्षता में श्रमिक तथा प्रबंधक पक्षों की वार्ता हुई तथा उभय पक्षों के मध्य सम्पन्न समझौते के आधार पर दिनांक 22-2-1994 से तालाबन्दी समाप्त कर दी गयी तथा मिल पुनः चालू की गयी । प्रतिष्ठान के प्रबंधकों द्वारा दिनांक 15-2-1994 की प्रातः 7.00 बजे से पुनः प्रतिष्ठान की बन्दी घोषित कर दी गई है । बन्दी से पूर्व प्रबंधकों द्वारा नियमानुसार कोई बन्दी की अनुमति का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि बन्दी के पूर्व औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(ओ) के अन्तर्गत बन्दी के पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी की अनुमति न लिए जाने के संबंध में वैधानिक कार्यवाही सक्षम स्तर से प्रारम्भ कर दी गई है । इस बन्दी के कारण लगभग 4,000 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं जिसके कारण श्रमिकों एवं श्रमिक संगठनों में रोष व्याप्त है । श्रमायुक्त/मंडलायुक्त कानपुर के स्तर पर प्रबंधकों के साथ 17 एवं 19 मार्च को मिल चलाए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई । श्रमायुक्त/मण्डलायुक्त तथा जिला प्रशासन द्वारा स्थिति की देख रेख की जा रही है । मिल को चालू कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है ।]

श्री अधिष्ठाता–

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी कोई प्रश्न हो तो करें ।

श्री रंगनाथ जी तथा श्री हरीश कुमार गंगवार जी का भी इसमें नाम है ।

कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं । अब मैं अगली मद लेता हूं ।

वैश्य समाज की उपजातियों के समान ही बोसर उपजाति को भी पिछड़ी जाति में शामिल किए जाने के संबंध में नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से इसे पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[मण्डल आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-11-92 के क्रम में राज्याधीन आदि सेवाओं में पिछड़े वर्गों की अनुमन्य

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आरक्षण हेतु पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित समावेश अथवा निष्कासित करने एवं तत्संबंधी शिकायतों पर सम्यक रूप से विचार कर संस्तुति देने हेतु प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति संख्या 22/16/92-का-2/93, दिनांक 9 मार्च, 1993 तथा तद्विषय संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 28-8-93 द्वारा किया जा चुका है । तद्नुसार पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित करने हेतु विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे प्रत्यावेदनों को उक्त आयोग को भेजकर परीक्षण कराया जा रहा है ।

जहां तक वैश्य समाज को दोसर उपजाति को पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित कराकर सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक प्रगति के अवसरों को उपलब्ध कराने का प्रश्न है । अवगत कराना है कि दोसर वैश्य समाज को पिछड़ी जाति में सम्मिलित कराए जाने के संबंध में डा0 ओम प्रकाश गुप्ता, ए-1441/4 इन्दिरा नगर, लखनऊ का एक प्रत्यावेदन शासन को प्राप्त हुआ था जिसे शासन के पत्र संख्या-675/26-1-94-3(36)/90, दिनांक 19-2-94 द्वारा परीक्षण कर संस्तुति देने हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग को सन्दर्भित कर दिया गया है ।]

श्री अधिष्ठाता–

श्री गौरी शंकर जी चर्चा प्रारम्भ कीजिए ।

श्री राम कुमार शुक्ल जी चर्चा प्रारम्भ कीजिए ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, जो सदन के फ्लोर पर हैं, उनको तो पहले अपने आसन पर भिजवाइए ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई चर्चा प्रारम्भ नहीं कर रहा है ।

(चर्चा आरम्भ करने हेतु नाम पुकारे जाने पर सदस्य द्वारा चर्चा आरम्भ न करने पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई)

अब हम उठते हैं, 7 तारीख को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 25 मिनट पर 7 अप्रैल, 1994 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

31 मार्च, 1994 ।

सी0एस0यू0पी0–एल0 82 वि0 सभा(125)–1994–813 ।